विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
सूचना	3
निदेशकों की रिपोर्ट	11
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों की सेवा में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	80
वर्ष 2014–15 के लेखे (एकल)	89
नकदी प्रवाह विवरण	144
वर्ष 2014–15 के समेकित लेखे	147
वर्ष 2014–15 के समेकित लेखाओं पर भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों की सेवा में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	148
समेकित नकदी प्रवाह विवरण	213
भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	215
समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	216
परोक्षी फॉर्म	218

निदेशक बोर्ड

(14 अगस्त, 2015 को)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री उमंग नरूला

कार्य निदेशक

श्री पीयूष तिवारी
निदेशक (वाणिज्यिक एवं विपणन)

सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. (सुश्री) टी. कुमार
श्री गिरीश शंकर

स्वतंत्र निदेशक

श्री अनुगोलू वैंकट रतनम
डॉ. (सुश्री) उषा किरण राय

कंपनी सचिव

श्री वी के जैन

पंजीकृत कार्यालय

स्कोप कॉम्प्लेक्स
कोर 8, छठा तल
7 लोदी रोड
नई दिल्ली – 110003

सांविधिक लेखापरीक्षक

मै. वी. के. वर्मा एंड कंपनी
सी–37, कनॉट प्लेस
नई दिल्ली – 110001

शाखा लेखापरीक्षक

मै. ए. के. पटेल एंड एसोसिएट्स
मै. विनोद सिंघल एंड कं.
मै. जैन एंड जैन
मै. जे. पी. गोयल एंड कं.
मै. गुरु एंड राम
मै. एम. एन. एस. एंड कं.
मै. नरेन्द्र एंड कं.
मै. पचनंदा एंड एसोसिएट्स
मै. सलारपुरिया जाजोदिया एंड कं.
मै. सन्तोष के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
मै. किशोर एंड किशोर

बैंकर्स

केनरा बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
कॉरपोरेशन बैंक
इंडियन बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
एचडीएफसी बैंक
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
सिंडीकेट बैंक
एक्सिस बैंक
इंडसइंड बैंक
आईसीआईसीआई बैंक

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल
7 लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 टेलीफैक्स : 011–24360249
ई–मेल : cs_itdc@theashokgroup.com वेबसाइट : http://www.theashokgroup.com
सीआईएन : एल74899डीएल1965जीओआई004363

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की 50वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 28 सितम्बर, 2015 को 1600 बजे अशोक होटल, नई दिल्ली–110021 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी :–

सामान्य कार्य

(1) 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरण तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना।

(2) 31 मार्च, 2015 को समेकित वित्तीय विवरण तथा उन पर लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना।

(3) निदेशक बोर्ड की सिफारिश के अनुसार कम्पनी की ईक्विटी शेयर पूंजी पर 20 प्रतिशत (अर्थात् ₹ 2.00 प्रति शेयर) के लाभांश की घोषणा करना, जो ₹ 17,15,38,800 राशि के समतुल्य है।

(4) संस्था अंतर्नियमावली के अंतर्नियम 61 के अधीन रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे निदेशक श्री गिरीश शंकर (डीआईएन 02981860), जिन्होंने पात्र होने के नाते अपनी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

विशेष कार्य

(5) निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि श्री उमंग नरूला (डीआईएन 03536402), जिन्हें निदेशक बोर्ड द्वारा 22 अप्रैल, 2015 को आयोजित उनकी बैठक में अपर निदेशक नियुक्त किया गया है और जिनका कार्यकाल इस वार्षिक आम बैठक के समापन के साथ समाप्त होने वाला है और जिनके संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अन्तर्गत एक सदस्य से सूचना प्राप्त हो चुकी है, उनको कम्पनी के निदेशक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है।"

(6) निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि श्री पीयूष तिवारी (डीआईएन 07194427), जिन्हें निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक 29 मई, 2015 को आयोजित उनकी बैठक में 28 मई, 2015 से अपर निदेशक नियुक्त किया गया है और जिनका कार्यकाल इस वार्षिक आम बैठक के समापन के साथ समाप्त होने वाला है और जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत एक सदस्य से सूचना प्राप्त हो चुकी है, उनको कंपनी के निदेशक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है।

निदेशक बोर्ड के आदेश द्वारा

ह./–
(वी. के. जैन)
कम्पनी सचिव
एसीएस 11270

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 01.09.2015

टिप्पणियां :

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुरूप सूचना में उल्लिखित विशेष कार्य के संदर्भ में विवरण संलग्न है।

2. वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के संदर्भ में अतिरिक्त सूचनाएं प्रदान की गई हैं और सूचना का भाग हैं।

3. बैठक में उपस्थित होने और मत देने का पात्र सदस्य स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने और मत देने के लिए एक परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार रखता है, और परोक्षी के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी को प्रभावी बनाने के लिए आवेदन कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के आयोजन के न्यूनतम 48 घंटे पूर्व अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परोक्षी फार्म संलग्न है। कम्पनियों, संस्थाओं आदि की ओर से प्रस्तुत परोक्षी फार्मों को एक उचित संकल्प/प्राधिकारी, जैसा लागू हो, द्वारा समर्थन अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

   कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों, जिनके पास अधिकतम पचास शेयर और कुल शेयर पूंजी का औसतन 10 प्रतिशत से अधिक न हो, द्वारा एक व्यक्ति को परोक्षी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

4. सदस्य/परोक्षी को बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत भरी और हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची साथ लाना आवश्यक है।

5. कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सूचीकरण करार के खंड 35 (बी) के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी इस वार्षिक आम बैठक में कार्यमदों के संबंध में कम्पनी के उन सभी शेयरधारकों को दूरस्थ ई–मतदान के साथ–साथ मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है, जिनके नाम अंतिम तिथि अर्थात् 20 सितम्बर, 2015 को दर्ज किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि., रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। ई–मतदान के लिए निर्देश उपस्थिति पर्ची के पीछे दिए गए हैं, जिन्हें वार्षिक रिपोर्ट के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

   सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपना ई–मत डालने से पूर्व निर्देशों को भली–भांति पढ़ लें। एक प्रस्ताव पर किसी सदस्य द्वारा एक बार मतदान करने के बाद उस सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सदस्य, जो अपना मत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे चुके हैं, को बैठक में उपस्थित रहने की अनुमति होगी परन्तु बैठक में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। वे सदस्य, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान नहीं किया है, बैठक में मतदान–पत्र में अपना मतदान कर सकते हैं।

   ऐसा व्यक्ति, जो बैठक की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कंपनी का सदस्य बना हो और अंतिम तिथि अर्थात् 20 सितम्बर, 2015 को कंपनी के शेयर रखता हो, भी मतदान करने का पात्र होगा और वह यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने का तरीका ई–मतदान संबंधी अनुदेशों में दिया गया है।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अंतर्गत निदेशकों तथा केएमपी और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत संविदा अथवा व्यवस्था का रजिस्टर, जिसमें निदेशकों के हित हैं, वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

7. सदस्यों से अनुरोध है कि :–

   क) वार्षिक रिपोर्ट, सूचना की प्रतियाँ तथा विधिवत पूर्ण व हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची बैठक में अवश्य लाएं।

   ख) बैठक स्थल के प्रवेश द्वार पर विधिवत पूर्ण व हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची दिखाएं।

   ग) ध्यान दें कि उपस्थिति पर्ची/परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर, कम्पनी/कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लि., रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट (आरटीए)/निक्षेपी भागीदार (डीपी) के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार होने चाहिए।

   घ) ध्यान दें कि संयुक्त धारकों के बैठक में उपस्थित होने के मामले में केवल वह संयुक्त धारक ही मतदान करने का पात्र होगा, जिसका नाम क्रम में ऊपर होगा।

   ङ) सभी पत्राचार में अपने फोलियो/ग्राहक आईडी और डीपी आईडी संख्या का उल्लेख करें।

   च) ध्यान दें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

8. कम्पनी का सदस्य रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तिका सोमवार, 21 सितम्बर, 2015 से रविवार, 27 सितम्बर, 2015 तक (दोनों दिनों सहित) वार्षिक आम बैठक तथा लाभांश के भुगतान के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगी।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अध्यधीन निदेशक बोर्ड की सिफारिश से यदि लाभांश बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 20 सितम्बर, 2015 को समाप्त कार्य घंटों को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे।

10. प्रत्यक्ष रूप से बहुफोलियो में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे समेकन हेतु संगत शेयर प्रमाण–पत्र के साथ आरटीए को आवेदन करें।

11. वित्त वर्ष 2007–08 के लिए दावारहित लाभांश, केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में 13.04.2016 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुरूप अंतरण के लिए देय होगा।

    सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वित्त वर्ष 2007–08 से वित्त वर्ष 2013–14 की समाप्ति तक तथा उसके सहित संबंधित दावारहित लाभांश का विवरण कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.theashokgroup.com पर **"हमारे बारे में–निवेशक कॉर्नर"** आइकन के अंतर्गत उपलब्ध है।

    सदस्य, जिनके उपर्युक्त वित्त वर्षों से संबंधित लाभांश वारंट भुनाए नहीं गए हैं, कम्पनी को लिखें।

12. सेबी ने प्रतिभूति बाजार में हर भागीदार द्वारा पैन जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपी भागीदारों के पास पैन जमा करें, जिनके साथ उनका डिमैट खाता है। प्रत्यक्ष रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्य अपना पैन विवरण आरटीए/कम्पनी के पास जमा कर सकते हैं।

13. सदस्यों, जिन्होंने अभी तक अपने ई–मेल पते कम्पनी या निक्षेपी भागीदारों के साथ दर्ज नहीं कराए हैं, से ई–मेल पते दर्ज कराने का पुनः अनुरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जिन सदस्यों की शेयरधारिता इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, उनसे अनुरोध है कि वे पता, बैंक अधिदेश, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) में परिवर्तन संबंधी ब्यौरा अपने संबंधित निक्षेपी भागीदार को भेजें।

14. वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, ई–मतदान के लिए निर्देशों और उपस्थिति पर्ची के साथ उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनकी ई–मेल आईडी आरटीए/निक्षेपी भागीदारों के साथ संचार के उद्देश्य से दर्ज हैं, बशर्ते कि उन्होंने मुद्रित प्रति के लिए अनुरोध न किया हो। जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते दर्ज नहीं कराएं हैं, उन्हें 2014–15 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रत्यक्ष प्रतियां अनुमत माध्यम से भेजी जा रही हैं। सदस्य इन दस्तावेजों को कम्पनी की वेबसाइट www.theashokgroup.com पर **"हमारे बारे में–निवेशक कॉर्नर"** आइकन के अंतर्गत भी देख सकते हैं और इन दस्तावेजों की प्रत्यक्ष प्रतियां निरीक्षण के लिए कार्यदिवसों पर सामान्य कार्यसमय के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं। सदस्य, जिन्हें इन दस्तावेजों की ई–प्रति के साथ प्रत्यक्ष रूप में आवश्यकता है, हमें लिख सकते हैं।

15. सदस्यों को यदि लेखाओं या कार्यसूची में शामिल किसी अन्य मद के संबंध में कोई प्रश्न पूछना हो, तो अनुरोध है कि वे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर अपना प्रश्न न्यूनतम 10 दिन पहले भेज दें, ताकि कंपनी संबंधित सूचना एकत्रित करके बैठक के समय उसे तैयार रख सके।

16. कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के संदर्भ में, कम्पनी ने इस वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित प्रस्तावों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लि. की सेवाएं ली हैं। कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने श्री जलज श्रीवास्तव (सदस्यता संख्या 8498), साझीदार मैसर्स जलज श्रीवास्तव एण्ड एसोसिएट्स, व्यावसायी कम्पनी सचिव को इस उद्देश्य के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है।

17. संलग्न नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज तथा व्याख्यात्मक विवरण शनिवार को छोड़कर सभी कार्यदिवसों में सामान्य कार्यसमय (प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) के दौरान, कंपनी की वार्षिक आम बैठक की तिथि सहित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 5 :

आईटीडीसी की संस्था अंतर्नियमावली का खंड 61 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति कम्पनी के नाम लिखित में सूचना द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम पर बनाए और क्रियान्वित एक आदेश और भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के अनुसार अधिप्रमाणित आईटीडीसी में अंशकालिक अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों सहित निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं।

2. संस्था अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 13.04.2015 के आदेश संख्या 6/4/2014–पीएसयू(टी) में सूचित किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने श्री उमंग नरूला, आईएएस (जेके : 89) को आईटीडीसी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में ₹ 37,400–67,000 के वेतनमान में ₹ 10,000/– के ग्रेड–वेतन के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए पद का कार्यभार संभालने की तिथि से या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है।

3. प्रबंध निदेशक की परिभाषा के अनुसार, प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले किसी व्यक्ति को आवश्यक रूप से एक निदेशक होना चाहिए। आईटीडीसी की संस्था अंतर्नियमावली के खंड 61(सी) के अनुसार बोर्ड के पास किसी व्यक्ति को एक कम्पनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। इसके अनुसार बोर्ड ने 22 अप्रैल, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में श्री उमंग नरूला को अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया। चूंकि, अपर निदेशक को अगली वार्षिक आम बैठक तक कार्यालय संभालना था, अतः उनकी नियुक्ति को इस वार्षिक आम बैठक में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अन्तर्गत नियमित करने की आवश्यकता होगी। आईटीडीसी को एक शेयरधारक से श्री उमंग नरूला के लिए रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः शेयरधारकों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अन्तर्गत श्री उमंग नरूला की रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में नियुक्ति का संकल्प प्रस्तुत किया जाता है।

4. श्री उमंग नरूला स्वयं और उनके संबंधियों को छोड़कर किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और उनके संबंधियों का संकल्प में कोई हित नहीं है।

मद संख्या 6 :

आईटीडीसी की संस्था अंतर्नियमावली का खंड 61 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति कम्पनी के नाम लिखित में सूचना द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम और क्रियान्वित आदेश द्वारा और भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के अनुसार अधिप्रमाणित आईटीडीसी में अंशकालिक अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों सहित निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं।

2. संस्था अंतर्नियमावली के खंड 61 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 22.05.2015 के आदेश संख्या 6/1/2014–पीएसयू(टी) में सूचित किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने श्री पीयूष तिवारी, डीजीएम (विपणन) एवं आरएम (उत्तर), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को आईटीडीसी में निदेशक (वाणिज्यिक और विपणन) के रूप में ₹ 65,000–75,000/– के वेतनमान में 5 वर्ष की अवधि के लिए पद का कार्यभार संभालने की तिथि से या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार श्री पीयूष तिवारी पूर्णकालिक निदेशक हैं। पूर्णकालिक निदेशक अनिवार्यतः निदेशक होना चाहिए। आईटीडीसी की संस्था अंतर्नियमावली के खंड 61(ग) के अनुसार बोर्ड को किसी व्यक्ति को कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। तदनुसार, बोर्ड ने 29 मई, 2015 को संपन्न अपनी बैठक में श्री पीयूष तिवारी को 28 मई, 2015 (अर्थात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि) से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया। चूंकि अपर निदेशक को अगली वार्षिक बैठक की तिथि तक कार्य करना था, इसलिए उनकी नियुक्ति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत इस वार्षिक आम बैठक में नियमित किया जाना अपेक्षित होगा। आईटीडीसी को एक शेयरधारक से श्री पीयूष तिवारी के लिए रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः, शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत श्री पीयूष तिवारी की रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में नियुक्ति का संकल्प प्रस्तुत किया जाता है।

4. श्री पीयूष तिवारी स्वयं और उनके संबंधियों को छोड़कर किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधियों का संकल्प में कोई हित नहीं है।

निदेशक बोर्ड के आदेश से

ह./–

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 01.09.2015

(वी.के. जैन)
कम्पनी सचिव
एसीएस 11270

सेवा में

(i) भारत पर्यटन विकास निगम लि. के सभी सदस्यगण

(ii) मैसर्स वी. के. वर्मा एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटैंट्स, सी–37, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

(iii) मैसर्स पी. सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, #2382, सेक्टर–16, फरीदाबाद–121002

(iv) मैसर्स जलज श्रीवास्तव एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, एमजेड–31, अंसल फॉर्चून आर्केड, के ब्लॉक, सेक्टर 18, नोएडा–201301

(v) भारत पर्यटन विकास निगम लि. के निदेशक बोर्ड के सभी निदेशकगण

(vi) सभी स्टॉक एक्सचेंज

नियुक्त किए जाने वाले निदेशकों और रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के पात्र तथा पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के संबंध में सूचीकरण करार के खंड 49 के अंतर्गत यथापेक्षित विवरण

श्री उमंग नरूला : श्री उमंग नरूला 1989 बैच के जम्मू और कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। आईटीडीसी में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य करने से पहले वे जम्मू और कश्मीर में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईओ) रह चुके हैं। वे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के तहत संस्कृति विभाग में 1998–2002 तक उप–सचिव भी रह चुके हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। जम्मू और कश्मीर में, वे कारगिल में उपायुक्त थे और बाद में अनंतनाग जिले में स्थानांतरित किए गए। इस राज्य में उन्होंने जिन विभागों में अपनी सेवाएं दीं, उनमें उद्योग और वाणिज्य, ग्रामीण विकास तथा चुनाव विभाग शामिल हैं। वे आईटीडीसी की 8 संयुक्त उद्यम कंपनियों में अध्यक्ष/निदेशक के रूप में भी कार्य देख रहे हैं और कुमाराक्रुपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। वे आईडीडीसी के शेयरधारक नहीं हैं।

श्री पीयूष तिवारी : श्री पीयूष तिवारी इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। इससे पहले वे इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उपक्रम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक (उत्तर) तथा उप महाप्रबंधक थे। अपने 28 वर्षों से भी अधिक के करियर में श्री तिवारी ने विभिन्न पदों पर भारत में सभी चार क्षेत्रों (उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण) में लौह और इस्पात के प्रमुख उपभोग केंद्रों को प्रशासित किया है। श्री तिवारी को इस्पात उद्योग में लाभ केंद्र प्रचालनों, विपणन तथा व्यवसाय विकास (बी2बी और बी2सी) के प्रबंधन और समग्र व्यवसाय दृष्टिकोण के साथ विकास के लिए कार्यनीतियां बनाने का गहन अनुभव है।

श्री तिवारी आईटीडीसी की 8 संयुक्त उद्यम कंपनियों के निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। वे आईटीडीसी के शेयरधारक नहीं हैं।

श्री गिरीश शंकर : श्री गिरीश शंकर इस समय पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार में अपर सचिव हैं। श्री गिरीश शंकर 1982 बैच के आईएएस हैं। इससे पहले वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव तथा बिहार राज्य में विभिन्न विभागों, जिनमें गृह, शहरी विकास, आवास, मंत्रिमंडल सचिवालय, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं, में प्रमुख सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।

श्री गिरीश शंकर के पास पहले 23.04.2013 से 11.05.2014 तक आईटीडीसी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार था और 10.12.2014 से 23.04.2015 तक आईटीडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार था। इस समय वे आईटीडीसी में 24.04.2015 से सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वे आईटीडीसी के शेयरधारक नहीं हैं।

निदेशक बोर्ड के आदेश से

ह./–

(वी.के. जैन)
कम्पनी सचिव
एसीएस 11270

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 01.09.2015

निदेशकों की रिपोर्ट (2014–15)

प्रिय शेयरधारको,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ निगम की 50वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

आपके निगम ने पिछले वर्ष 2013–14 के ₹ 469.58 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 504.19 करोड़ का कुल कारोबार किया, जोकि समग्र रूप से 7.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। एटीटी प्रभाग को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रभागों के कुल कारोबार में वृद्धि हुई है। निगम को पिछले वर्ष 2013–14 के ₹ 11.93 करोड़ के निवल लाभ (कर–पूर्व) की तुलना में वित्त वर्ष 2014–15 में ₹ 38.95 करोड़ का निवल लाभ (कर–पूर्व) हुआ है।

कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं

निगम (केवल भारत पर्यटन विकास निगम लि.) के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014–15	2013–14
कुल कारोबार	504.19	469.58
प्रचालन लाभ/(हानि)	51.68	21.76
घटाएं : मूल्यह्रास	10.26	5.96
घटाएं : वित्त लागत	0.20	-
घटाएं : पूर्व–अवधि समायोजन व असाधारण मदें	2.27	3.87
कर–पूर्व लाभ/(हानि)	38.95	11.93
जोड़ें : आस्थगित–कर	4.42	1.00
घटाएं : आयकर के लिए प्रावधान	9.50	3.50
घटाएं : धनकर के लिए प्रावधान	0.01	0.01
जोड़ें : पूर्व वर्षों में पुनरांकित आयकर के लिए प्रावधान	0.51	-
कर–पश्चात् लाभ/(हानि)	34.37	9.42
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	34.37	9.42
प्रस्तावित लाभांश	17.15	4.29
लाभांश कर	3.49	0.73
ईक्विटी पूंजी	85.77	85.77
नियोजित पूंजी	279.77	276.23
पूंजी पर प्रतिफल की दर :		
कर–पूर्व	45.41%	13.91%
कर–पश्चात्	40.07%	10.98%
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की दर :		
कर–पूर्व	13.92%	4.32%
कर–पश्चात्	12.29%	3.41%

प्रचालन अनुपात

समग्र प्रचालन अनुपात पिछले वर्ष 2013–14 के 95.37 प्रतिशत की तुलना में 5.62 प्रतिशत कम होकर चालू वर्ष में 89.75 प्रतिशत रहा है।

प्रभागवार वित्तीय निष्पादन

निगम का प्रभागवार वित्तीय निष्पादन संक्षेप में निम्नप्रकार है :–

(i) होटल प्रभाग ने पिछले वर्ष के कुल कारोबार ₹ 262.88 करोड़ की तुलना में इस वर्ष के दौरान ₹ 283.90 करोड़ हासिल किया है, जोकि 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और इसने पिछले वर्ष की ₹ 4.58 करोड़ की निवल हानि की तुलना में ₹ 10.81 करोड़ का निवल लाभ कमाया है।

(ii) अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार (एआईटी) प्रभाग का कुल कारोबार पिछले वर्ष के ₹ 9.40 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 10.96 करोड़ हो गया है। अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग ने ₹ 1.59 करोड़ की निवल हानि की तुलना में ₹ 0.84 करोड़ का निवल लाभ कमाया है।

(iii) अशोक ट्रैवल्स एंड टुअर्स प्रभाग का कुल कारोबार पिछले वर्ष के ₹ 123.08 करोड़ की तुलना में थोड़ा–सा घटकर ₹ 119.70 करोड़ रह गया। एटीटी प्रभाग को पिछले वर्ष की ₹ 1.98 करोड़ की निवल हानि की तुलना में ₹ 0.75 करोड़ का लाभ हुआ है।

(iv) अशोक टूरिस्ट सर्विस स्टेशन का कुल कारोबार पिछले वर्ष के ₹ 12.96 करोड़ से घटकर ₹ 11.73 करोड़ रह गया। एटीएसएस की निवल हानि ₹ 0.31 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष ₹ 0.28 करोड़ की निवल हानि हुई थी। यह एकक विगत में निरतंर हानि उठाता रहा है। 20 अक्तूबर, 2014 को संपन्न आईटीडीसी निदेशक बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एटीएसएस को 17.02.2015 से बंद कर दिया गया है।

(v) अशोक सर्जक प्रभाग (ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन, लाल किला सहित) का कुल कारोबार ₹ 12.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.89 करोड़) रहा और ₹ 1.57 करोड़ की निवल हानि की तुलना में ₹ 0.43 करोड़ की निवल हानि हुई है।

(vi) वर्ष 2014–15 के दौरान इंजीनियरिंग प्रभाग ने ₹ 8.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.91 करोड़) का कुल कारोबार किया और इसे ₹ 5.34 करोड़ की निवल हानि हुई, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ₹ 6.84 करोड़ की निवल हानि हुई थी।

(vii) अशोक समारोह प्रभाग का कुल कारोबार बढ़कर ₹ 11.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10.99 करोड़) हो गया और पिछले वर्ष के ₹ 0.66 करोड़ के लाभ की तुलना में ₹ 2.11 करोड़ का निवल लाभ हुआ।

(viii) अशोक आतिथ्य व पर्यटन प्रबंध संस्थान (एआईएचएंडटीएम) ने पिछले वर्ष के ₹ 8.71 करोड़ की तुलना में ₹ 18.23 करोड़ का कुल कारोबार किया और ₹ 2.79 करोड़ का निवल लाभ हुआ (पिछले वर्ष ₹ 1.35 करोड़ का निवल लाभ)।

(ix) निगम मुख्यालय ने प्रशासनिक कार्यालय होने के नाते ₹ 27.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 26.76 करोड़) की आय अर्जित की है, जोकि मुख्य रूप से इसके पास उपलब्ध अधिशेष निधियों से बैंकों में अल्पावधि जमाराशियों पर प्राप्त ब्याज की आय है।

पूंजीगत संरचना

निगम की अधिकृत तथा प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 31 मार्च, 2015 को निगम की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 150 करोड़ तथा कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 85.77 करोड़ है।

लाभांश

निदेशक बोर्ड ने कम्पनी की ईक्विटी शेयर पूंजी पर वित्त वर्ष 2014–15 के लिए 20 प्रतिशत लाभांश की सिफारिश की है।

आरक्षित निधि में अंतरण

सामान्य आरक्षित निधि में ₹ 14 करोड़ की राशि अंतरित की गई है।

समझौता–ज्ञापन लक्ष्यों की तुलना में भारत पर्यटन विकास निगम की रेटिंग

भारत सरकार के साथ हुए समझौता–ज्ञापन के संदर्भ में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कम्पनी के वर्ष 2013–14 के कार्यनिष्पादन को 3.466 संयुक्त स्कोर के साथ "अच्छा" अधिसूचित किया गया है।

प्रबंध चर्चा व विश्लेषण

प्रबंध चर्चा व विश्लेषण पर रिपोर्ट **अनुबंध–I** में संलग्न है।

योजनागत स्कीमें

वर्ष 2014–15 के लिए पूंजीगत व्यय के प्रति संशोधित पूंजीगत बजट अनुमान ₹ 26.15 करोड़ था, जिसमें वर्तमान होटलों, खानपान एककों एवं अन्य प्रभागों के नवीकरण/सुधार के लिए ₹ 23.83 करोड़ की राशि शामिल थी। वर्ष 2014–15 के दौरान पूंजीगत व्यय ₹ 11.54 करोड़ था, जिसमें से ₹ 4.77 करोड़ पूंजीकृत किए गए तथा ₹ 6.77 करोड़ राजस्व में प्रभारित किए गए।

वर्ष 2015–16 का योजना परिव्यय ₹ 45.64 करोड़ है, जिसमें से ₹ 42.47 करोड़ वर्तमान होटलों, खानपान एककों, अन्य प्रभागों में नवीकरण/सुधार कार्यों से संबंधित हैं।

एमएसएमई से खरीद

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान एमएसएमई से कुल खरीद लगभग ₹ 23 लाख थी।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी ने प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से अपने सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रखे। हिंदी में निर्धारित मात्रा में काम करने वालों को नकद प्रोत्साहन दिए गए। हिंदी की कार्यशालाएं आयोजित करके हिंदी में टिप्पण व मसौदा लेखन तथा अन्य कार्यों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिससे कि राजभाषा का दैनिक कामों में प्रचलन बढ़ सके। निगम में राजभाषा के प्रयोग को

प्रोत्साहित करने हेतु हिंदी कवि–गोष्ठी, लोक नृत्य मंचन तथा राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किए गए।

ऊर्जा संरक्षण एवं तकनीकी समावेशन

ऊर्जा संरक्षण की प्रतिबद्धता सभी एककों में प्रचालन के विविध स्तरों पर रहती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण, ऊर्जा संरक्षण नीतियां एवं पद्धतियां इस दिशा में किए गए प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

चूंकि आपकी कम्पनी के प्रचालनों में कोई तकनीकी समावेशन नहीं है, इसलिए तकनीकी समावेशन के संबंध में कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3)(ख) के अनुसार विवरण लागू नहीं है।

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

वर्ष 2014–15 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा आय पिछले वर्ष के ₹ 15.87 करोड़ की तुलना में घटकर ₹ 12.99 करोड़ रही है।

सहायक कम्पनियाँ

निगम की सात सहायक कंपनियां हैं, अर्थात् (i) डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, (ii) असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, (iii) मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, (iv) पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, (v) रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, (vi) उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, (vii) पंजाब अशोक होटल कम्पनी लिमिटेड। उपर्युक्त सहायक कंपनियों के अधीन होटल एकक क्रमशः ईटानगर, गुवाहाटी, भोपाल, पुदुचेरी और रांची में स्थापित किए गए थे। पुरी स्थित होटल एकक मार्च, 2004 से बंद है और उसे पट्टे पर देने की योजना है। आनंदपुर साहिब में होटल परियोजना अधूरी है। इसके अतिरिक्त निगम की एक सहयोगी कंपनी अर्थात् आईटीडीसी एल्डिआसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है।

सभी सहायक कंपनियों के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा करके अंतिम रूप दिया गया है तथा समेकित वार्षिक लेखे तैयार करके इस वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। सहायक कंपनियों की विशेषताओं का विवरण निर्धारित प्रपत्र **एओसी–1** में दिया गया है, जो समेकित वित्तीय लेखे 2014–15 का भाग है।

सतर्कता तंत्र और विसल ब्लोअर नीति

निगम की एक विसल ब्लोअर नीति है, जो वेबसाइट http://www.theashokgroup.com/Aboutus/rti पर दी गई है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते निगम का एक सतर्कता विभाग है। सतर्कता प्रभाग के अध्यक्ष, मुख्य सतर्कता अधिकारी, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), जो एक स्वतंत्र सरकारी एजेंसी है, के सीधे नियंत्रण में हैं।

निदेशक बोर्ड

वर्ष के दौरान, कंपनी कार्यों को निष्पादित करने के लिए निदेशक बोर्ड की आठ बैठकें हुईं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, डॉ. समीर शर्मा (12.05.2014 से 09.12.2014 तक) को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। सरकारी नामिती निदेशक एवं अपर सचिव (पर्यटन), श्री गिरीश शंकर को 23.04.2013 से

11.05.2014 तक प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था तथा 10.12.2014 से 23.04.2015 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का प्रभार दिया गया था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, डॉ. समीर शर्मा और कोमोडोर (सेवानिवृत्त) आर. के. ओखन्दियार बोर्ड में निदेशक के रूप में नहीं रहे। श्री त्रिनाथ बेहेरा, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी ने 30 मार्च, 2015 को त्याग–पत्र का तीन महीने का नोटिस दिया। उनका त्याग–पत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 30 जून, 2015 के पत्र द्वारा स्वीकृत किया गया था और तदनुसार उन्हें 30 जून, 2015 को आईटीडीसी की सेवाओं से मुक्त किया गया था। निदेशक बोर्ड ने उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दी गई मूल्यवान सेवाओं के लिए उनकी सराहना की। बोर्ड की वर्तमान संरचना निम्नप्रकार है :

(i) श्री उमंग नरूला, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, 24.04.2015 से

(ii) श्री पीयूष तिवारी, निदेशक (वाणिज्यिक एवं विपणन), 28.05.2015 से

(iii) डॉ. (सुश्री) टी. कुमार, सरकारी नामिती निदेशक, 04.09.2013 से

(iv) श्री गिरीश शंकर, सरकारी नामिती निदेशक, 24.04.2015 से

(v) श्री अनुगोलू वैंकट रतनम, स्वतंत्र निदेशक, 07.10.2013 से

(vi) डॉ. उषा किरण राय, स्वतंत्र निदेशक, 10.12.2013 से

संस्था अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 61 के अनुसार श्री गिरीश शंकर, निदेशक रोटेशन के आधार पर आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्होंने पात्र होने के नाते अपनी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है। रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए पात्र निदेशकगण और जो पुनर्नियुक्ति चाहते हैं, के संबंध में सूचीकरण करार के खण्ड–49 के अंतर्गत अपेक्षित प्रोफाइल आदि का विवरण वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ दिया गया है।

प्रशिक्षण नीति तथा निदेशकों को दिया गया प्रशिक्षण

निगम ने बोर्ड के सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण नीति तैयार की है। इस नीति के अनुसार, आईटीडीसी बोर्ड के सदस्यों को स्कोप तथा डीपीई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, गैर–सरकारी निदेशकों के शामिल होने पर, आईटीडीसी आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमए, आईआईएम इत्यादि जैसे व्यावसायिक संस्थानों से निदेशकों की भूमिका और उत्तरदायित्व पर भी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकता है।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान गैर–सरकारी निदेशकों ने लोक उद्यम विभाग द्वारा ज्ञान साझीदार के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के साथ सीपीएसई के गैर–सरकारी निदेशकों की क्षमता निर्माण के लिए आयोजित अर्ध–दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से यह आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 149(6) तथा सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित स्वतंत्रता की पात्रता रखता/रखती है।

बोर्ड का मूल्यांकन

बोर्ड का समग्र रूप से तथा स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित पात्रता तथा फ्रेमवर्क के आधार पर किया गया था। समिति द्वारा निर्धारित मूल्यांकन पात्रता के आधार पर बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन छह क्षेत्रों में किया गया था। स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन भी 1 से 5 के मानदंड पर तैयार की गई प्रश्नावली पर आधारित छह क्षेत्रों में किया गया था। स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी पृथक बैठक में गैर–स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन किया था।

किसी भी स्वतंत्र निदेशक की पुनर्नियुक्ति शेष नहीं है।

ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आईटीडीसी ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स उत्कल अशोक निगम लिमिटेड को सांविधिक देयताओं तथा दैनिक व्यय के लिए 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर पर ₹ 7,32,320 का ऋण दिया है।

निगम अभिशासन

सूचीकरण करार के खण्ड 49 की आवश्यकतानुसार निगम अभिशासन पर विस्तृत रिपोर्ट एवं निम्नलिखित दस्तावेज **अनुबंध–II** में संलग्न हैं, जो इस रिपोर्ट का भाग हैं।

(i) सीईओ/सीएफओ प्रमाण–पत्र [खंड 49 (ix) के अनुसार]; और

(ii) कम्पनी के लेखापरीक्षकों का प्रमाण–पत्र [खंड 49 (xi) के अनुसार] और टिप्पणियों पर प्रबंधकवर्ग के उत्तर।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) की आवश्यकतानुसार एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि :–

- 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है तथा विचलनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं;
- निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उनको संगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे उचित व विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए हैं, जिससे वित्त वर्ष के अन्त में कम्पनी के कार्यों तथा समीक्षाधीन वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ के संबंध में सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत कर सके;
- निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकॉर्डों के रखरखाव के लिए उचित तथा उपयुक्त ध्यान रखा है;
- निदेशकों ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखाओं को "चालू प्रतिष्ठान" आधार पर तैयार किया है;
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से प्रचालन में थे;
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां तैयार की थीं और ये प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से प्रचालन में थीं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

निगम में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप है। निदेशक बोर्ड ने कारोबार का निष्पादन सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नीतियां और लाइसेंसीकरण कार्यविधि, क्रय कार्यविधियां, इंजीनियरिंग तथा कार्य मैनुअल, शक्तियों का प्रत्यायोजन जैसी कार्यविधियां निर्धारित की हैं।

आईटीडीसी के सभी एककों/वर्टिकल्स की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटैंट फर्मों की व्यावसायी सेवाओं का लाभ उठाया जाता है। निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित विस्तृत आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल सभी एककों में परिचालित किया गया है।

आंतरिक लेखापरीक्षक आंतरिक जांच और नियंत्रण प्रणालियों की कारगरता और उपयुक्तता की निगरानी करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा त्रैमासिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। जब भी अपेक्षित हो, एककों/वर्टिकल्स द्वारा सुधारात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं। महत्त्वपूर्ण टिप्पणियां, यदि कोई हों, लेखापरीक्षा समिति को सूचित की जाती हैं।

संबंधित पार्टी लेनदेन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत रिपोर्ट करने योग्य कोई महत्त्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ है। लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड ने संबंधित पार्टी लेनदेन की महत्ता संबंधी नीति अनुमोदित की है, जिसे कंपनी की वेबसाइट http://www.theashokgroup.com/Aboutus/Investorcorner पर दिया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन–उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अंतर्गत रिपोर्ट

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन–उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अधीन कोई भी मामला नहीं है।

निगम सामाजिक दायित्व और सतत् विकास

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधि पर्यटन मंत्रालय के संरक्षण में कुतुब मीनार पर चलाई गई अग्रणी परियोजना "स्वच्छ भारत" और झारखंड राज्य में सुदूर गांवों में शौचालय ब्लॉकों का निर्माण था।

"स्वच्छ भारत" के अंतर्गत आईटीडीसी को कुतुब मीनार की स्वच्छता और रखरखाव का कार्य सौंपा गया है।

आईटीडीसी ने तीन शौचालय बनाए हैं, जो निम्नप्रकार हैं :–

1. बालिका विद्यालय, सिंदूरी गांव, डाल्टनगंज, झारखंड

2. बालिका विद्यालय, पुबीडिया गांव, झारखंड

3. बालिका विद्यालय, कुच्छू गांव, हुंदु, अंगारा ब्लॉक, झारखंड

31.03.2015 को उपर्युक्त शौचालय ब्लॉकों का निर्माण का कार्य प्रगति पर था।

सीएसआर गतिविधियों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट तथा सतत् विकास गतिविधियों संबंधी रिपोर्ट **अनुबंध–III के क्रमशः भाग क और भाग ख** में दी गई हैं।

जोखिम प्रबंधन नीति और उसका कार्यान्वयन

आईटीडीसी बोर्ड ने 11 मई, 2010 को हुई अपनी बैठक में जोखिमों की पहचान और उपशमन के लिए एक सुदृढ़ प्रक्रिया निर्धारित करते हुए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति के अनुसार, सभी रणनीतिक प्रभागों के एकक अध्यक्षों को जोखिम प्रबंधक के रूप में नामित किया गया है और निगम की जोखिम प्रबंधन नीति की निगरानी करने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक (वाणिज्यिक और विपणन) की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन अनुपालन समिति (आरएमसीसी) का गठन किया गया है।

आईटीडीसी के विभिन्न एककों/प्रभागों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार कंपनी के विशेष जोखिम निम्न प्रकार हैं :

आर्थिक जोखिम : एक ग्राहक पर निर्भरता

औद्योगिक जोखिम : बाजार शेयर को खतरा

कार्मिक जोखिम : पर्याप्त कौशल की अनुपलब्धता

राजनीतिक जोखिम : परिसंपत्ति सुरक्षा को खतरा

कानूनी जोखिम : संविदात्मक जोखिम और कर जोखिम

लेखापरीक्षक एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2)/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अधीन वर्ष 2014–15 के लिए चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स मैसर्स वी. के. वर्मा एंड कंपनी को कम्पनी का सांविधिक लेखापरीक्षक तथा विभिन्न शाखा लेखापरीक्षक के रूप में भी नियुक्त किया है। वर्ष 2014–15 के लेखाओं (एकल और समेकित) पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों और अवलोकनों पर प्रबंधकवर्ग के उत्तर **अनुबंध–IV, V** और **VI** में दिए गए हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

आईटीडीसी बोर्ड ने 20 अक्तूबर, 2014 को हुई अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अधीन अपेक्षानुसार सचिवीय लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए कंपनी सचिव, मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी को सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। वर्ष 2014–15 की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **अनुबंध–VII** पर तथा वर्ष 2014–15 की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधकवर्ग का उत्तर **अनुबंध–VIII** पर दिया गया है।

वार्षिक विवरण का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (क) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक विवरण का सार बोर्ड की रिपोर्ट के साथ **अनुबंध–IX** में संलग्न है।

महत्त्वपूर्ण और आवश्यक आदेश

विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण और आवश्यक आदेश पारित नहीं किया गया है, जो चालू प्रतिष्ठान की हैसियत और भविष्य में कंपनी के प्रचालन को प्रभावित करता हो।

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखाओं पर टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई हैं।

वित्त वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

वित्त वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं है।

आभार

(i) निदेशक बोर्ड कंपनी के ग्राहकों द्वारा संगठन को अपना समर्थन देने और संगठन पर विश्वास बनाए रखने के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता है और भविष्य में भी यह संबंध जारी रखने की आशा करता है।

(ii) निदेशक बोर्ड कम्पनी के प्रचालनों और विकास योजनाओं में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है। निदेशक बोर्ड भारत पर्यटन विकास निगम परिवार के सभी सदस्यों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है, जिनके उत्साह, समर्पण और सहयोग से कंपनी प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

ह./–
(उमंग नरूला)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

तारीख : 14.08.2015
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध–I

प्रबंध चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

वैश्विक एवं भारतीय परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में वर्ष 2013–14 के दौरान दर्ज 6.9 प्रतिशत की अपेक्षा वर्ष 2014–15 के दौरान 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पर्यटन उद्योग की विकास दर में 7.5 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। इससे इस क्षेत्र की आर्थिक विकास में क्षमता प्रदर्शित होती है। वर्ष 2014 में भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन में देखी गई 4.7 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से अधिक है। यह निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा किए गए वीजा संबंधी सुधारों से संभव हुआ है।

आज के लोकप्रिय शब्द हैं 'मेक इन इंडिया', 'भारत में व्यापार करना आसान है' और अब 'भारत में आसान यात्रा'। हम निश्चित रूप से आशा करते हैं कि पर्यटन और यात्रा उद्योग में भारी संभावना है।

भारत पर्यटन विकास निगम वाणिज्यिक संगठन के रूप में होटलों का निर्माण और प्रबंध, शुल्क मुक्त दुकानों को चलाने, यात्रा एवं भ्रमण सेवाएं प्रदान करने, पर्यटक प्रचार सामग्री तैयार करने और आतिथ्य शिक्षा प्रदान करने आदि में अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय के संवर्धनात्मक विंग के रूप में, यह देश में पर्यटन की आधारिक संरचना के विकास में भी उत्प्रेरक और अग्रणी भूमिका निभाता है।

क्षेत्रवार कार्यनिष्पादन

क. होटल प्रभाग

वर्तमान जांच एवं निगरानी प्रणाली को सुधारने तथा अपने मूल्यवान ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के निगम के प्रयासों को ध्यान में रखते सुव्यवस्थित होटल प्रयासों के रूप में प्रचालन विभाग विश्लेषण एवं ग्राहक केन्द्रित नवीन पहल जैसे कि अतिथि का होटल छोड़ते समय ऑडियो–विजुअल साक्षात्कार रिकार्डिंग करने की शुरूआत की गई है।

उत्पाद एवं सेवा मानकों में सुधार द्वारा बेहतर ग्राहक सुविधा की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए होटल टीम एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रमुख प्रचालन क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रही है।

अशोक होटल समूह के शेफों ने विश्व को भारतीय पाक शैली और विभिन्न व्यंजनों की विशेषताओं से रूबरू कराने के लिए निम्नलिखित देशों में भारतीय व्यंजन उत्सवों में भाग लिया। ये देश हैं – मिस्र, कैरो, स्टॉकहोम, कम्बोडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, लेबनान, डोमिनिकन गणराज्य, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, मॉरिशस, अर्जेंटिना, पराग्वे, साइप्रस, नीदरलैंड, इंडोनेशिया में बाली और सुर्बाया।

विभिन्न समारोह मनाने और व्यंजनों की उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए अशोक समूह ने विभिन्न व्यंजन उत्सव और संवर्धनकारी कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें से कुछ हैं, ओक्टोबरफेस्ट, विश्व पर्यटन उत्सव, फीफा विश्व कप, दावत–ए–अवध, प्रेसिडेंशियल फ्लेवर्स, वीकेंड ब्रंच आदि।

दि अशोक ने "न्यू दिल्ली पैलेट फेस्ट 2014" में भाग लिया और अपने रेस्टोरैंट दि अवध तथा फ्रंटियर के मशहूर व्यंजन प्रस्तुत किए।

आईटीडीसी होटलों ने निरंतर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, सम्मेलनों के साथ–साथ विशिष्ट लघु अवधि उत्सवों की मेजबानी की। वीवीआईपी स्थल जैसे हैदराबाद हाउस, विज्ञान भवन और दि अशोक में विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी निकायों और कॉरपोरेट घरानों के महत्वपूर्ण सम्मेलनों, प्रतिष्ठित कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

दि अशोक होटल समूह को हाल ही में निम्नलिखित मान्यताएं/पुरस्कार प्राप्त हुए हैं :–

- दि अशोक होटल, नई दिल्ली को आईटीबी बर्लिन, जर्मनी में पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा "बेस्ट माइस होटल" के लिए पटवा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ल्ड ट्रैवल ब्रांड्स द्वारा दि अशोक को वर्ष 2014 (दिल्ली–एनसीआर) माइस स्थल के रूप में उसके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए "उत्कृष्टता प्रमाणपत्र" दिया गया।

- यात्रा पोर्टल मेकमाईट्रिप.कॉम द्वारा "प्लॉटिनम पिक होटल अवार्ड" के लिए होटल जनपथ, नई दिल्ली को चुना गया था तथा उत्कृष्ट ग्राहक समीक्षा के लिए बुकिंग.कॉम द्वारा "प्रीफर्ड होटल पार्टनर" बनाया गया।

- यात्रा पोर्टल मेकमाईट्रिप.कॉम द्वारा "प्लॉटिनम पिक होटल अवार्ड" के लिए होटल सम्राट, नई दिल्ली का चयन किया गया था।

- होटल जयपुर अशोक, जयपुर को पर्यटन मंत्रालय द्वारा "कौशल विकास कार्यक्रम–हुनर से रोजगार के लिए सर्वोत्तम होटल उपक्रम" का पुरस्कार दिया गया था।

- होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर को यात्रा पोर्टल क्लियरट्रिप.कॉम द्वारा "दि फिचर्ड होटल" पुरस्कार तथा मेकमाईट्रिप.कॉम द्वारा उसके बढ़िया प्रदर्शन के लिए "प्लॉटिनम पिक होटल" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इसके अतिरिक्त, होटलों के शेफों को भी अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए।

कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नप्रकार हैं :–

- स्मार्ट होटल प्रयासों के रूप में – प्रतिक्रिया जानने के लिए प्रस्थान के समय अतिथि का ऑडियो–विजुअल साक्षात्कार।

- अतिथियों की संख्या को बढ़ाने और अतिथि सेवाओं में विस्तार के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन।

- प्रमुख विभागों जैसे हाउसकीपिंग, रूम सर्विस और सुरक्षा के विश्लेषण के माध्यम से सेवा निगरानी।

- होटल भरतपुर अशोक, भरतपुर की किचन को आईएसओ प्रमाणन दिया गया।

- बेकार पड़ी क्षमताओं के उपयोग के जरिए उत्पादों का उन्नयन, जैसे पट्टा आधार पर नए रेस्टोरैंट।

- होटल रांची अशोक में नया सम्मेलन केंद्र बनाया जा रहा है।

कुछ परिसंपत्तियों का पट्टा समाप्त होने जा रहा है। आईटीडीसी इन पट्टों के नवीकरण हेतु राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है।

ख. अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग

अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग का व्यवसाय मुख्यतः समुद्रपत्तनों पर केंद्रित है। यह प्रभाग 8 समुद्रपत्तनों एवं 01 विमानपत्तन पर कार्यरत है। हमें शुल्क मुक्त दुकान चलाने के लिए कांडला समुद्रपत्तन पर स्थान के लिए अनंतिम प्रस्ताव मिल गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान दुकान का निर्माण किया जाएगा और आवश्यक औपचारिकताएं अर्थात् सीमा शुल्क लाइसेंस संबंधित प्राधिकरणों से प्राप्त किया जाएगा। शेष मुख्य समुदपत्तनों में तूतीकोरिन हमारा अगला लक्ष्य है, जहां आईटीडीसी की वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने की योजना है।

एआईटीडी ने कुल कारोबार और लाभ में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

- उत्पाद पोर्टफोलियो के विस्तार हेतु विविध उत्पादों में क्रमिक और सावधानीपूर्वक वृद्धि करना।
- बेहतर अंशदान के साथ उत्पादों पर बल देने के लिए विभिन्न उत्पादों का सावधानीपूर्वक चयन करना।
- सभी स्थलों पर बिक्री के लिए पण्य वस्तुओं की मजबूत आपूर्ति शृंखला समयबद्ध और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है।
- चेन्नई हब पर समेकित आयात ने व्यापारिक माल की एकक लागत और आदेश देने की लागत में भी कमी करने में सहायता की है।
- प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण, मूल्य संवर्धन सहित विपणन के माध्यम से स्टॉक की शीघ्र बिक्री सुनिश्चित हुई है।
- रखाव लागत कम करने के लिए बेहतर मालसूची प्रबंधन।
- फ्रंट प्रचालन की जरूरतों के लिए प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए बैक एंड प्रचालनों का सरलीकरण।
- स्टॉक के समाप्त होने के कारण बिक्री हानि से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षित स्टॉक तैयार करना।
- यात्रियों की संख्या और परिवर्तन दर को बेहतर करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं की सहायता से सतत उत्पाद संवर्धन गतिविधियां आयोजित करना।

भारत में सभी मुख्य विमानपत्तन खुदरा प्रचालन का कार्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के पास चले जाने के कारण आईटीडीसी देश में टियर–II शहरों में विमानपत्तनों को लक्ष्य बना रहा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या इन विमानपत्तनों में भी बढ़ी है।

ग. अशोक ट्रैवल और टुअर्स प्रभाग

यात्रा उद्योग अत्यंत गतिशील होने के कारण इसमें

भारी परिवर्तन होता रहता है। सभी प्रकार की विषमताओं के बावजूद एटीटी 2014–15 के दौरान समूह यात्रा में अपने पांव जमाने और प्रचालनों की समग्र लाभप्रदता को बढ़ाने में सफल रहा है। आशा है कि समूह कारोबार आने वाले वर्षों में बेहतर लाभ कमाएगा।

एटीटी को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के रूप में भी नुकसान उठाना पड़ा, जिनमें भारत सरकार के किसी भी कार्यालय को ट्रैवल एजेंसियों द्वारा उनकी टिकट सेवाओं के लिए लगाए गए सेवा शुल्क के भुगतान से मुक्त रखा गया है। ऐसी बाधाओं को पार करने की दृष्टि से कारोबार के नए रास्ते जैसे कार्गो प्रचालन के लिए निगम स्तर पर नए उपाय किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, एटीटी ने 2014–15 के दौरान अपने भागीदार के सहयोग से अपना कार्गो प्रचालन शुरू किया।

संसाधनों का पुनःआबंटन भी एटीटी की मुख्य विशेषता रही है तथा एटीटी का मुख्यालय जीवन विहार भवन, नई दिल्ली से होटल जनपथ में स्थानांतरित किया गया है।

घ. अशोक आतिथ्य और पर्यटन प्रबंध संस्थान

अशोक आतिथ्य और पर्यटन प्रबंध संस्थान (एआईएचएंडटीएम) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का आतिथ्य प्रशिक्षण संस्थान के साथ–साथ मानव संसाधन विकास प्रभाग भी है। इसे आईटीडीसी के कर्मियों तथा कार्यपालकों की आंतरिक प्रशिक्षण संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए 1971 में शुरू किया गया था।

संस्थान की वर्तमान गतिविधियां निम्नप्रकार हैं :

- अंतरराष्ट्रीय आतिथ्य व्यवसाय प्रबंध में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम।
- डोनर (डीओएनईआर) द्वारा प्रायोजित 1 वर्षीय आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
- एनआईओएस के सहयोग से आतिथ्य व्यवसाय में 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की "हुनर से रोजगार" नामक कौशल विकास योजना।
- आईटीडीसी मुख्यालय द्वारा किए गए एमओयू लक्ष्यों के अनुसार आईटीडीसी के कार्यपालकों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रम। एआईएचएंडटीएम विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कर्मचारियों यथा रेलवे, एनसीडीसी, एमईए और आईएफएस परिवीक्षार्थियों के लिए भी शुल्क आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।
- आईटीडीसी होटलों में विभिन्न होटल प्रबंध संस्थानों के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण और अन्य पाठ्यक्रम।
- खाद्य प्रस्तुति, बेकरी, हाउसकीपिंग तथा फ्रंट ऑफिस जैसे विभिन्न आतिथ्य व्यवसायों में क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय (आरडीएटी) के सहयोग से प्रशिक्षु कार्यक्रम।
- असम डाउन टाउन विश्वविद्यालय (एडीटीयू):– हाल ही में एआईएचएंडटीएम ने एडीटीयू परिसर, गुवाहाटी में होटल प्रबंध में स्नातक डिग्री

पाठ्यक्रम चलाने के लिए असम डाउन टाउन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है।

- मेवाड़ विश्वविद्यालय : एआईएचएंडटीएम ने होटल जयपुर अशोक, जयपुर में विभिन्न आतिथ्य और पर्यटन प्रबंध कार्यक्रम चलाने के लिए मेवाड़ विश्वविद्यालय, राजस्थान के साथ समझौता किया है।

एआईएचएंडटीएम की भावी योजनाबद्ध गतिविधियां :

1. विभिन्न पाठ्यक्रमों और गतिविधियों के उचित विपणन के माध्यम से वित्तीय लक्ष्य हासिल करना।

2. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार सुव्यवस्थित तरीके से पैनलबद्ध एजेंसियों के जरिए ''हुनर से रोजगार'' योजना चलाना।

3. एचएसआर योजना के अंतर्गत लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की ''हुनर से रोजगार'' योजना चलाने हेतु अधिकाधिक निजी/सरकारी संस्थानों/एजेंसियों को पैनलबद्ध करना।

4. एआईएचएंडटीएम के आतिथ्य ट्रेड व्यावसायिकों के लिए एक प्लेसमेंट सैल (आतिथ्य व्यवसाय के लिए जनशक्ति प्रदाता) स्थापित करने की योजना है।

5. आईटीडीसी के विभिन्न एककों में पाठ्यक्रम की शुरूआत करके एनआईओएस आतिथ्य पाठ्यक्रमों का विस्तार करना।

6. एक विशिष्ट प्लेसमेंट अधिकारी के माध्यम से एआईएचएंडटीएम के छात्रों को 100 प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता देना।

7. एआईएचएंडटीएम की **एकेडेमेशिया** नामक पहली पत्रिका की शुरुआत करना।

8. विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या में कम से कम 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के प्रयास करना।

9. छात्रों के लिए आतिथ्य से संबंधित प्रदर्शनियों आदि में फील्ड ट्रिप, शैक्षिक भ्रमण जैसी अतिरिक्त गतिविधियों में वृद्धि करना।

10. विभिन्न व्यवसायों के औद्योगिक विशेषज्ञों को आमंत्रित करके होटल उद्योग के छात्रों के लिए अल्पावधि कार्यशालाएं और चर्चा सत्र आयोजित करना।

एआईएचएंडटीएम ने आईटीडीसी के कार्यपालकों के लिए 750 कार्यदिवसों के लक्ष्य की अपेक्षा 930 कार्यदिवसों से अधिक तथा गैर–कार्यपालकों के लिए 770 कार्यदिवसों के लक्ष्य की अपेक्षा 1226 से अधिक कार्यदिवसों का प्रशिक्षण आयोजित करके कार्यक्षमता और नेतृत्व विकास के अंतर्गत समझौता ज्ञापन के लक्ष्य को प्राप्त किया है।

एआईएचएंडटीएम राष्ट्रीय होटल प्रबंध खानपान प्रौद्योगिकी परिषद की संबद्धता में होटल सम्राट, नई दिल्ली में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। होटल सम्राट परिसर में अपेक्षित अवसंरचना का सृजन प्रक्रियाधीन है और परियोजना प्रभाग मुख्यालय के प्रत्यक्ष निरीक्षणाधीन है, पाठ्यक्रम जुलाई, 2015 से आरंभ हो गए हैं।

ङ अशोक परामर्शी व इंजीनियरिंग प्रभाग (एसीईएस)

अशोक परामर्शी व इंजीनियरिंग प्रभाग में सिविल, इलैक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल, वास्तुकला एवं बागबानी क्षेत्र के अभियंता शामिल हैं। इस प्रभाग के पास तकनीकी–आर्थिक साध्यता रिपोर्ट (डीपीआर), इंजीनियरिंग तकनीकी सेवाएं, प्रबंध परामर्श एवं साहसिक पर्यटन के लिए परामर्श एवं सलाहकार सेवाएं प्रदान करने की विशेषज्ञता है। यह भारत में आईटीडीसी की परिसंपत्तियों का भी रखरखाव और उन्नयन करता है तथा पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए विभिन्न मंत्रालयों की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) परियोजनाएं भी चलाता है। पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और राज्य सरकारें आईटीडीसी की ये सेवाएं लेती हैं।

आईटीडीसी की परिसंपत्तियों के प्रमुख नवीकरण में एसीईएस प्रभाग ने अशोक होटल के 61 अतिथि कक्षों का हल्का नवीकरण कार्य पूरा किया तथा होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना के अतिथि कक्षों का नवीकरण पूर्ण किया।

एसीईएस प्रभाग पर्यटन मंत्रालय द्वारा सीएफए के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना में होटल रांची अशोक, रांची में सम्मेलन केंद्र, पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रांची सराईकेला खरसावन पूर्वी सिंगभूम मेगा टूरिस्ट सर्किट, झारखंड चरण–I एवं II, संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत लुधियाना में कला दीर्घा और संग्रहालय का निर्माण, संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत मोरांवली, पंजाब में श्रीमती विद्यावती जी स्मारक के निर्माण के अवसंरचना संबंधी कार्यों का भी कार्यान्वयन कर रहा है। राज्य सरकार ने पुरी क्षेत्र में ओडिशा के लिए मेगा सर्किट विकास योजना (नाबाकलेबर–2015) के अंतर्गत मेगा परियोजना के रूप में अवसंरचना विकास को मंजूरी दी है।

भावी कार्ययोजना में आईटीडीसी परिसम्पत्तियों को शिकायत मुक्त बनाने पर ध्यान देना, आईटीडीसी होटलों का नवीकरण/उन्नयन करना, बड़ी परियोजनाओं के लिए डीपीआर बनाने हेतु राज्य सरकारों से सम्पर्क करना तथा विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ विभिन्न अवसंरचना एवं नवीकरण परियोजनाओं पर ध्यान देना शामिल है।

च. ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन

ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन (एसईएल) आईटीडीसी की एक अनूठी विशेषज्ञता है। ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन प्रभाग मुख्यतः देश में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन परियोजनाओं को कार्यान्वित करता है। प्रभाग परियोजना के कार्य स्थान की पहचान के चरण से लेकर उसे शुरू करने तक संपूर्ण कार्य करता है। प्रभाग ने हाल ही में अंडमान और निकोबार के रॉस द्वीप तथा झारखंड में देवघर में इस प्रदर्शन को स्थापित किया है।

देश के विभिन्न हिस्सों अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर में डल झील; झारखंड में कांके बांध; ओडिशा में धौली और कोणार्क; हरियाणा में तिलयार झील जैसी कई अन्य परियोजनाएं चल रही हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा, केरल में कई परियोजनाएं हैं, जिनके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं और ये पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

पर्यटन उद्योग में इन प्रदर्शनों के महत्त्व को देखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने देश में इन प्रदर्शनों की संख्या में बढ़ोतरी करके निकट भविष्य में 100 तक करने के प्रयास में मंत्रालय में एक ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन प्रभाग सृजित किया है। इसके साथ ही विशेष रूप से विश्व धरोहर स्थलों पर संशोधित स्कीम के अंतर्गत इन परियोजनाओं के वित्तपोषण पर भी बल दिया गया है।

छ. अशोक समारोह प्रभाग

अशोक समारोह प्रभाग देश और विदेश दोनों में समारोहों, सम्मेलनों तथा प्रदर्शनियों का प्रबंध कार्य संभालता है। वर्षों से इसने स्वयं को व्यावसायिक सम्मेलन और समारोह प्रबंध के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, अशोक समारोह प्रभाग ने 95 से अधिक समारोहों का प्रबंध कार्य किया है। प्रमुख समारोहों में शराबखोरी तथा मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, गंगा मंथन; बौद्ध परिपथ के एकीकृत पर्यटन विकास हेतु कार्यनीति का आरंभ; राज्य पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन; डॉ अम्बेडकर प्रतिष्ठान स्मारक व्याख्यान; शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री की ''स्कूली बच्चों के साथ चर्चा''; अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस; ''मेक इन इंडिया'' का प्रारंभ; अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिचर्चा; अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट मार्ट; ''सांसद आदर्श ग्राम योजना'' का शुभारंभ; राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2014; ''69वां वाजा'' सम्मेलन; इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्राधिकार से समर्थित आगमन पर पर्यटन वीजा की शुरुआत; विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम; ''मेक इन इंडिया'' पर राष्ट्रीय कार्यशाला; **भारत–अमेरिका सीईओ मंच (जिसकी अध्यक्षता भारत के माननीय प्रधानमंत्री और अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति ने की थी); ''भारत, अमेरिका व्यापार शिखर सम्मेलन'' (जिसकी अध्यक्षता भारत के माननीय प्रधानमंत्री और अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति ने की थी)**; प्रवासी भारतीय दिवस 2015 तथा वाइब्रेंट गुजरात, 2015 में ''नमामी गंगे'' तथा अन्य पैवेलियन; भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2014 नई दिल्ली में ''एनडीएमए पैवेलियन''; ''री–इन्वेस्ट 2015'' सम्मेलन; मनरेगा सम्मेलन 2015 शामिल हैं।

अपनी समारोह प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से प्रभाग निगम के अन्य प्रभागों यथा अशोक होटल समूह, अशोक ट्रैवल्स एंड टुअर्स, अशोक सर्जक इत्यादि के लिए व्यवसाय भी सृजित करता है।

ज. प्रस्तुति विभाग – अशोक समारोह प्रभाग

प्रस्तुति विभाग, जो पहले अशोक सर्जक प्रभाग का एक भाग था और जिसे अब अशोक समारोह में आमेलित किया गया है, ने अपने कुल कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि की है और इसका कुल कारोबार 2013–14 के ₹ 31.39 लाख से बढ़कर 2014–15 में ₹ 140.20 लाख हो गया है। कुल कारोबार में इस वृद्धि का मुख्य कारण औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए ''मेक इन इंडिया'' के मुद्रण कार्य की प्रस्तुति (₹ 69.47 लाख) थी। पर्यटन मंत्रालय के लिए प्रस्तुति कार्यों की मात्रा भी बढ़कर ₹ 24.42 लाख हो गई है। लंबी अवधि के पश्चात् पर्यटन मंत्रालय ने प्रस्तुति विभाग को कुछ बहुत प्रतिष्ठित प्रस्तुति कार्य सौंपे हैं।

आईटीडीसी के लिए प्रस्तुति कार्यों में भी वृद्धि हुई है और यह 2013–14 के ₹ 32.65 लाख से बढ़कर 2014–15 में ₹ 55.78 लाख हो गया। मुख्य विशेषता थी – आईटीडीसी के फ्लैगशिप होटल के लिए उसके इतिहास के गौरवशाली

60 वर्षों को रेखांकित करते हुए ''दि अशोक – कैपिटल आइकन'' नामक कॉफी टेबल पुस्तक का मुद्रण करना।

3. भारत पर्यटन विकास निगम – स्वॉट विश्लेषण

शक्ति

- लगभग 50 वर्षों से सुस्थापित ब्रांड।
- महत्वपूर्ण स्थानों पर परिसंपत्तियाँ।
- व्यापक आवास, खाद्य व पेय एवं सम्मेलन सुविधाएं।
- राजकीय बैंक्विट, वीवीआईपी खानपान, शाही रात्रिभोज, घरेलू तथा वैश्विक समारोह प्रबंधन, ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन तथा मीडिया आयोजना–ब्रांडिंग में सुस्वीकृत विशेषज्ञता।
- पर्यटन मंत्रालय व अन्य सरकारी एजेंसियों का संरक्षण।

कमियां

- परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण उन्नयन तथा व्यापक नवीकरण की आवश्यकता।
- उम्रदराज जनशक्ति।
- उच्च वेतन बिल के कारण उच्च प्रचालन लागत।
- लम्बी एवं जटिल प्रक्रियाओं के कारण प्रतिस्पर्धी प्रभावकारिता की कमी।

अवसर

- भारत में पर्यटन व्यवसाय सुधर रहा है, जो संभवतः बड़े व्यवसाय अवसरों में बदलेगा।
- उत्पादकता बढ़ाने एवं इसके उपयोग हेतु होटलों के लिए बाजार में कम लागत पर ई–आधारित समाधान एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है।
- अतिरिक्त जगह को पट्टे पर देकर होटल की अवसंरचना का अधिकतम उपयोग।

जोखिम

- अत्यंत आधुनिक सुख–सुविधाओं के साथ नए होटल बन रहे हैं।
- दिल्ली और अन्य शहरों में अत्यधिक कमरों की उपलब्धता के कारण मांग में समग्र कमी।
- वेतन तथा उत्पादकता में असंतुलन।
- कुछ परिसंपत्तियों की पट्टा अवधि समाप्त हो रही है।

4. पर्यावरण प्रबंध प्रयास

आईटीडीसी ने एक जिम्मेदार सीपीएसई होने के नाते अपने होटलों में विभिन्न पर्यावरण हितैषी उपायों, जैसे अपशिष्ट शोधन संयंत्र (ईटीपी), वर्षा जल संरक्षण प्रणाली और ऊर्जा एवं जल संरक्षण को अपनाया है।

दिल्ली स्थित सभी होटलों में अपशिष्ट शोधन संयंत्र

(ईटीपी), वर्षा जल संरक्षण प्रणाली है। होटल जनपथ में सोलर हीटिंग प्लांट है। दिल्ली से बाहर होटलों में होटल जम्मू अशोक एवं होटल जयपुर अशोक में ईटीपी है। दिल्ली में स्थित सभी एककों और होटल जयपुर अशोक की किचन आईएसओ प्रमाणित हैं। वर्ष के दौरान अपने सभी प्रचालनों में आईटीडीसी ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। आईटीडीसी ने ऊर्जा संरक्षण पर बल देना जारी रखा।

5. संभावनाएं

भारतीय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग भारत में सेवा क्षेत्र में विकास के मुख्य प्रेरकों में से एक के रूप में उभरा है। भारत के पास पर्यटन क्षेत्र में व्यापक अप्रयुक्त क्षमता है, जो हमारी सामाजिक–आर्थिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

नई पर्यटन नीति तैयार की गई है। वीजा सुधारों को लागू करने से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की आशा है। सरकारी उपायों से इस उद्योग को काफी सराहना मिली है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, दो नई योजनाओं यथा नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिच्युअल आग्मेंटेशन ड्राइव (**प्रसाद**) तथा **"स्वदेश दर्शन"** की बजट 2014–15 में घोषणा की गई है।

आईटीडीसी अपने नए प्रबंधकवर्ग के साथ अधिभोग लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से कार्यरत है। आईटीडीसी परिसम्पत्तियों को बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेट विपणन एवं बिक्री प्रभाग द्वारा की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- वर्ष 2014–15 के लिए सभी आईटीडीसी होटलों के लिए टैरिफ का निर्धारण।
- ग्रीष्मकालीन गेटवे पैकेज/प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत।
- विभिन्न स्रोत बाजारों में बिक्री अभियानों का कार्यान्वयन किया गया।
- आईटीडीसी ने व्यापार मेलों एवं ट्रैवल मार्टों जैसे (साते, नई दिल्ली); ग्रेट इंडिया ट्रैवल बाजार 2014 (दिल्ली); वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2014 (लंदन); आईटीबी 2015 (बर्लिन); अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2014 (दुबई); और माइस ट्रैवल मार्ट (मुम्बई) में भाग लिया। हमारी परिसंपत्तियों में यात्रा एजेंटों, राय निर्माताओं, पीएसयू इत्यादि के लिए उत्पाद परिचय दौरों का आयोजन किया गया।
- वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय ओटीए (ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स) जैसे बुकिंग.कॉम और अगोडा.कॉम के साथ नई संविदा की गईं।

6. जोखिम और चिंताएं

पर्यटन एक संवेदनशील उत्पाद है। यह अंतरराष्ट्रीय और देश के भीतर सामान्य आर्थिक स्थितियों जैसे वैश्विक मंदी, सामान्य स्फीतिकारी स्थितियों, सामाजिक–राजनीतिक जोखिम जैसे सामाजिक आर्थिक माहौल; विदेशों में जारी एडवाइजरी, अंतरराष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं से प्रतिस्पर्धा; परिवर्धित बहिर्गामी यात्रा आदि से प्रभावित होता है।

आईटीडीसी के विभिन्न एककों/प्रभागों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर (जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार) कंपनी के विशिष्ट जोखिम निम्नप्रकार हैं :–

आर्थिक जोखिम	:	एक ग्राहक पर निर्भरता
औद्योगिक जोखिम	:	बाजार हिस्से को खतरा
कार्मिक जोखिम	:	पर्याप्त कौशल–प्राप्त कार्मिकों की अनुपलब्धता
राजनीतिक जोखिम	:	परिसंपत्ति सुरक्षा को खतरा
कानूनी जोखिम	:	संविदात्मक जोखिम और कर जोखिम

7. दृष्टिकोण, लक्ष्य और उद्देश्य

आईटीडीसी और पर्यटन मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन 2015–16 के अनुसार निगम के दृष्टिकोण, लक्ष्य और उद्देश्य निम्नप्रकार हैं :–

निगम दृष्टिकोण

आईटीडीसी की महत्वाकांक्षा आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल करना और समाज के सभी वर्गों के लिए देश में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के विकास, संवर्धन एवं विस्तार करने के मुख्य उद्देश्य को पूरा करते हुए अपने शेयरधारकों के लिए निवेश पर उच्च लाभ प्राप्त करना है।

निगम लक्ष्य

सुदृढ़ ग्राहक संकेंद्रण, विश्वसनीयता, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं और प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर आधारित बहुआयामी गतिविधियों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए देश में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के प्रगतिशील विकास, संवर्धन एवं विस्तार में अग्रणी भूमिका निभाना।

उद्देश्य

क्षेत्रवार उद्देश्य निम्नप्रकार हैं :

होटल

- ब्रांड दृश्यता, ब्रांड जागरूकता और ब्रांड ईक्विटी में सुधार करना।
- उद्योग के अनुरूप सेवा गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि लाना।
- एक वर्ष में ग्राहक प्रतिधारण दर में 200 प्रतिशत की वृद्धि करना।
- खाद्य तथा पेय और माइस की मुख्य क्षमताओं का लाभ उठाना।
- प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर करना, ताकि सभी के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया जा सके।
- अधिभोग और एआरआर में सुधार करना।

अशोक ट्रैवल्स एंड टुअर्स

- हमारी सेवा में गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रतिक्रियाशीलता बढ़ाना।

- बी2सी व्यवसाय का हिस्सा बढ़ाकर कारोबार का 50 प्रतिशत तक करना।

- बी2बी तथा बी2सी वेब पोर्टल के जरिए व्यवसाय 300 प्रतिशत तक बढ़ाना।

अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग

- सभी प्रमुख समुद्रपत्तनों में शुल्क मुक्त दुकानें शुरू करना।

- अगले दो वर्षों में कम से कम दो प्रमुख विमानपत्तनों में डीएफएस शुरू करना।

- युक्तिसंगत विश्लेषण के माध्यम से निष्क्रिय मालसूची कम करके वर्तमान स्तर के 50 प्रतिशत तक लाना।

अशोक परामर्शी व इंजीनियरिंग सेवाएं

- परियोजना के बेहतर नियंत्रण और निगरानी के लिए परियोजगत प्रबंध प्रणाली स्थापित करना।

- त्वरित निष्पादन के लिए प्राचीन और लालफीताशाही वाली कार्यविधियों में संशोधन करना।

- जमाराशियों संबंधी कार्यों पर बट्टे को युक्तिसंगत बनाना और बेहतर दरों के लिए सरकारी विभागों पर दबाव बनाना।

- निर्धारित समय–सीमा के भीतर होटल योजना कार्य पूर्ण करना।

- मामलों पर शीघ्र कार्यवाही के लिए तंत्र स्थापित करना।

अशोक आतिथ्य और पर्यटन प्रबंध संस्थान

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग से उच्च गुणवत्ता वाला वैश्विक आतिथ्य और पर्यटन प्रबंध संस्थान स्थापित करने के लिए कार्य करना।

- एक वर्ष के भीतर प्लेसमेंट दर बढ़ाकर 80 प्रतिशत से अधिक करना।

- आईटीडीसी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की दिशा और प्रबंध के लिए प्रशिक्षण नीति, प्रशिक्षण सिद्धांत और कारपोरेट तंत्र विकसित करना।

अशोक समारोह और अशोक सर्जक

- कारपोरेट क्षेत्र से राजस्व हिस्सा बढ़ाकर 70 प्रतिशत करना।

आंतरिक नियंत्रण

निगम की अपने व्यापार के स्वरूप के अनुसार उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। बोर्ड ने व्यापार के सुव्यवस्थित और कारगर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस कार्यविधि, क्रय कार्यविधियां, इंजीनियरिंग और निर्माण मैनुअल, शक्तियों का प्रत्यायोजन जैसी उपयुक्त नीतियां और कार्यविधियां निर्धारित की हैं।

आईटीडीसी के सभी एककों/प्रभागों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटैंट की व्यावसायी

सेवाएं ली जाती हैं। निदेशक बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित विस्तृत आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल सभी एककों को परिचालित किया गया है।

आंतरिक लेखापरीक्षक आंतरिक जांच और नियंत्रण प्रणाली को मॉनीटर करते हैं और उसकी कारगरता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा त्रैमासिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं। सुधारात्मक कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, एककों/प्रभागों द्वारा की जाती है। महत्त्वपूर्ण टिप्पणियां, यदि कोई हों, लेखापरीक्षा समिति के समक्ष लायी जाती हैं।

मानव संसाधन प्रबंध तथा औद्योगिक संबंध

निगम में 31.03.2014 को कर्मचारियों की कुल संख्या 1733 थी, जो कम होकर 31.03.2015 को 1577 रह गई (प्रत्यक्ष संविदा आधार पर कार्यरत 96 कर्मचारियों को छोड़कर)। 1577 कर्मचारियों में से 475 कर्मचारी अनुसूचित जाति, 36 अनुसूचित जनजाति तथा 82 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। 63 कर्मचारियों को अगले उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया, जिनमें 18 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और 3 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। 31.03.2015 को आईटीडीसी में 233 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं (60 कार्यपालक और 173 गैर–कार्यपालक), जो निगम के कुल कार्यबल का 14.84 प्रतिशत हैं।

आईटीडीसी में समग्र औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और अच्छे हैं।

चेतावनी वक्तव्य

प्रबंध चर्चा और विश्लेषण में कम्पनी के उद्देश्यों, पूर्वानुमानों और अनुमानों का ब्यौरा देने वाले विवरण लागू सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अर्थों में प्रगतिशील एवं प्रगामी विवरण हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के कारण अभिव्यक्त अथवा अंतर्हित अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुबंध–II

वर्ष 2014–15 के लिए निगम अभिशासन पर रिपोर्ट

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुसार

निगम अभिशासन

(1) अभिशासन संहिता प्रणाली

निगम सुदृढ़ निगम अभिशासन कार्य–पद्धतियों के प्रति वचनबद्ध है। प्रबंधकवर्ग यह मानता है कि सक्षम और सुदृढ़ निगम अभिशासन पारदर्शिता, व्यावसायिकता, जवाबदेही तथा पर्याप्त प्रकटनों के जरिए शेयरधारकों की सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण साधन है। निगम निरन्तर इन पहलुओं में सुधार के लिए प्रयास करता रहता है।

(2) निदेशक बोर्ड

भारत पर्यटन विकास निगम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति (एसीसी) के अनुमोदन से की जाती है। निगम की संस्था अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को सभी निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार होगा। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान निदेशक बोर्ड का गठन निम्नप्रकार है :–

(क) कार्यपालक निदेशक

श्री गिरीश शंकर, प्रबंध निदेशक, 23.04.2013 से 11.05.2014 तक

डॉ. समीर शर्मा, प्रबंध निदेशक, 12.05.2014 से 09.12.2014 तक

श्री गिरीश शंकर, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, 10.12.2014 से 23.04.2015 तक

श्री त्रिनाथ बेहेरा, निदेशक (वित्त), 26.04.2013 से 30.06.2015 तक

कोमो. (से.नि.) रतन कुमार ओखन्दियार, निदेशक (वाणिज्यिक व विपणन), 10.07.2012 से 31.03.2015 तक

(ख) गैर–कार्यपालक निदेशक

(क) अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री गिरीश शंकर 12.05.2014 से 09.12.2014 तक और 24.04.2015 से

डॉ. (सुश्री) टी. कुमार, 04.09.2013 से

(ख) स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक

श्री अनुगोलू वैंकट रतनम, 07.10.2013 से

डॉ. उषा किरण राय, 10.12.2013 से

वर्तमान बोर्ड में छह निदेशक अर्थात् अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, निदेशक (वाणिज्यिक व विपणन), दो सरकारी नामिती निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक हैं, जो निम्नप्रकार हैं :–

(क) कार्यपालक निदेशक

श्री उमंग नरूला को 24.04.2015 से अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

श्री पीयूष तिवारी, निदेशक (वाणिज्यिक व विपणन), 28.05.2015 से

(ख) गैर–कार्यपालक निदेशक

(क) अंशकालिक सरकारी नामिती निदेशक

श्री गिरीश शंकर, अपर सचिव–पर्यटन मंत्रालय (06.09.2012 से 22.04.2013 तक सरकारी नामिती निदेशक) (23.04.2013 से 11.05.2014 तक प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार) (12.05.2014 से 09.12.2014 तक सरकारी नामिती निदेशक) (10.12.2014 से 23.04.2015 तक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक) (24.04.2015 से सरकारी नामिती निदेशक)

डॉ. (सुश्री) टी. कुमार, एसएसएंडएफए–पर्यटन मंत्रालय, 04.09.2013 से

(ख) स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक

श्री अनुगोलू वैंकट रतनम, 07.10.2013 से

डॉ. उषा किरण राय, 10.12.2013 से

टिप्पणी : भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 31 जुलाई, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9(15)/2012–जीएम के अनुसार सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अधिकतम दो कार्यकालों, प्रत्येक कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होती है, के लिए की जाती है। उपर्युक्त निदेशकों का पहला कार्यकाल क्रमशः 06 अक्तूबर, 2016 और 09 दिसम्बर, 2016 को पूरा होगा।

निदेशकों से प्राप्त प्रकटनों के अनुसार निदेशकगण एक–दूसरे के संबंधी नहीं हैं।

2 (क) बोर्ड कार्यविधि

वर्ष 2014–15 के दौरान निदेशक बोर्ड की आठ बैठकें हुईं (अर्थात् 28 अप्रैल, 2014, 09 मई, 2014, 14 अगस्त, 2014, 20 अक्तूबर, 2014, 09 दिसम्बर, 2014, 12 दिसम्बर, 2014, 13 फरवरी, 2015 और 11 मार्च, 2015) और इनमें निदेशकों की उपस्थिति निम्नप्रकार थी :–

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल में बोर्ड की बैठकों की संख्या	कितनी बोर्ड बैठकों में भाग लिया	वार्षिक आम बैठक (अंतिम) में उपस्थिति (हाँ/नहीं)
श्री गिरीश शंकर	08	06	हां
*श्री समीर शर्मा	03	03	हां
डॉ. (सुश्री) टी. कुमार	08	08	हां
**श्री त्रिनाथ बेहेरा	08	07	हां
***कोमो. (से.नि.) रतन कुमार ओखन्दियार	08	08	हां
श्री अनुगोलू वैंकट रतनम	08	07	हां
डॉ. उषा किरण राय	08	05	हां

*10.12.2014 को बोर्ड में कार्यकाल समाप्त
**01.07.2015 को बोर्ड में कार्यकाल समाप्त
***01.04.2015 को बोर्ड में कार्यकाल समाप्त

2 (ख) अन्य कंपनियों में निदेशक होना

वर्ष 2014–15 के दौरान अन्य कम्पनियों में निदेशक तथा समिति सदस्यता का ब्यौरा निम्नप्रकार है :

निदेशक का नाम	अन्य कितनी कम्पनियों में निदेशक हैं	अन्य कम्पनियों की बोर्ड–समितियाँ, जिनमें वे सदस्य/अध्यक्ष हैं
श्री गिरीश शंकर	09	शून्य
*डॉ. समीर शर्मा	09	शून्य
डॉ. (सुश्री) टी. कुमार	01	शून्य
**श्री त्रिनाथ बेहेरा	05	शून्य
***कोमो. (से.नि.) रतन कुमार ओखन्दियार	05	शून्य
श्री अनुगोलू वैंकट रतनम	03	शून्य
डॉ. उषा किरण राय	01	शून्य

*10.12.2014 को बोर्ड में कार्यकाल समाप्त
**01.07.2015 को बोर्ड में कार्यकाल समाप्त
***01.04.2015 को बोर्ड में कार्यकाल समाप्त

टिप्पणी : कार्य/कार्यपालक निदेशकों के संबंध में, कार्य निदेशक भी संयुक्त उद्यम/संयुक्त उद्यम सहायक कंपनियों के बोर्डों पर अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। अतः कार्यपालक निदेशकों का अन्य में निदेशक होना आईटीडीसी के संयुक्त उद्यम/संयुक्त उद्यम सहायक कंपनियों में उनका निदेशक होने से संबंधित है।

2 (ग) निदेशकों के लिए पारिश्रमिक नीति

सरकारी नामिती निदेशक भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं। अतः सरकारी नामिती निदेशकों को किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और कार्य निदेशक निगम के पूर्णकालिक कर्मचारी होते हैं और उन्हें नियुक्ति की शर्तों और निगम के नियमों के अनुसार वेतन/परिलब्धियां तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। स्वतंत्र निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अंतर्गत गठित बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने कंपनी की संस्था अंतर्नियमावली में निर्धारित पारिश्रमिक नीति को अंगीकृत किया है। संस्था अंतर्नियमावली के खंड 61(ङ) में निदेशकों के पारिश्रमिक का प्रावधान है, जो निम्नप्रकार पुनः उद्धत है :–

61(ङ.) (i) : अंशकालिक अध्यक्ष/अध्यक्ष, सभी अन्य निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक हो अथवा नहीं) के पारिश्रमिक का भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्धारण किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित ऐसे उपयुक्त अतिरिक्त पारिश्रमिक का किसी भी निदेशक अथवा निदेशकों को उसके/उनके द्वारा दी गई अतिरिक्त अथवा विशेष सेवाएं देने के लिए भुगतान किया जाएगा। कोई निदेशक, जो सरकार का कर्मचारी है, किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा, बशर्ते कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रावधान न किया जाए।

(ii) निदेशक किसी भी निदेशक को अनुमति दे सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं, जो निदेशक बोर्ड की बैठक या आम बैठक या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने अथवा वापस आने अथवा कंपनी के व्यवसाय के संबंध में यात्रा करता है, उसकी यात्राओं तथा होटल और अन्य व्यय को उसके द्वारा उपस्थिति के प्रयोजनार्थ और कंपनी के व्यवसाय के संबंध में वहन किया जाता है। निदेशक को उपर्युक्त उल्लिखित बैठकों में उपस्थित होने के लिए और उसे देय अन्य पारिश्रमिक निदेशकों द्वारा समय–समय पर निर्धारित बैठक शुल्क का भी भुगतान किया जाए।

समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 2014–15 के दौरान गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को निम्नप्रकार बैठक शुल्क का भुगतान किया गया था :

(i) 12 जनवरी, 1998 को संपन्न आईटीडीसी बोर्ड की बैठक में किए गए निर्धारण के अनुसार बोर्ड और समिति की प्रत्येक बैठक के लिए बैठक शुल्क 14 अगस्त, 2014 तक ₹ 1000 था।

(ii) 14 अगस्त, 2014 से बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए बैठक शुल्क ₹ 10,000 लेखापरीक्षा समिति की प्रत्येक बैठक के लिए ₹ 5,000 तथा स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक के साथ बोर्ड की अन्य समिति की प्रत्येक बैठक के लिए बैठक शुल्क ₹ 1,000 है।

बोर्ड की बैठकों, आम बैठकों में भाग लेने तथा निगम के कार्यों के संबंध में दौरा करने के लिए निगम स्वतंत्र निदेशकों के लिए हवाई टिकट, सवारी, आवास तथा भोजन इत्यादि की व्यवस्था करता है।

उपर्युक्त को छोड़कर, निगम के समीक्षाधीन अवधि के दौरान इसके मौजूदा निदेशकों के साथ धन संबंधी कोई संबंध या लेनदेन नहीं थे।

कंपनी के पूर्व–निदेशकों को आईटीडीसी बोर्ड में कम से कम एक अथवा अधिक वर्ष की अवधि के लिए सेवा देने के लिए आईटीडीसी होटलों में आईटीडीसी बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित कतिपय रियायत और छूट दी जाती है।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी के किसी भी निदेशक के पास कंपनी के शेयर नहीं थे। निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंध कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का ब्यौरा वार्षिक विवरण का सार, जो बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है, में दिया गया है।

2 (घ) आचार संहिता

बोर्ड के सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों के लिए कम्पनी द्वारा 20 अक्तूबर, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में यथासंशोधित व्यवसाय आचार संहिता एवं नीति को निगम की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। निगम ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों से आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि प्राप्त कर ली है।

2 (ङ) प्रबंध चर्चा और विश्लेषण

प्रबंध चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

2 (च) सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचीकरण करार के खण्ड 49(ix) के अनुसार सीईओ/सीएफओ प्रमाणन इस खंड के अंत में संलग्न है।

(3) लेखापरीक्षा समिति

गठन : वर्ष 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन निम्नप्रकार था :–

निदेशक का नाम	पद	टिप्पणी
श्री अनुगोलू वैंकट रतनम	अध्यक्ष	स्वतंत्र व गैर–कार्यपालक
डॉ. उषा किरण राय	सदस्य	स्वतंत्र व गैर–कार्यपालक
डॉ. (सुश्री) टी. कुमार	सदस्य	गैर–स्वतंत्र व गैर–कार्यपालक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। समिति अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, निदेशक (वित्त), निदेशक (सीएंडएम), अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के अध्यक्ष और निगम के वरिष्ठ कार्यपालकों को आमंत्रित करती है।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान 27 जुलाई, 2001 को संपन्न निदेशक बोर्ड की बैठक में निर्धारित और आगे 28 अप्रैल, 2014 को संपन्न निदेशक बोर्ड की बैठक में यथा संशोधित लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नप्रकार निर्धारित किए गए हैं :–

(i) निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण और इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।

(ii) बोर्ड को सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की सिफारिश करना।

(iii) सांविधिक लेखापरीक्षकों को किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन।

(iv) बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधकवर्ग के साथ विशेष रूप से निम्नलिखित मदों पर विचार करते हुए वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना :–

क. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 [अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5)] के खंड (2कक) के संदर्भ में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित मामले;

ख. लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों और उसके कारण;

ग. प्रबंधकवर्ग द्वारा लिए गए निर्णय पर आधारित अनुमान वाली मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियां;

घ. लेखापरीक्षा से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्त्वपूर्ण समायोजन;

ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;

च. किसी संबंधित पार्टी से किए गए लेनदेन का प्रकटन; और

छ. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणियां।

(v) अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले त्रैमासिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधकवर्ग के साथ समीक्षा करना;

(vi) प्रबंधकवर्ग के साथ निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमानी निर्गम इत्यादि) के जरिए जुटाई गई राशियों के प्रयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र / नोटिस में कथित से इतर प्रयोजन के लिए प्रयुक्त निधियों के विवरण तथा मानीटरिंग एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, सार्वजनिक अथवा अधिकार निर्गम की प्राप्तियों के प्रयोग की मानीटरिंग की समीक्षा करना और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;

(vii) प्रबंधकवर्ग के साथ सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

(viii) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, विभाग में स्टाफ तथा इसके प्रमुख की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज तथा आंतरिक लेखापरीक्षा का अंतराल सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की समीक्षा करना;

(ix) आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ किन्हीं महत्त्वपूर्ण जांच परिणामों में चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;

(x) संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा अनियमितता अथवा महत्त्वपूर्ण स्वरूप की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के विफल हो जाने से संबंधित मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक जांच के परिणामों की समीक्षा करना और मामले की जानकारी बोर्ड को देना;

(xi) लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले लेखापरीक्षा के स्वरूप और उसके कार्यक्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार–विमर्श करना तथा किसी चिंताजनक मामले का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद विचार–विमर्श करना;

(xii) जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न किए जाने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान करने में हुई बड़ी चूकों के कारणों की जांच करना;

(xiii) यदि विसल ब्लोअर तंत्र अस्तित्व में है, तो उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करना; और

(xiv) अभ्यर्थी की अर्हता, अनुभव तथा पृष्ठभूमि इत्यादि के आकलन के पश्चात् मुख्य वित्त अधिकारी (अर्थात् पूर्णकालिक वित्त निदेशक अथवा वित्त संबंधी कार्य देखने वाला अथवा उसका निष्पादन करने वाला व्यक्ति) की नियुक्ति का अनुमोदन करना।

स्पष्टीकरण : "संबंधित पार्टी लेनदेन" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटैंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 18, संबंधित पार्टी लेनदेन में निहित है।

इसके अतिरिक्त, सूचीकरण करार के अनुसार लेखापरीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित की समीक्षा करेगी :–

(i) प्रबंध चर्चा तथा वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों का विश्लेषण;

(ii) प्रबंधकवर्ग द्वारा प्रस्तुत महत्त्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन

विवरण (लेखापरीक्षा समिति द्वारा यथापरिभाषित);

(iii) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंध पत्र/आंतरिक नियत्रंण की कमियों संबंधी पत्र;

(iv) आंतरिक नियंत्रण की कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें; और

(v) मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, कार्यमुक्ति और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति की समीक्षा के अध्यधीन होंगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में अपेक्षित है कि प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति बोर्ड द्वारा लिखित रूप से विनिर्दिष्ट विचारार्थ विषय जो निम्नप्रकार हैं, के अनुसार कार्य करेगी :

(i) कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक हेतु सिफारिश;

(ii) लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पादन तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया की कारगरता की समीक्षा और निगरानी;

(iii) वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच;

(iv) संबंधित पार्टी के साथ कंपनी के लेनदेन अथवा उसमें बाद में किए संशोधन का अनुमोदन;

(v) अंतर–निगम ऋण और निवेश की संवीक्षा;

(vi) जब भी आवश्यक हो, कंपनी के वचनबंधों अथवा संपत्तियों का मूल्य निर्धारण;

(vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन;

(viii) सार्वजनिक प्रस्तावों के जरिए जुटाई गई निधियों के अंत प्रयोग और संबंधित मामलों की निगरानी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(5) में कहा गया है कि लेखापरीक्षा समिति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र, जिसमें लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और वित्तीय विवरण की समीक्षा शामिल है, के बारे में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां मांग सकती हैं और आंतरिक तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के प्रबंधकवर्ग के साथ संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकती है।

बैठकें : वर्ष 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें 28.04.2014, 14.08.2014, 20.10.2014 और 13.02.2015 को संपन्न हुईं। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सांविधिक लेखापरीक्षकों, शाखा लेखापरीक्षकों तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ एक बैठक 2 जनवरी, 2015 को संपन्न हुई, जिसमें केवल दो निदेशक (श्री अनुगोलू वैंकट रतनम एवं डॉ. ऊषा किरण राय) उपस्थित थे। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(5), सूचीकरण करार के खंड 49(III) घ के पैरा 7, 12, और 16 तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा बनाए गए निगम अभिशासन ढांचे की आवश्यकताओं के अनुसार संपन्न हुई थी। यह सूचित किया गया था कि उपर्युक्त आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित पर चर्चा करने के लिए लेखापरीक्षा समिति की वित्त अधिकारियों/प्रबंधकवर्ग की उपस्थिति के बिना सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ कम से कम एक बैठक होनी चाहिए :

(i) लेखापरीक्षा का स्वरूप और कार्यक्षेत्र;

(ii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता;

(iii) चिंता के किसी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के पश्चात् विचार–विमर्श।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नप्रकार थी :–

सदस्य का नाम	कार्यकाल के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	कार्यकाल के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री अनुगोलू वैंकट रतनम	05	05
डॉ. उषा किरण राय	05	05
डॉ. (सुश्री) टी. कुमार	05	04

वित्त वर्ष 2013–14 की 29.09.2014 को संपन्न वार्षिक आम बैठक में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष उपस्थित थे।

(4) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

बोर्ड ने 30 जनवरी, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में एक पारिश्रमिक समिति का गठन तारीख 26.11.2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) की अपेक्षानुसार किया था। पारिश्रमिक समिति का कार्य विचारार्थ निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करना तथा उनके संबंध में अनुशंसा करना है :–

(क) निष्पादन संबद्ध वेतन का भुगतान (पीआरपी);

(ख) कार्यपालकों का स्तर, जिन्हें कंपनी पट्टा आवास प्रदान किया जाएगा;

(ग) कार्यपालकों की विभिन्न श्रेणियों पर लागू मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन ग्राह्य अन्य भत्ते और अनुलब्धियां;

(घ) 31.03.2009 तक एक सुदृढ़ तथा पारदर्शी निष्पादन प्रबंध प्रणाली (पीएमएस) का विकास। 01.01.2007 तथा अधिकतम 31.03.2009 तक पीएमएस के सुव्यवस्थित किए जाने की अवधि के दौरान, डीपीई के वर्तमान दिशानिर्देशों पर पीआरपी का भुगतान, जो किसी उद्यम में वितरणयोग्य लाभ के 5 प्रतिशत तक सीमित है; और

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम में सीटीसी संकल्पना की शुरुआत।

वर्ष 2014–15 के दौरान, समिति की संरचना निम्नप्रकार थी :

निदेशक का नाम	पद	टिप्पणी
श्री अनुगोलू वैंकट रतनम	अध्यक्ष	स्वतंत्र एवं गैर–कार्यपालक
डॉ. उषा किरण राय	सदस्य	स्वतंत्र एवं गैर–कार्यपालक
डॉ. (सुश्री) टी. कुमार	सदस्य	गैर–स्वतंत्र एवं गैर–कार्यपालक

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें 12 दिसम्बर, 2014 और 13 फरवरी, 2015 को संपन्न हुई थीं। बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सभी सदस्य बैठक में उपस्थित थे।

बोर्ड द्वारा 28 अप्रैल, 2014 को संपन्न बैठक में किए गए पुनर्गठन के अनुसार, इस समय स्वतंत्र निदेशक श्री अनुगोलू वैंकट रतनम, समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं – डॉ. ऊषा किरण राय, स्वतंत्र निदेशक तथा डॉ. (सुश्री) टी. कुमार, सरकारी नामिती निदेशक।

समिति की संदर्भ शर्तें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सूचीकरण करार के खंड 49(II)ख (5) में दिए गए अधिदेश का अनुपालन है। इसके अलावा, समिति, बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर के नीचे के कर्मचारियों तथा बिना यूनियन वाले सुपरवाइजरों के लिए डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप आईडीए पैटर्न में वेतनमान और निर्धारित सीमा के भीतर इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस/वेरियेबल पे पूल एवं नीति का निर्धारण करेगी।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंध कार्मिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नप्रकार था :–

प्रमुख प्रबंध कार्मिकों और उनके संबंधियों को किया गया भुगतान :

पारिश्रमिक	:	₹ 61.61 लाख
बैठक–शुल्क	:	₹ 1.40 लाख
जोड़	:	₹ 63.01 लाख

(5) शेयर अंतरण समिति

निदेशक बोर्ड ने 07.12.2010 को हुई अपनी बैठक में मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड को रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट (आरटीए) के रूप में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर शेयर अंतरण अनुरोध और प्रेषण अनुरोध पर कार्रवाई, अनुमोदन तथा प्रेषण के लिए अधिकृत किया है।

निदेशक बोर्ड ने कम्पनी (शेयर पूंजी एवं ऋणपत्र) नियमावली, 2014 के नियम 5 के उपनियम 3 के साथ पठित नए कम्पनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुपालन में मई, 2014 में परिचालित कार्यसूची द्वारा शेयर अंतरण समिति का पुनर्गठन किया और आवेदक शेयरधारकों से रिमैटिरिलाइजेशन अनुरोध की प्राप्ति पर शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के अनुमोदन को शामिल करके कार्य क्षेत्र को संशोधित किया। समिति का गठन निम्नप्रकार किया गया था :

(i) निदेशक (वित्त)

(ii) निदेशक (वाणिज्यिक और विपणन)

(iii) एफए को छोड़कर सरकारी नामिती

(iv) एफए होने के नाते सरकारी नामिती

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान शेयर अंतरण समिति की चार बैठकें 27.06.2014, 22.07.2014, 26.08.2014 और 30.09.2014 को संपन्न हुई थीं। इन बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नप्रकार थी :–

सदस्य का नाम	कार्यकाल के दौरान समिति की बैठकों की संख्या	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों में कितनों में भाग लिया
निदेशक (वित्त)	4	3
निदेशक (वाणिज्यिक एवं विपणन)	4	4
एफए को छोड़कर सरकारी नामिती	4	3
एफए होने के नाते सरकारी नामिती	4	2

(6) शेयरधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के अनुसरण में बोर्ड ने 28 अप्रैल, 2014 को संपन्न अपनी बैठक में शिकायत निवारण समिति को "शेयरधारक संबंध समिति" के रूप में पुनः पदनामित किया और इसका पुनर्गठन किया। वर्ष 2014–15 के दौरान इस समिति की संरचना निम्नप्रकार थी :

i) डा. ऊषा किरण राय
स्वतंत्र निदेशक : अध्यक्ष

ii) श्री ए. वी. रतनम
स्वतंत्र निदेशक : सदस्य

iii) श्री त्रिनाथ बेहेरा
निदेशक (वित्त) : सदस्य

वर्ष 2014–15 के दौरान समिति की एक बैठक 14 अगस्त, 2014 को आयोजित की गई थी, जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। समिति ने अपनी बैठक में यह सिफारिश की कि निदेशक (वित्त) को भी समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। तदनुसार, बोर्ड ने 14 अगस्त, 2014 को आयोजित बैठक में निदेशक (वित्त) को समिति के सदस्य के रूप में शामिल करते हुए समिति के पुनर्गठन को अनुमोदित किया था।

वर्ष 2014–15 के दौरान, सेबी द्वारा निगम को वार्षिक रिपोर्ट 2013–14 न मिलने से संबंधित शेयरधारक

की एक शिकायत भेजी गई थी। शेयरधारकों/निवेशकों के प्रश्नों/शिकायतों पर कार्रवाई सामान्यतः उनकी प्राप्ति की तिथि से 7–10 दिन की अवधि के भीतर की जाती है, सिवाय उन मामलों के, जिनमें बाह्य एजेंसियां शामिल हों या अनुपालन के लिए संबंधित प्राधिकरणों द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाकृत लंबी प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं हों। वर्ष 2014–15 के दौरान शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतें निम्नप्रकार हैं :

विवरण	वर्ष के प्रारंभ में प्राप्त + बकाया	निपटाई गई	प्रक्रियागत औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए निवेशकों के पास लंबित
वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना	1	1	शून्य
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	1	1	शून्य

अनुपालन अधिकारी का नाम तथा पता निम्नप्रकार है :–

श्री वी. के. जैन, कंपनी सचिव
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल
7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
ई–मेल : vkjain@theashokgroup.com
cs_itdc@theashokgroup.com
दूरभाष : 011–24360249
फैक्स : 011–24360249

(7) निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सतत् विकास (एसडी) समिति :

04 सितम्बर, 2013 को आयोजित बोर्ड की बैठक में सीएसआर एवं एसडी पर बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया गया। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान समिति का गठन निम्नप्रकार था :

i) श्री अनुगोलू वैंकट रतनम : अध्यक्ष
स्वतंत्र निदेशक

ii) अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक : सदस्य

iii) निदेशक (सीएंडएम) : सदस्य

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान 14.08.2014, 20.10.2014 और 12.12.2014 को समिति की तीन बैठकें हुईं। बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नप्रकार था :–

सदस्य का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित सीएसआर समिति बैठकों की संख्या	कार्यकाल के दौरान सीएसआर समिति बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री ए. वी. रतनम	3	3
प्रबंध निदेशक	3	3
निदेशक (सीएंडएम)	3	3

(8) स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

डीपीई के दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16(4)/2012–जीएम द्वारा संशोधित दिनांक 20 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16(4)/2012–जीएम के तहत जारी दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–IV की आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों ने 28.04.2014, 14.08.2014 और 12.12.2014 को पृथक बैठकें आयोजित की थीं।

(9) आम बैठकें

अंतिम तीन वार्षिक आम बैठकें निम्नप्रकार आयोजित की गई थीं :–

को समाप्त वर्ष	दिन व तिथि	समय	स्थान	विशेष संकल्प
31.03.2012	26.09.2012 (बुधवार)	1400 बजे	अशोक होटल नई दिल्ली	संस्था अंतर्नियमावली में परिवर्तन हेतु
31.03.2013	30.09.2013 (सोमवार)	1600 बजे	अशोक होटल नई दिल्ली	कोई विशेष संकल्प नहीं
31.03.2014	29.09.2014 (सोमवार)	1600 बजे	अशोक होटल नई दिल्ली	संस्था अंतर्नियमावली में परिवर्तन और प्रबंध निदेशक की शर्तों का अनुमोदन

टिप्पणी : संबंधित वार्षिक आम बैठकों की सूचनाओं में विनिर्दिष्ट सभी संकल्प सदस्यों द्वारा विधिवत् पारित किए

गए। 31.03.2014 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक आम बैठक में सभी संकल्प मतदान (इलैक्ट्रॉनिक और मतपत्र दोनों) के माध्यम से पारित किए गए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों (श्री ए.वी. रतनम और डॉ. ऊषा किरण राय) की नियुक्ति के अनुमोदन हेतु दो संकल्प मार्च, 2015 में पोस्टल मतपत्र के जरिए पारित किए गए। उपर्युक्त पोस्टल मतपत्र का मतदान पैटर्न निम्नप्रकार था :–

i) स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री ए. वी. रतनम की नियुक्ति का अनुमोदन

प्रवर्तक/पब्लिक	धारित शेयरों की संख्या (1)	डाले गए मतों की संख्या (2)	बकाया शेयरों पर डाले गए मतों का प्रतिशत (3)=[(2)/(1)]*100	पक्ष में मतों की संख्या (4)	विरोध में मतों की संख्या (5)	डाले गए मतों में पक्ष में पड़े मतों का प्रतिशत (6)=[(4)/(2)]*100	डाले गए मतों में विरोध में पड़े मतों का प्रतिशत (7)=[(5)/(2)]*100
प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह	74641681	74641681	100	74641681	0	100	0
पब्लिक – संस्थागत धारक	3521111	3126429	88.791	3126429	0	100	0
पब्लिक – अन्य	7606608	8454	0.111	8450	04	99.953	0.047
जोड़	85769400	77776564		77776560	04		

ii) स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. उषा किरण राय की नियुक्ति का अनुमोदन

प्रवर्तक/पब्लिक	धारित शेयरों की संख्या (1)	डाले गए मतों की संख्या (2)	बकाया शेयरों पर डाले गए मतों का प्रतिशत (3)=[(2)/(1)]*100	पक्ष में मतों की संख्या (4)	विरोध में मतों की संख्या (5)	डाले गए मतों में पक्ष में पड़े मतों का प्रतिशत (6)=[(4)/(2)]*100	डाले गए मतों में विरोध में पड़े मतों का प्रतिशत (7)=[(54)/(2)]*100
प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह	74641681	74641681	100	74641681	0	100	0
पब्लिक – संस्थागत धारक	3521111	3126429	88.791	3126429	0	100	0
पब्लिक – अन्य	7606608	8454	0.111	8450	04	99.953	0.047
जोड़	85769400	77776564		77776560	04		

(10) प्रकटन

स्थिति निम्नप्रकार है :–

(क) महत्वपूर्ण प्रकृति के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटन

निगम ने महत्वपूर्ण प्रकृति का कोई ऐसा पार्टी लेनदेन नहीं किया है, जिसका सामान्यतया कम्पनी के हितों से कोई संभाव्य विरोध हो।

(ख) विधिक अनुपालन

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी सांविधिक प्राधिकरण ने पूँजी बाजार से संबंधित किसी मामले में निगम पर कोई दण्ड नहीं लगाया है और न ही कटु आलोचना की है। तथापि, स्टॉक एक्सचेंजों ने बोर्ड तथा अर्हक एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति के गठन के संबंध में सूचीकरण करार के गैर–अनुपालन संबंधी अपनी टिप्पणियों के बारे में समय–समय पर पत्र भेजे हैं।

(ग) विसल ब्लोअर नीति

निगम की एक विसल ब्लोअर नीति है, जो वेबसाइट http://www.theashokgroup.com/Aboutus/RTI पर उपलब्ध है। इस संबंध में किसी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति के पास पहुंचने से मना नहीं किया गया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते निगम में सतर्कता विभाग है।

सतर्कता प्रभाग का अध्यक्ष, मुख्य सतर्कता अधिकारी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन होता है।

(घ) जैसाकि यहां ऊपर बताया गया है, निगम ने स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधान को छोड़कर, सामान्यतया खण्ड 49 की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। निगम ने सूचीकरण करार के खंड 49 की निम्नलिखित गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया है :

क) आंतरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का सारांश बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

ख) अर्धवार्षिक निष्पादन के संबंध में, द्वितीय तिमाही के त्रैमासिक परिणाम प्रस्तुत/प्रकाशित करते समय वर्ष से तिथि तक परिणाम सूचीकरण करार के खंड 41 के अनुसार निर्दिष्ट फार्मेट में प्रकाशित किए जाते हैं।

(ङ) निगम अभिशासन से संबंधित सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खण्ड 3.5 के अनुसार, बोर्ड की शक्तियों का विवरण संस्था अंतर्नियमावली के खण्ड 71 में दिया गया है। बोर्ड द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और कार्य निदेशकों को प्रत्यायोजित शक्तियों का विवरण अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा कार्य निदेशकों की डीओपी में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न प्रभागाध्यक्षों/एककाध्यक्षों की शक्तियों और जहां आवश्यक है, प्रभागाध्यक्ष स्तर से नीचे के प्रचालन स्टॉफ की शक्तियों का विवरण संबंधित डीओपी में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(11) जोखिम प्रबंधन

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुपालन में जोखिमों की पहचान एवं न्यूनीकरण के लिए एक सुदृढ़ प्रक्रिया जोखिम प्रबंध नीति बोर्ड द्वारा 11 मई, 2010 को हुई उनकी बैठक में अनुमोदित की गई और 23 सितम्बर, 2010 को परिचालित एवं आईटीडीसी की वेबसाइट पर डाली गई। इस नीति के अनुसार सभी रणनीतिक प्रभागों के एकक अध्यक्ष जोखिम प्रबंधक के रूप में नामित किए गए हैं तथा एक जोखिम प्रबंध अनुपालन समिति (आरएमसीसी), जिसके वर्तमान अध्यक्ष निदेशक (वाणिज्यिक एवं विपणन) हैं, का गठन निगम की जोखिम प्रबंध नीति का निरीक्षण एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान आरएमसीसी की दो बैठकों का आयोजन 02.06.2014 एवं 02.12.2014 को हुआ।

(12) सहायक कम्पनियां

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार किसी सहायक कंपनी को तभी महत्त्वपूर्ण माना जाएगा, यदि सहायक कंपनी का निवेश पिछले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार उसके समेकित निवल मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक हो अथवा यदि सहायक कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की समेकित आय का 20 प्रतिशत सृजित किया हो।

उपर्युक्त नीति के अनुसार सूचीकरण करार के खण्ड 49 (V) के अन्तर्गत निगम की कोई महत्वपूर्ण असूचीबद्ध सहायक कम्पनी नहीं है और इसलिए ऐसी सहायक कम्पनी के निदेशक बोर्ड में निगम के स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता नहीं है। तथापि, नियंत्रक कम्पनी के सभी कार्यपालक निदेशक सहायक कम्पनियों के निदेशक बोर्ड में गैर–कार्यपालक अंशकालिक निदेशक हैं। निगम ने सहायक कम्पनियों के निदेशक बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त भारत पर्यटन विकास निगम के निदेशक बोर्ड को 28.04.2014, 20.10.2014 और 13.02.2015 को प्रस्तुत कर दिए हैं।

(13) आंतरिक व्यापार नीति

भारत पर्यटन विकास निगम ने समय–समय पर यथा संशोधित सेबी (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 1992 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक व्यापार को रोकने के लिए आचार संहिता अपनाई है। आचार संहिता के मॉडल को भारत पर्यटन विकास निगम की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। बोर्ड ने 29 मई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में नए सेबी (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसरण में आंतरिक व्यापार को रोकने की संहिता को संशोधित किया था। संशोधित संहिता के खंड 10 में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना पर निष्पक्ष प्रकटन के सिद्धांतों पर चर्चा की गई थी। इस संहिता के अंतर्गत आईटीडीसी इन सिद्धांतों का पालन करेगा। अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना पर निष्पक्ष प्रकटन के सिद्धांत और संहिता वेबसाइट http://www.theashokgroup.com पर उपलब्ध है।

निगम ने वर्ष के दौरान निगम के निदेशकों/प्रबंध कार्मिकों के साथ महत्वपूर्ण प्रकृति का कोई ऐसा लेनदेन नहीं किया है, जिसका सामान्यतया निगम के हितों से कोई संभाव्य विरोध हो।

(14) सम्प्रेषण का माध्यम

निगम अपने शेयरधारकों के साथ वार्षिक आधार पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से सम्प्रेषण करता है। निगम के तिमाही, छमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के तत्काल बाद स्टॉक–एक्सचेंजों को भेजा जाता है। इन परिणामों को निम्नानुसार व्यापक वितरण वाले अग्रणी अंग्रेजी समाचार–पत्र 'दि स्टेट्समैन' और स्थानीय भाषा के समाचार–पत्रों 'जनसत्ता' में प्रकाशित किया जाता है। आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां सीधे प्रैस को रिलीज की जाती हैं। तिमाही परिणामों को निगम की वेबसाइट www.theashokgroup.com पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। प्रबन्ध चर्चा तथा विश्लेषण निदेशक रिपोर्ट का हिस्सा है।

(15) परिचय कार्यक्रम

निगम ने स्वतंत्र निदेशकों और अन्य गैर–कार्यपालक निदेशकों के लिए एक परिचय कार्यक्रम तैयार किया है, जो कंपनी की वेबसाइट http://www.theashokgroup.com/Aboutus/Investorcorner पर उपलब्ध है।

(16) सामान्य शेयरधारक सूचना

(i) वार्षिक आम बैठक : सोमवार, 28 सितम्बर, 2015

(ii) वर्ष : 1 अप्रैल से 31 मार्च तक

(iii) लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम 20 सितम्बर, 2015 को कार्यसमय समाप्ति को लेखाओं में दर्ज रहेंगे। लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में लाभांश की घोषणा की तिथि के 30 दिनों के अंदर किया जाएगा।

(iv) खाते बंद रखना : सोमवार, 21 सितम्बर, 2015 से रविवार, 27 सितम्बर, 2015 तक (दोनों दिन शामिल)।

(v) शेयरों का सूचीकरण : निगम के शेयर दिल्ली एवं मुम्बई के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। निगम ने इन स्टॉक–एक्सचेंजों को वित्त वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया है। इनके पते निम्नप्रकार हैं :–

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
दि स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई (बीएसई) फिरोज जीजीभाई टावर्स दलाल स्ट्रीट, मुम्बई– 400001	532189
दि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि. (डीएसई) डीएसई हाउस, 3/1, आसफ अली रोड नई दिल्ली – 110002	–

दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज निगम के लिए क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज है। निगम ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 2015–16 का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया है।

कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा में निगम की पंजीयन संख्या 55–4363 है। निगम कार्य मंत्रालय द्वारा ई–फाइलिंग शुरू करने पर निगम को पहचान सं. एल 74899 डीएल 1965 जीओआई 004363 आबंटित की गई है।

(vi) बाजार मूल्य आँकड़े : बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भारत पर्यटन विकास निगम के वर्ष 2014–15 में बाज़ार शेयरों के उच्च एवं निम्न मूल्य, कारोबार किए गए शेयरों की संख्या, कुल कारोबार की संक्षिप्त सूचना निम्नप्रकार है :–

वर्ष 2014–15	रुपए		कारोबार किए गए शेयरों की संख्या	कुल कारोबार (लाख ₹ में)
	उच्च	निम्न		
अप्रैल 2014	183.20	95.00	2,00,671	258.89
मई 2014	186.85	147.15	3,53,000	575.04
जून 2014	163.50	129.75	2,30,261	350.86
जुलाई 2014	184.70	137.60	2,31,930	382.84
अगस्त 2014	170.00	136.55	1,26,225	196.02
सितम्बर 2014	164.00	125.00	1,46,095	213.70
अक्तूबर 2014	146.70	113.40	51,667	66.16
नवम्बर 2014	199.90	132.00	3,68,253	640.39
दिसम्बर 2014	169.90	138.05	78,596	121.24
जनवरी 2015	154.80	128.10	73,075	106.51
फरवरी 2015	153.00	121.10	1,11,141	155.08
मार्च 2015	144.00	108.50	93,189	120.42

मार्च 2015 के अंतिम कार्यदिवस अर्थात् 31.03.2015 को शेयरों का बंद मूल्य ₹ 113.80 था।

(vii) रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट :

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31–32,
गाचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032
सम्पर्क व्यक्ति : श्री रवि शुक्ला/श्रीकृष्णा पेमाराजु
ईमेल : einward.ris@karvy.com
टेलीफोन नं. : 91 40 67162222
टोल मुक्त नम्बर 1800–345–4001
फैक्स : 91 40 23001153

(viii) पंजीकृत कार्यालय : स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली –110003

(ix) कॉरपोरेट कार्यालय एवं पत्राचार का पता :
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल,
7, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003

(x) शेयरधारिता पैटर्न तथा शेयरधारिता का वितरण :

31.3.2015 को निगम की ईक्विटी का शेयरधारिता पैटर्न बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न वार्षिक विवरण सार में दिया गया है।

31 मार्च, 2015 को शेयरधारिता का वितरण निम्नप्रकार है :–

श्रेणी (शेयर)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों के प्रति प्रतिशत	शेयरों की संख्या	ईक्विटी में प्रतिशत
1 - 5000	2899	99.28	675116	0.79
5001 - 10000	7	0.24	49284	0.06
10001 - 20000	7	0.24	88494	0.10
20001 - 30000	2	0.07	43439	0.05
100001 - 9999999999	5	0.17	84913067	99.00
जोड़	2920	100.00	85769400	100.00

(xi) शेयरों को डीमैट करवाना : निगम के शेयरों

को डीमैट करवाने के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास जमा कराया जाता है। 31 मार्च, 2015 को 85761389 शेयर, जो 99.99 प्रतिशत हैं, किए जा चुके हैं। प्रवर्तक की सम्पूर्ण धारिता डीमैट स्वरूप में है। आईएसआईएन संख्या : आईएनई353के01014 है।

(xii) निवेशक पत्राचार : निवेशक शेयर अंतरण, शेयरों पर लाभांश के भुगतान आदि से संबंधित किसी भी मामले के लिए निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते हैं :

श्री वी के जैन, कम्पनी सचिव
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल
7 लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003
ईमेल : vkjain@theashokgroup.com
cs_itdc@theashokgroup.com
टेलीफोन : 011–24360249
फैक्स : 011–24360249

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31–32,
गाचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032
सम्पर्क व्यक्ति : श्री रवि शुक्ला/श्रीकृष्णा पेमाराजु
ईमेल : einward.ris@karvy.com
टेलीफोन नं. : 91 40 67162222
टोल मुक्त नम्बर 1800–345–4001
फैक्स : 91 40 23001153

(xiii) होटलों और अन्य एककों आदि की अवस्थिति : निगम के अपने स्वामित्वाधीन तथा प्रबंधित होटलों तथा शुल्क मुक्त दुकानों, एटीटी एककों आदि की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

(xiv) एडीआर/जीडीआर : निगम ने कोई एडीआर/जीडीआर ईश्यू नहीं निकाला है और न ही ऐसा कोई कन्वर्टिबल इन्स्ट्रूमेंट जारी किया है, जिससे ईक्विटी पूँजी प्रभावित होती हो।

(xv) वित्तीय कैलेण्डर :

पहली तिमाही के परिणाम	:	15 अगस्त, 2015 को अथवा इससे पूर्व
दूसरी तिमाही के परिणाम	:	15 नवम्बर, 2015 को अथवा इससे पूर्व
तीसरी तिमाही के परिणाम	:	15 फरवरी, 2016 को अथवा इससे पूर्व
चौथी तिमाही के परिणाम	:	15 मई, 2016 को अथवा इससे पूर्व
31.3.2016 को समाप्त वर्ष की वार्षिक आम बैठक	:	30 सितम्बर, 2016 को अथवा इससे पूर्व

(xvi) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डिमैटिरिलाइल्ड शेयरों के संबंध में डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ एवं प्रत्यक्ष शेयरों के संबंध में पंजीकृत अंतरण एजेंट के पास अपनी ई–मेल आईडी दर्ज करा लें।

(xvii) नामांकन सुविधा : प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने शेयरों के लिए किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं। इससे नामित व्यक्ति बाद में शेयरों को अपने नाम पर अन्तरित कराने की लम्बी प्रक्रिया से बच जाएगा।

(xviii) सामान्य शेयरधारक सूचना :
पंजीकृत कार्यालय :
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल
7 लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003
टेलीफोन : (011) 24360249
फैक्स : (011) 24360249
ई–मेल : vkjain@theashokgroup.com

(17) निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सतत् विकास

निगम अभिशासन एवं सततता रिपोर्ट निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट के **अनुबंध–III भाग क** और **भाग ख** में दी गई है।

घोषणा

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अन्तर्गत, बोर्ड के सदस्यों और प्रबंध कार्मिकों ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आचार–संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

ह./–
(उमंग नरूला)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

अनुबंध–II(i)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

(क) हमने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा कर ली है और हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में प्रमुख रूप से कोई असत्य विवरण नहीं है अथवा ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य अथवा विवरण छूटा नहीं है, जो भ्रामक हो; और

(ii) ये विवरण निगम के मामलों की सही और स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं और विचलनों, लागू विधि तथा विनियमों के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जाने पर वर्तमान लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ख) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान निगम द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया, जो कपटपूर्ण हो, अवैध हो अथवा निगम की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने एवं उनका अनुरक्षण करने की जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित निगम की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन अथवा प्रचालन में कमी, यदि कोई है, जिसकी हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा किए गए अथवा प्रस्तावित उपायों के बारे में लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को बताया है।

(घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को बताया है कि :

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए;

(ii) वर्ष के दौरान नए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान की सीमा तक मूल्यह्रास पद्धति में परिवर्तन को छोड़कर लेखाकरण नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए और इसे वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में प्रकट किया गया है; और

(iii) किसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, जिनकी उन्हें जानकारी है तथा उनमें प्रबंधकवर्ग या किसी कर्मचारी की लिप्तता, यदि कोई हो, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

भारत पर्यटन विकास निगम लि.
के लिए और उसकी ओर से

ह./–
(त्रिनाथ बेहेरा)
निदेशक (वित्त)
तथा मुख्य वित्त अधिकारी

ह./–
(उमंग नरूला)
अध्यक्ष व
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.05.2015

अनुबंध–II(ii)

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अधीन निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण–पत्र

सेवा में

सदस्य
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
नई दिल्ली

1. हमने भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के साथ उक्त निगम के सूचीकरण करार (जिसे इसके बाद "करार" कहा जाएगा) के खण्ड 49 में यथा–निर्धारित निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

2. हमने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निगम द्वारा रखे गए और समीक्षा के प्रयोजन से उपलब्ध कराए गए संगत रिकॉर्डों एवं दस्तावेज़ों और ऐसी समीक्षा के दौरान निगम द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर अपनी जांच की है।

3. निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधकवर्ग की है। हमारी जांच निगम द्वारा निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो निगम के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है।

4. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार निम्नलिखित के अध्यधीन निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है :

(i) सूचीकरण करार के खण्ड 49 के पैरा IV की अपेक्षानुसार हमें सूचित किया गया है कि निगम ने वर्ष 2014–15 की समाप्ति तक स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं किया है। इस समय निगम को न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिए कम से कम एक और स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता है।

हमें यह भी कहना है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो निगम की भावी क्षमता और न ही कम्पनी के कार्यों के संचालन में प्रबंधकवर्ग की कार्यकुशलता अथवा प्रभावकारिता का आश्वासन है।

कृते वी. के. वर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स (एफआरएन 000386एन)

ह./–
(विवेक कुमार)
साझीदार
सदस्यता सं. 503826

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 27 जुलाई, 2015

अनुबंध–II(iii)

वर्ष 2014–15 के लिए निगम अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधकवर्ग के उत्तर

लेखापरीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधकवर्ग के उत्तर
सूचीकरण करार के खण्ड 49 के पैरा IV की अपेक्षानुसार निगम ने वर्ष 2014–15 के अंत तक स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं किया है। इस समय निगम को न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिए कम से कम एक और स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता है।	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) के मामले में, निदेशक की नियुक्ति लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। प्रशासनिक मंत्रालय ने 7 अक्तूबर, 2013 को एक स्वतंत्र निदेशक और 10 दिसम्बर, 2013 को दूसरा स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। सूचीकरण करार के अधीन यथा अपेक्षित अधिक स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् पर्यटन मंत्रालय के विचाराधीन है।

भारत पर्यटन विकास निगम का सेवा नेटवर्क
(31.03.2015 को)

क. अशोक समूह के होटल

1. अशोक होटल, नई दिल्ली
2. होटल जनपथ, नई दिल्ली
3. होटल सम्राट, नई दिल्ली
4. ललित महल पैलेस होटल, मैसूर
5. होटल जयपुर अशोक, जयपुर
6. होटल जम्मू अशोक, जम्मू
7. होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना
8. होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर

ख. रेस्टोरैंट

1. ताज रेस्टोरैंट, आगरा

ग. यात्रा/परिवहन एकक

1. वाराणसी
2. बेंगलूर
3. चेन्नई
4. औरंगाबाद
5. पटना
6. दिल्ली
7. कोलकाता
8. मुम्बई
9. हैदराबाद
10. गुवाहाटी
11. रांची

घ. शुल्क मुक्त दुकानें

1.	कोयम्बटूर एयरपोर्ट आगमन लाउंज	1
2.	चेन्नई समुद्रपत्तन	1
3.	कोलकाता समुद्रपत्तन	1
4.	हल्दिया समुद्रपत्तन	1
5.	विशाखापटनम समुद्रपत्तन	1
6.	गोवा समुद्रपत्तन	1
7.	न्यू मेंगलूर समुद्रपत्तन	1
8.	पारादीप समुद्रपत्तन	1
	जोड़	8

ङ. ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन

1. लाल किला, दिल्ली
2. पुराना किला, दिल्ली

च. संयुक्त उद्यम होटल

1. होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी
2. होटल रांची अशोक, रांची
3. होटल नीलाचल अशोक, पुरी (मार्च 2004 से बंद)
4. होटल पांडिचेरी अशोक, पुदुचेरी
5. होटल लेक व्यू अशोक, भोपाल
6. होटल डोनी पोलो अशोक, ईटानगर

छ. प्रबंधित एकक

1. होटल भरतपुर अशोक, भरतपुर
2. कोसी रेस्टोरैंट, कोसी

ज. खानपान स्थापनाएं

1. राज्य अतिथि गृह व आतिथ्य केन्द्र, हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली
2. वैस्टर्न कोर्ट केटरिंग सर्विस, नई दिल्ली
3. अशोक मयूर रेस्टोरैंट, विज्ञान भवन, नई दिल्ली

निगम सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का सिंहावलोकन तथा सीएसआर नीति और परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के वेब–लिंक का संदर्भ शामिल है, की संक्षिप्त रूपरेखा** :

12 दिसम्बर, 2014 को आयोजित बैठक में बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित सीएसआर और सतत् विकास नीति/कार्यक्रम निम्नप्रकार है :

"वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान आईटीडीसी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां करेगा :

(i) पिछड़े क्षेत्र में परियोजना पर व्यय।

(ii) समुदाय आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वच्छता "स्वच्छ भारत" परियोजना से संबंधित सीएसआर गतिविधियों पर व्यय।

सतत् परियोजनाओं के अंतर्गत आईटीडीसी सम्राट होटल में सौर ऊर्जा तापन प्रणाली स्थापित करेगा।

आईटीडीसी हमेशा सामाजिक, आर्थिक तथा सतत् रूप से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह उन परियोजनाओं में निवेश करना जारी रखेगा, जो पर्यावरणीय सतत्ता की दिशा में हों। आईटीडीसी ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रस्तुत करेगा, जो उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यकर और पर्यावरण अनुकूल हों।"

सीएसआर नीति का वेब–लिंक : http://www.theashokgroup.com/Aboutus/Investorcorner

आईटीडीसी बोर्ड ने 20 अक्तूबर, 2014 को संपन्न अपनी बैठक में पिछड़ा क्षेत्र व्यय के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए अनुमोदन प्रदान किया :

(क) झारखंड में ₹ 5 लाख की राशि से सैप्टिक टैंक और सोक पिट सहित लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण।

(ख) ₹ 5 लाख की राशि से गांवों और विद्यालयों में हैंड पम्प, जल शुद्धिकरण प्रणाली के साथ वाटर टैंक की सुविधा।

2. **सीएसआर समिति की संरचना** :

बोर्ड द्वारा पुनर्गठित समिति की संरचना निम्नप्रकार है :

1. श्री अनुगोलू वैंकट रतनम, स्वतंत्र निदेशक
2. प्रबंध निदेशक
3. निदेशक (वाणिज्यिक और विपणन)

3. **पिछले तीन वित्त वर्षों का कंपनी का औसत निवल लाभ : ₹ 13.14 करोड़**

4. **निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद संख्या 3 की राशि का 2 प्रतिशत) : ₹ 26.28 लाख**

5. **वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का ब्यौरा :**

(क) वित्त वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि : ₹ 26.28 लाख

(ख) व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो : कुल ₹ 26.28 लाख राशि में से ₹ 14.08 लाख

कुतुब मीनार में ''स्वच्छ भारत अभियान'' पर व्यय की गई, जिसका विवरण नीचे पैरा (ग) में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, झारखंड में स्थित बालिका विद्यालय में ₹ 15 लाख की कुल लागत से लड़कियों के लिए तीन शौचालय बनाने का कार्य सौंपा गया।

(ग) वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	**चिह्नित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि**	**क्षेत्र, जिसमें परियोजना शामिल की गई है**	**परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) उस राज्य अथवा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं, अथवा कार्यक्रम चलाए गए**	**राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार**	**परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उपशीर्ष : (1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय**	**रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय**	**व्यय की गई राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से**
1	स्वच्छ भारत परियोजना – कुतुब मीनार की साफ–सफाई और रखरखाव	राष्ट्रीय विरासत, कला तथा संस्कृति, जिसमें ऐतिहासिक महत्त्व के भवनों और स्थलों का पुनरुद्धार शामिल है	दिल्ली	₹ 14.08 लाख	₹ 14.08 लाख	₹ 14.08 लाख	प्रत्यक्ष
2	सैप्टिक टैंक और सोक पिट के साथ लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण हैंड पम्प, जल शुद्धि करण प्रणाली के साथ वाटर टैंक की सुविधा	स्वच्छता तथा पेयजल उपलब्ध कराना	1. बालिका विद्यालय, सिंदूरी गांव, डाल्टनगंज, झारखंड 2. बालिका विद्यालय, पुबीडिया गांव, झारखंड 3. बालिका विद्यालय, कुच्छू गांव, हुंदरू, अंगारा ब्लॉक, झारखंड	अनुमानित लागतः प्रत्येक शौचालय हेतु ₹ 5 लाख, कुल ₹ 15 लाख (31.03.2015 को कार्य चल रहा था)	अनुमानित लागत : प्रत्येक शौचालय हेतु ₹ 5 लाख, कुल ₹ 15 लाख (31.03.2015 को कार्य चल रहा था)	अनुमानित लागतः प्रत्येक शौचालय हेतु ₹ 5 लाख, कुल ₹ 15 लाख (31.03.2015 को कार्य चल रहा था)	प्रत्यक्ष
	जोड़						

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान निवल लाभ अथवा उसके किसी हिस्से का 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल रही है, तो कंपनी अपनी निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में राशि खर्च न करने का कारण बताएगी : लागू नहीं

7. हम एतद्द्वारा इसकी पुष्टि करते हैं कि बोर्ड द्वारा यथानुमोदित सीएसआर नीति कार्यान्वित की गई है तथा सीएसआर समिति सीएसआर नीति के अनुपालन में सीएसआर परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

ह./–
(उमंग नरूला)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

ह./–
(ए. वी. रतनम)
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

अनुबंध–III (भाग ख)

सतत् विकास गतिविधियों पर रिपोर्ट

क्र. सं.	कार्य का नाम	समझौता ज्ञापन निर्धारित लक्ष्य	वर्तमान स्थिति	पूर्ण होने के लिए अपेक्षित वास्तविक समय	विलंब का कारण
1.	सोलर वाटर हिटिंग सिस्टम (सतत् परियोजना) होटल सम्राट	31.03.2015	प्रगति में तकनीकी समानता	03 महीने	निविदा प्रक्रिया में कम प्रतिक्रिया
2.	जनपथ होटल में नए सीएनजी बॉयलर का एसआईटीसी	31.03.2015	पूर्ण	20.05.2015	
3.	होटल सम्राट और जनपथ होटल में वातानुकूलन हेतु ऊर्जा बचत	31.03.2015	निविदा के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं	03 महीने	5 बार निविदा का समय बढ़ाने के बाद भी प्रतिक्रिया नहीं

अनुबंध–IV

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत पर्यटन विकास निगम के सदस्यों की सेवा में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों के उत्तर

संगत राय के आधार पर पैरा	प्रबंधकवर्ग का उत्तर
4(क)	लेखाओं पर टिप्पणी सं. 17 की टिप्पणी सं. 1 एवं 14ए देखें। सहायक कम्पनियों में निवेश, दीर्घकालिक निवेश है और कम्पनी की लेखाकरण नीति के अनुसार इन निवेशों को लेखाओं में लागत पर दिखाया जाता है और प्रत्येक निवेश के मूल्य में अस्थायी प्रकृति के अलावा, ह्रास यदि कोई हो, की व्यवस्था कमी को दिखाने के लिए की जाती है। चूंकि ऋणों की वापसी/उस पर देय ब्याज और प्रबंध शुल्क, प्रति वर्ष उनसे ली जाने वाली राशि के अनुरूप नहीं है, निगम ने 2008–09 से इन कम्पनियों से ऐसी आय (अर्थात् प्रबंध शुल्क तथा दिए गए ऋण पर ब्याज) के लिए लेखाकरण को वास्तविक वसूली तक स्थगित करने का निर्णय लिया है, जोकि राजस्व स्वीकृति पर लेखाकरण मानक–9 के उपबंधों के अनुसार है। तथापि, इन सहायक कम्पनियों की भावी व्यापार योजनाओं और सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों के यथार्थ मूल्य को देखते हुए इन कम्पनियों से निवेश, वसूलनीय प्राप्य राशि को वसूली योग्य माना गया है। दो गैर–प्रचालनरत कम्पनियों के संबंध में, आनन्दपुर साहिब में अपूर्ण परियोजना के पुनरुद्धार की प्रक्रिया सार्वजनिक निजी भागीदारी दीर्घावधिक पट्टा आधार के माध्यम से प्रगति पर है और बंद एकक होटल नीलाचल अशोक, पुरी के मामले में, संयुक्त उद्यम कम्पनी न्यायालय मामले के अंतिम निर्णय के बाद व्यवसाय के नए रास्ते तलाशेगी।
4(ख), (ग) और (घ)	सेवाकर देयता का मासिक लेखाकरण, सेनवैट क्रेडिट की व्युत्क्रम प्रभार में उपयोगिता, सेवाकर और वैट विवरणियों का लेखाओं के साथ मिलान, व्यय के प्रावधान के अंतर्गत क्रेडिट बकाए और विविध संविदाकर्ताओं के अंतर्गत ऋण बकाए के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों की संगत राय के संबंध में संबंधित एकक को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

अनुबंध–IV

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत पर्यटन विकास निगम के सदस्यों की सेवा में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों के उत्तर

संगत राय के आधार पर पैरा	प्रबंधकवर्ग का उत्तर
4(क)	लेखाओं पर टिप्पणी सं. 17 की टिप्पणी सं. 1 एवं 14ए देखें। सहायक कम्पनियों में निवेश, दीर्घकालिक निवेश है और कम्पनी की लेखाकरण नीति के अनुसार इन निवेशों को लेखाओं में लागत पर दिखाया जाता है और प्रत्येक निवेश के मूल्य में अस्थायी प्रकृति के अलावा, ह्रास यदि कोई हो, की व्यवस्था कमी को दिखाने के लिए की जाती है। चूंकि ऋणों की वापसी/उस पर देय ब्याज और प्रबंध शुल्क, प्रति वर्ष उनसे ली जाने वाली राशि के अनुरूप नहीं है, निगम ने 2008–09 से इन कम्पनियों से ऐसी आय (अर्थात् प्रबंधन शुल्क तथा दिए गए ऋण पर ब्याज) के लिए लेखाकरण को वास्तविक वसूली तक स्थगित करने का निर्णय लिया है, जोकि राजस्व स्वीकृति पर लेखाकरण मानक–9 के उपबंधों के अनुसार है। तथापि, इन सहायक कम्पनियों की भावी व्यापार योजनाओं और सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों के यथार्थ मूल्य को देखते हुए इन कम्पनियों से निवेश, वसूलनीय प्राप्य राशि को वसूली योग्य माना गया है। दो गैर–प्रचालनरत कम्पनियों के संबंध में, आनन्दपुर साहिब में अपूर्ण परियोजना के पुनरुद्धार की प्रक्रिया सार्वजनिक निजी भागीदारी दीर्घावधिक पट्टा आधार के माध्यम से प्रगति पर है और बंद एकक होटल नीलाचल अशोक, पुरी के मामले में, संयुक्त उद्यम कम्पनी न्यायालय मामले के अंतिम निर्णय के बाद व्यवसाय के नए रास्ते तलाशेगी।
4(ख), (ग) और (घ)	सेवाकर देयता का मासिक लेखाकरण, सेनवैट क्रेडिट की व्युत्क्रम प्रभार में उपयोगिता, सेवाकर और वैट विवरणियों का लेखाओं के साथ मिलान, व्यय के प्रावधान के अंतर्गत क्रेडिट बकाए और विविध संविदाकर्ताओं के अंतर्गत ऋण बकाए के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों की संगत राय के संबंध में संबंधित एकक को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
4(ङ)	मैसर्स आईटीडीसी एल्डिआसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मसौदा खातों पर विचार करने के संबंध में, संयुक्त उद्यम साझीदार ने संयुक्त उद्यम कंपनी बंद करने की अपनी इच्छा कंपनी को सूचित की है।

अनुबंध–V

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर रिपोर्ट के अनुबंध में विहित सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर

पैरा सं.	प्रबंधकवर्ग का उत्तर
1 (क) और (ख)	अनुपालन के लिए नोट किया।
2 (क), (ख) और (ग)	अनुपालन के लिए नोट किया।
3	कोई टिप्पणी नहीं।
4	अनुपालन के लिए नोट किया।
5	कोई टिप्पणी नहीं।
6	कोई टिप्पणी नहीं।
7 (क)	अनुपालन के लिए नोट किया।
7 (ख)	चूँकि बिक्रीकर, आयकर, विलासिता–कर, सीमा–शुल्क इत्यादि के मामलों में उपयुक्त प्राधिकरणों से अपील की गई है, अतः निर्णय होने तक उन्हें लेखाओं पर टिप्पणियों में आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है (टिप्पणी संख्या 31 देखें)।
8 से 12	कोई टिप्पणी नहीं।

उपर्युक्त, जिन टिप्पणियों को अनुपालन के लिए नोट किया गया है, उनके संबंध में सभी एककों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जाएगी, ताकि आगामी वर्ष के लेखाओं में उनकी पुनरावृत्ति न हो।

अनुबंध–V

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट के अनुबंध में विहित लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर

पैरा सं.	प्रबंधकवर्ग का उत्तर
1 (क) और (ख)	अनुपालन के लिए नोट किया।
2 (क), (ख) और (ग)	अनुपालन के लिए नोट किया।
3	कोई टिप्पणी नहीं।
4	अनुपालन के लिए नोट किया।
5	कोई टिप्पणी नहीं।
6	कोई टिप्पणी नहीं।
7 (क)	अनुपालन के लिए नोट किया।
7 (ख)	चूँकि बिक्रीकर, आयकर, विलासिता–कर, सीमा–शुल्क इत्यादि के मामलों में उपयुक्त प्राधिकरणों से अपील की गई है, अतः निर्णय होने तक उन्हें लेखाओं पर टिप्पणियों में आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है (टिप्पणी संख्या 31 देखें)।
8 से 12	कोई टिप्पणी नहीं।

उपर्युक्त, जिन टिप्पणियों को अनुपालन के लिए नोट किया गया है, उनके संबंध में सभी एककों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जाएगी, ताकि आगामी वर्ष के लेखाओं में उनकी पुनरावृत्ति न हो।

अनुबंध–VI

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए शेयरधारकों की सेवा में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में विहित मामले की महत्ता पर प्रबंधकवर्ग के उत्तर

क्र. सं.	प्रबंधकवर्ग का उत्तर
1.	सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सामान्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 32(3), स्टॉक और भंडारण उपभोग इत्यादि की ओर ध्यान आकर्षित किया है, मुद्दा/लेखाकरण पद्धति को टिप्पणी संख्या 32(3) में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।
2.	सांविधिक लेखापरीक्षकों ने पुराने गैर–वसूलीयोग्य देनदारियों को बट्टे खाते डालने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के अनुसार न्यायालय के प्रक्रियाधीन देनदारियों को बट्टे खाते डालने की कार्रवाई न्यायालय का निर्णय आने पर की जाती है। अन्य देनदारियों को कंपनी की क्रेडिट नीति के अनुसार बट्टे खाते डाला जाता है।
3.	छूट प्राप्त उत्पादन सेवाओं को आरोपणीय सेनवैट क्रेटिड के समानुपातिक अल्प भुगतान, यदि कोई हो, पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणी के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि होटल उद्योग मापदंडों के अनुसार छूट प्राप्त उत्पादन सेवाएं महत्त्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि सभी लेनदेनों पर सेवाकर देय है।

अनुबंध–VI

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर शेयरधारकों की सेवा में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में विहित मामले की महत्ता पर प्रबंधकवर्ग के उत्तर

क्र. सं.	प्रबंधकवर्ग का उत्तर
6(क)	नियंत्रक कंपनी, सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम के विरुद्ध दाखिल न्यायिक मामले के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के संबंध में टिप्पणी संख्या 31 पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणी के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि कंपनी/समूह के विरुद्ध किए गए दावों को मामलों का अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण ऋणों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसे आकस्मिक देयताएं माना गया है तथा टिप्पणी संख्या 31 में उचित रूप से प्रकट किया गया है।
6(ख)	सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सामान्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 32(3), स्टॉक और भंडारण उपभोग इत्यादि की ओर ध्यान आकर्षित किया है, मुद्दा/लेखाकरण पद्धति को टिप्पणी संख्या 32(3) में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।
6(ग)	सांविधिक लेखापरीक्षकों ने पुराने गैर–वसूलीयोग्य देनदारियों को बट्टे खाते डालने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के अनुसार न्यायालय के प्रक्रियाधीन देनदारियों को बट्टे खाते डालने की कार्रवाई न्यायालय का निर्णय आने पर की जाती है। अन्य देनदारियों को कंपनी की क्रेडिट नीति के अनुसार बट्टे खाते डाला जाता है।
6(घ)	छूट प्राप्त उत्पादन सेवाओं को आरोपणीय सेनवैट क्रेटिड के समानुपातिक अल्प भुगतान, यदि कोई हो, पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणी के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि होटल उद्योग मापदंडों के अनुसार छूट प्राप्त उत्पादन सेवाएं महत्त्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि सभी लेनदेनों पर सेवाकर देय है।

अनुबंध–VII

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में
सदस्यगण,
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8,
छठा तल, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

मैंने लागू सांविधिक प्रावधानों तथा **मैसर्स भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (सीआईएन एल74899डीएल1965जीओआई004363) (इसमें इसके बाद "कंपनी" कहा गया है)** द्वारा निगम परिपाटी के उचित अनुपालन की सविचीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया गया है, जो हमें निगम आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उस पर हमारी राय व्यक्त करने में एक युक्तिसंगत आधार प्रदान करता है।

सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा रखी गई कंपनी के लेखाओं, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों तथा दाखिल किए गए विवरणों तथा अन्य रिकार्डों के साथ–साथ कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचनाओं के हमारे सत्यापन के आधार पर, मैं रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखापरीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक कंपनी में बोर्ड कार्यविधियों तथा अनुपालन का एक उचित तंत्र अस्तित्व में है :

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए मैसर्स भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लेखाओं, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों तथा दाखिल किए गए विवरणों और अन्य रिकॉर्डों की जांच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम ;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('ससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विनिर्दिष्ट नियम और विनियम :

(क) सेबी (शेयर अधिग्रहण और ग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) सेबी (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 1992;

(ग) सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009;

(घ) सेबी (कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम और कर्मचारी स्टॉक विक्रय स्कीम) दिशानिर्देश, 1999;

(ङ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के संबंध में सेबी (निर्गम के पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;

(vi) कंपनी के लिए विशिष्ट रूप से लागू अन्य कानून :

1) संविदा श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970

2) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

3) जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

4) जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977

5) वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

6) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

मैंने कंपनी द्वारा भारत में स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

मैं पुनः रिपोर्ट करता हूं कि निम्नलिखित के अनुसरण में कोई कार्रवाई/घटना नहीं हुई :

(i) सेबी (ऋण प्रतिभूति निर्गम और सूचीकरण);

(ii) सेबी (ईक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009; और

(iii) सेबी (प्रतिभूति पुनर्खरीद) विनियम, 1998

वित्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उसका अपेक्षित अनुपालन और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक वर्ष के दौरान लागू नहीं थे।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, विनियम, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन है :

1. *कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के तहत कंपनी सचिव की "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" के रूप में नियुक्ति के लिए प्रपत्र एमआर–1 प्रस्तुत नहीं किया है।*

2. *स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 41 के अधीन अपेक्षानुसार कंपनी ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए स्टॉक एक्सचेंज के साथ लेखापरीक्षित परिणाम निर्धारित समय–सीमा अर्थात् वित्त वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं किए हैं।*

3. *आईटीडीसी के एकक सम्राट होटल द्वारा संविदा श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अधीन प्रपत्र संख्या XXV में वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।*

4. *आईटीडीसी के एकक सम्राट होटल के संविदाकर्ता द्वारा संविदा श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत प्रपत्र संख्या XXIV में अर्धवार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।*

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि :

कंपनी द्वारा लेखापरीक्षा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून जैसे लागू वित्तीय कानूनों की समीक्षा नहीं की गई है, जबकि यह सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य निर्दिष्ट व्यावसायिकों की समीक्षा के अध्यधीन रही है।

कंपनी का निदेशक बोर्ड विधिवत गठित है, जिसमें कार्यपालक निदेशकों और गैर–कार्यपालक निदेशकों का उचित संतुलन है, सिवाय इसके कि *स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम आवश्यकता अर्थात् सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन बोर्ड की संख्या का 50 प्रतिशत नहीं है। इस समय कंपनी के निदेशक बोर्ड में केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। तथापि, कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय होने के नाते पर्यटन*

मंत्रालय, भारत सरकार से इस अनुरोध के लिए संपर्क किया कि कंपनी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने पर विचार किया जाए ताकि कंपनी विविध आवश्यकताओं का पालन करने में समर्थ हो सके। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों की तिथि और समय के बारे में सभी निदेशकों को उचित रूप से सूचित किया जाता है, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजी गई थीं तथा बैठक के पहले कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली अस्तित्व में है।

निर्णय बहुमत से लिया जाता है तथा असहमत सदस्यों की राय प्राप्त की जाती है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज की जाती है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लागू विधानों, नियमों, विनिमयों और दिशानिर्देशों को मानीटर करने और उसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के स्वरूप और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और कार्यविधियां मौजूद हैं।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा विशिष्ट आयोजन अथवा कार्रवाई नहीं की गई, जिसका ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुपालन में कंपनी के कार्यों पर असर पड़ा हो।

कृते पी सी जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव

ह./–
(पी. सी. जैन)
स्वामी
सीपी संख्या 3349
सदस्यता संख्या एफसीएस4103

तिथि : 14.08.2015
स्थान : फरीदाबाद

टिप्पणी : यह रिपोर्ट हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पढ़ी जाए, जिसे अनुबंध "क" के रूप में संलग्न किया गया है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुबंध–क

सेवा में
सदस्यगण,
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8
छठा तल, 7 लोदी रोड
नई दिल्ली–110003

महोदय,

वित्त वर्ष 2014–15 की इसी तिथि की हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ें।

1. सचिवीय रिकार्ड बनाना कंपनी के प्रबंधकवर्ग का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन सचिवीय रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. मैंने सचिवीय रिकार्डों की विषय–वस्तु की सत्यता के बारे में पर्याप्त आश्वस्त होने के लिए उचित लेखापरीक्षा परिपाटी और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन जांच आधार पर किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्य प्रतिबिम्बित हो सकें। मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और व्यवहार हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, श्रम कानून रिकार्डों, कर्मचारियों के वैयक्तिक रिकार्डों तथा लेखाओं की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है, क्योंकि ये विशिष्ट लागू कानूनों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

4. जब भी आवश्यक समझा गया, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाक्रमों इत्यादि के बारे में प्रबंधकवर्ग का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. कॉरपोरेट और अन्य विशिष्ट लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधकवर्ग का दायित्व है। हमारी पड़ताल जांच आधार पर कार्यविधियों के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न कंपनी की भावी लाभप्रदता और न उसकी कार्यक्षमता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधकवर्ग ने कंपनी का कार्यसंचालन किया है।

कृते पी सी जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव

ह./–
(पी. सी. जैन)
स्वामी
सीपी संख्या 3349
सदस्यता संख्या एफसीएस4103

तिथि : 14.08.2015
स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध–VIII

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अधीन सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उसकी टिप्पणियों और अभ्युक्तियों के संबंध में प्रबंधकवर्ग का स्पष्टीकरण

टिप्पणियां / अभ्युक्तियां	स्पष्टीकरण
कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत ''प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक'' के रूप में कंपनी सचिव की नियुक्ति हेतु प्रपत्र एमआर–1 प्रस्तुत नहीं किया है।	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार कंपनी सचिव प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से एक होता है। प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में कंपनी सचिव की नियुक्ति के लिए प्रपत्र एमआर–1 दाखिल करने की आवश्यकता कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई है, जो 1 अप्रैल, 2014 से लागू है। आईटीडीसी में कंपनी सचिव को पुराने कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 15 दिसम्बर, 2008 को नियुक्त किया गया है और पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत यथा अपेक्षानुसार उस समय अपेक्षित प्रपत्र 32 कंपनी पंजीयक को प्रस्तुत किया गया था। नियुक्त कंपनी सचिव धारा 2(51) में निहित परिभाषा के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक है तथा केएमपी के लिए आगे कोई कार्रवाई अथवा नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।
स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड 41 की आवश्यकता के अनुसार कंपनी ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए स्टॉक एक्सचेंज के अपने लेखापरीक्षित परिणाम निर्धारित समय–सीमा अर्थात् वित्त वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं किए हैं।	आईटीडीसी ने सूचीकरण करार के खंड 41(थ) (ङकक) के अनुसार सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2014 को समाप्त अंतिम तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रकाशित किए। कंपनी को बीएसई से दिनांक 9.7.2014 का ई–मेल प्राप्त हुआ, जिसमें यह सूचना थी कि एक्सचेंज को वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के अपरीक्षित वित्तीय परिणामों के स्थान पर वित्त वर्ष समाप्ति के 60 दिनों के भीतर अंतिम तिमाही / वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भेजा जाना अपेक्षित है। हमने समय बढ़ाने और 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम के प्रस्तुतीकरण और प्रकाशन में हुए विलंब के लिए क्षमा करने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकृत नहीं किया गया था। सेबी ने विलंब के कारणों की घोषणा करने को कहा है। सेबी के निर्देशों का 11 अगस्त, 2014 को अनुपालन किया गया। स्टॉक एक्सचेंज को लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम 14 अगस्त, 2014 को प्रस्तुत किए गए थे।

आईटीडीसी के एकक, सम्राट होटल द्वारा संविदा श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अधीन प्रपत्र संख्या XXV में वार्षिक विवरण दाखिल नहीं किया गया।	31 दिसम्बर, 2014 को समाप्त वर्ष का उक्त विवरण दिनांक 08 जुलाई, 2015 के पत्र के द्वारा दाखिल किया गया है।
आईटीडीसी के एकक, सम्राट होटल के संविदाकर्ता द्वारा संविदा श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनिमय, 1970 के अधीन प्रपत्र संख्या XXIV में अर्धवार्षिक विवरण दाखिल नहीं किया।	उक्त विवरण दाखिल करना संविदाकर्ता का दायित्व है, न कि मुख्य नियोक्ता का। संविदाकर्ता को उक्त विवरण दाखिल करने की सलाह दी गई है।
कंपनी में बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले उसके बोर्ड में केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। तथापि, कंपनी ने कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय होने के नाते पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है, ताकि कंपनी की विधिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें।	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के मामले में, निदेशकों की नियुक्ति सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। प्रशासनिक मंत्रालय ने एक स्वतंत्र निदेशक 07 अक्तूबर, 2013 को और दूसरा स्वतंत्र निदेशक 10 दिसम्बर, 2013 को नियुक्त किया था। सूचीकरण करार के अंतर्गत यथा अपेक्षित और अधिक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् पर्यटन मंत्रालय के विचाराधीन है।

अनुबंध–IX

प्रपत्र संख्या एमजीटी–9 (वार्षिक विवरण का सार)

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष की स्थिति के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

(i) सीआईएन : एल74899डीएल1965जीओआई004363

(ii) पंजीकरण तिथि : 31 मार्च, 1965

(iii) कंपनी का नाम : भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

(iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी : शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी/केंद्र सरकार की कंपनी

(v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण : स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 टेलीफैक्स : 011–24360249 ई–मेल : vkjain@theashokgroup.com वेबसाइट : http://www.theashokgroup.com

(vi) क्या कंपनी सूचीबद्ध है : हां

II. कंपनी की प्रमुख कारोबार गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक योगदान करने वाली सभी कारोबार गतिविधियां निम्नप्रकार हैं :

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार में प्रतिशत
1.	होटल	99721223	56.31
2.	टुअर्स और ट्रैवल्स	99679900	23.74

III. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1.	रांची अशोक बिहार होटल निगम लिमिटेड	यू55100बीआर1983एसजीसी001855	सहायक	51	2(87)(ii)
2.	मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लिमिटेड	यू55101एमपी1985एसजीसी002735	सहायक	51	–वही–
3.	असम अशोक होटल निगम लिमिटेड	यू55101एएस1985जीओआई002306	सहायक	51	–वही–
4.	डोनी पोलो अशोक होटल निगम लिमिटेड	यू55101एआर1987एसजीसी002759	सहायक	51	–वही–
5.	पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड	यू17111पीवाई1986एसजीसी000417	सहायक	51	–वही–
6.	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	यू45202सीएच1998एसजीसी021936	सहायक	51	–वही–
7.	उत्कल अशोक होटल निगम लिमिटेड	यू55101ओआर1983जीओआई001276	सहायक	98	–वही–
8.	आईटीडीसी एल्डिआसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	यू45400डीएल2007पीटीसी168375	सहयोगी	50	2(6)

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल ईक्विटी के प्रतिशत रूप में ईक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

(i) 31.03.2015 को श्रेणी–वार शेयरधारिता

श्रेणी कोड	शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष 01.04.2014 के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष 31.03.2015 के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
		डीमैट	प्रत्यक्ष	जोड़	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	प्रत्यक्ष	जोड़	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
(क)	प्रवर्तक									
(1)	भारतीय									
(क)	वैयक्तिक/एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार (सरकारें)	74641681	0	74641681	87.03	74641681	0	74641681	87.03	0.00
(ग)	निकाय निगम	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ)	वित्तीय संस्थाएं/बैंक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ड.)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप–जोड़ क(1) :	**74641681**	**0**	**74641681**	**87.03**	**74641681**	**0**	**74641681**	**87.03**	**0.00**
(2)	विदेशी									
(क)	वैयक्तिक (अनिवासी भारतीय/ विदेशी व्यक्ति)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख)	निकाय निगम	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ग)	संस्थाएं	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ)	पात्र विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ड.)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप–जोड़ क(2) :	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	जोड़ क = क(1) + क(2)	**74641681**	**0**	**74641681**	**87.03**	**74641681**	**0**	**74641681**	**87.03**	**0.00**
(ख)	सार्वजनिक शेयरधारिता									
(1)	संस्थाएं									
(क)	म्यूचुअल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख)	वित्तीय संस्थाएं/बैंक	3779400	0	3779400	4.41	3521111	0	3521111	4.11	-0.30
(ग)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार (सरकारें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ)	उद्यम पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ड)	बीमा कंपनियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(च)	विदेशी संस्थागत निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(छ)	विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ज)	पात्र विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(झ)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप–जोड़ ख(1) :	**3779400**	**0**	**3779400**	**4.41**	**3521111**	**0**	**3521111**	**4.11**	**-0.30**

श्रेणी कोड	शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष 01.04.2014 के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष 31.03.2015 के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
		डीमैट	प्रत्यक्ष	जोड़	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	प्रत्यक्ष	जोड़	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
(2)	गैर–संस्थाएं									
(क)	निकाय निगम (भारतीय/विदेशी)	6904322	0	6904322	8.05	6873682	0	6873682	8.01	-0.04
(ख)	वैयक्तिक									
	(i) ₹ 1 लाख तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्ति	376825	8303	385128	0.45	619728	8011	627739	0.73	+0.28
	(ii) ₹ 1 लाख से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्ति	42000	0	42000	0.05	97700	0	97700	0.11	+0.06
(ग)	अन्य									
	(i) समाशोधन सदस्य	15621	0	15621	0.02	1611	0	1611	0.00	-0.02
	(ii) अनिवासी भारतीय	1248	0	1248	0.00	5876	0	5876	0.01	+0.01
(घ)	पात्र विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप–जोड़ ख (2) :	**7340016**	**8303**	**7348319**	**8.57**	**7598597**	**8011**	**7606608**	**8.87**	**+0.30**
	जोड़ ख = ख(1) + ख(2)	**11119416**	**8303**	**11127719**	**12.97**	**11119708**	**8011**	**11127719**	**12.97**	**0.00**
	जोड़ (क+ख) :	**85761097**	**8303**	**85769400**	**100.00**	**85761389**	**8011**	**85769400**	**100.00**	**0.00**
	अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर, जिनके लिए निक्षेप प्राप्तियां जारी की गई हैं									
	(i) प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	(ii) सार्वजनिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	कुल–जोड़ (क+ख+ग) :	**85761097**	**8303**	**85769400**	**100.00**	**85761389**	**8011**	**85769400**	**100.00**	**0.00**

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में गिरवी/भारित शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में गिरवी/भारित शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
1.	भारत के राष्ट्रपति	7,46,41,681	87.03	शून्य	7,46,41,681	87.03	शून्य	शून्य
	कुल	7,46,41,681	87.03	शून्य	7,46,41,681	87.03	शून्य	शून्य

(iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन

वर्ष 2014–15 के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(iv) शीर्षस्थ दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों तथा जीडीआर और एडीआर धारकों को छोड़कर) का शेयरधारिता पैटर्न :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	दि इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं)		6750275	7.87	6750275	7.87
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम (वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं)		3016729	3.52	3016729	3.52
3.	देना बैंक – निवेश वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी		652971	0.76		
	25.04.2014	शेयरों की बिक्री – 10000			642971	0.75
	16.05.2014	शेयरों की बिक्री – 10000			632971	0.74
	23.05.2014	शेयरों की बिक्री – 58600			574371	0.76
	30.05.2014	शेयरों की बिक्री – 2631			571740	0.67
	06.06.2014	शेयरों की बिक्री – 39075			532665	0.62
	13.06.2014	शेयरों की बिक्री – 8121			524544	0.61
	11.07.2014	शेयरों की बिक्री – 15000			509544	0.59
	18.07.2014	शेयरों की बिक्री – 6866			502678	0.59
	25.07.2014	शेयरों की बिक्री – 5690			496988	0.58
	08.08.2014	शेयरों की बिक्री – 2004			494984	0.58
	29.08.2014	शेयरों की बिक्री – 5000			489984	0.57
	05.09.2014	शेयरों की बिक्री – 5742			484242	0.56
	12.09.2015	शेयरों की बिक्री –18771			465471	0.54
	19.09.2014	शेयरों की बिक्री – 642			464829	0.54
	30.09.2014	शेयरों की बिक्री – 15506			449323	0.52
	31.10.2014	शेयरों की बिक्री – 277			449046	0.52
	07.11.2014	शेयरों की बिक्री – 29046			420000	0.49
	14.11.2014	शेयरों की बिक्री – 4872			415128	0.48
	30.01.2015	शेयरों की बिक्री – 11500			403628	0.47
	06.03.2015	शेयरों की बिक्री – 8946			394682	0.46
4.	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं)		109700	0.13	109700	0.13
5.	प्रमोद प्रेमचंद शाह 25.04.2014 शेयरों की बिक्री – 7000		21000	0.02	14000	0.01
6.	विकास अग्रवाल (वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं)		21000	0.02	21000	0.02
7.	एसएमसी ग्लोबल सिक्युरिटीज लिमिटेड वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी		19140	0.02		
	04.04.2014	शेयरों की बिक्री – 900			18240	0.02
	11.04.2014	शेयरों की बिक्री – 2200			16040	0.02
	18.04.2014	शेयरों की बिक्री – 400			15640	0.02
	25.04.2014	शेयरों की बिक्री – 1635			14005	0.02
	02.05.2014	शेयरों की खरीद – 274			14279	0.02
	09.05.2014	शेयरों की बिक्री – 12704			1575	0.00
	16.05.2014	शेयरों की बिक्री – 770			805	0.00
	23.05.2014	शेयरों की खरीद – 50			855	0.00
	30.05.2014	शेयरों की खरीद – 1870			2725	0.00
	06.06.2014	शेयरों की बिक्री – 1445			1280	0.00
	13.06.2014	शेयरों की खरीद – 300			1580	0.00
	20.06.2014	शेयरों की बिक्री – 135			1445	0.00
	30.06.2014	शेयरों की बिक्री – 700			745	0.00
	11.07.2014	शेयरों की खरीद – 250			995	0.00
	18.07.2014	शेयरों की खरीद – 17			1012	0.00
	25.07.2014	शेयरों की खरीद – 13			1025	0.00
	01.08.2014	शेयरों की खरीद – 250			1275	0.00
	08.08.2014	शेयरों की खरीद – 100			1375	0.00
	15.08.2014	शेयरों की बिक्री – 10			1365	0.00
	22.08.2014	शेयरों की खरीद – 150			1515	0.00
	29.08.2014	शेयरों की बिक्री – 600			915	0.00
	05.09.2014	शेयरों की खरीद – 45			960	0.00
	12.09.2014	शेयरों की खरीद – 150			1110	0.00
	19.09.2014	शेयरों की बिक्री – 115			995	0.00
	30.09.2014	शेयरों की खरीद – 347			1342	0.00
	24.10.2014	शेयरों की खरीद – 200			1542	0.00
	31.10.2014	शेयरों की बिक्री – 545			997	0.00

	07.11.2014	शेयरों की खरीद – 100			1097	0.00
	14.11.2014	शेयरों की खरीद – 970			2067	0.00
	21.11.2014	शेयरों की खरीद – 50			2117	0.00
	28.11.2014	शेयरों की खरीद – 200			2317	0.00
	05.12.2014	शेयरों की बिक्री – 827			1490	0.00
	12.12.2014	शेयरों की खरीद – 200			1690	0.00
	19.12.2014	शेयरों की खरीद – 50			1740	0.00
	31.12.2014	शेयरों की खरीद – 240			1980	0.00
	09.01.2015	शेयरों की बिक्री – 50			1930	0.00
	16.01.2015	शेयरों की बिक्री – 80			1850	0.00
	23.01.2015	शेयरों की बिक्री – 95			1755	0.00
	30.01.2015	शेयरों की खरीद – 200			1955	0.00
	06.02.2015	शेयरों की बिक्री – 50			1905	0.00
	27.02.2015	शेयरों की खरीद – 210			2115	0.00
	06.03.2015	शेयरों की बिक्री – 375			1740	0.00
	13.03.2015	शेयरों की खरीद – 50			1790	0.00
	20.03.2015	शेयरों की खरीद – 10			1800	0.00
	27.03.2015	शेयरों की बिक्री – 185			1615	0.00
	31.03.2015	शेयरों की बिक्री – 350			1265	0.00
8.	जैनम शेयर कंसलटैंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी		15681	0.02		
	04.04.2014	शेयरों की बिक्री – 100			15581	0.02
	11.04.2014	शेयरों की खरीद – 434			16015	0.02
	25.04.2014	शेयरों की बिक्री – 90			15925	0.02
	02.05.2014	शेयरों की बिक्री – 500			15425	0.02
	16.05.2014	शेयरों की बिक्री – 135			15290	0.02
	23.05.2014	शेयरों की बिक्री – 290			15000	0.02
	30.05.2014	शेयरों की बिक्री – 1066			13934	0.02
	13.06.2014	शेयरों की खरीद – 130			14064	0.02
	11.07.2014	शेयरों की बिक्री – 185			13879	0.02
	08.08.2014	शेयरों की बिक्री – 100			13779	0.02
	29.08.2014	शेयरों की बिक्री – 30			13749	0.02
	12.09.2014	शेयरों की खरीद – 25			13774	0.02
	19.09.2014	शेयरों की खरीद – 100			13874	0.02
	30.09.2014	शेयरों की बिक्री – 1025			12849	0.01
	07.11.2014	शेयरों की बिक्री – 150			12699	0.01
	05.12.2014	शेयरों की बिक्री – 860			11839	0.01
	23.01.2015	शेयरों की बिक्री – 95			11744	0.01
	06.02.2015	शेयरों की खरीद – 5			11749	0.01
	27.02.2015	शेयरों की बिक्री – 20			11729	0.01

	06.03.2015	शेयरों की खरीद – 1			11730	0.01
	13.03.2015	शेयरों की खरीद – 3			11733	0.01
	27.03.2015	शेयरों की खरीद – 11			11744	0.01
	31.03.2015	शेयरों की खरीद – 50			11794	0.01
9.	मंगल केशव सिक्युरिटीज लिमिटेड वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी		14000	0.01		
	04.04.2014	शेयरों की खरीद – 100			14100	0.02
	11.04.2014	शेयरों की बिक्री – 8000			6100	0.01
	02.05.2014	शेयरों की बिक्री – 2200			3900	0.00
	09.05.2014	शेयरों की बिक्री – 1000			2900	0.00
	16.05.2014	शेयरों की खरीद – 2310			5210	0.01
	23.05.2014	शेयरों की खरीद – 4100			9310	0.01
	13.06.2014	शेयरों की बिक्री – 892			8418	0.01
	20.06.2014	शेयरों की बिक्री – 400			8018	0.01
	30.06.2014	शेयरों की बिक्री – 500			7518	0.01
	18.07.2014	शेयरों की खरीद – 25			7543	0.01
	25.07.2014	शेयरों की बिक्री – 1518			6025	0.01
	01.08.2014	शेयरों की बिक्री – 230			5795	0.01
	08.08.2014	शेयरों की बिक्री – 5795			0	0.00
	17.10.2014	शेयरों की खरीद – 75			75	0.00
	31.10.2014	शेयरों की खरीद – 3730			3805	0.00
	07.11.2014	शेयरों की बिक्री – 1923			1882	0.00
	12.12.2014	शेयरों की बिक्री – 1682			200	0.00
	23.01.2015	शेयरों की बिक्री – 200			0	0.00
10.	रेलिगेर सिक्यूरिटीज लिमिटेड वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी		10652	0.01		
	04.04.2014	शेयरों की खरीद – 33			10685	0.01
	11.04.2014	शेयरों की बिक्री – 1139			9546	0.01
	18.04.2014	शेयरों की बिक्री – 86			9460	0.01
	25.04.2014	शेयरों की बिक्री – 481			8979	0.01
	02.05.2014	शेयरों की बिक्री – 1744			7235	0.01
	09.05.2014	शेयरों की खरीद – 944			8179	0.01
	16.05.2014	शेयरों की बिक्री – 106			8073	0.01
	23.05.2014	शेयरों की बिक्री – 1458			6615	0.01
	30.05.2014	शेयरों की खरीद – 197			6812	0.01
	06.06.2014	शेयरों की बिक्री – 2662			4150	0.00
	13.06.2014	शेयरों की बिक्री – 1635			2515	0.00
	20.06.2014	शेयरों की खरीद – 137			2652	0.00
	30.06.2014	शेयरों की बिक्री – 361			2291	0.00
	04.07.2014	शेयरों की बिक्री – 203			2088	0.00

	11.07.2014	शेयरों की खरीद – 150			2238	0.00
	18.07.2014	शेयरों की बिक्री – 68			2170	0.00
	25.07.2014	शेयरों की खरीद – 53			2223	0.00
	01.08.2014	शेयरों की खरीद – 625			2848	0.00
	08.08.2014	शेयरों की बिक्री – 74			2774	0.00
	15.08.2014	शेयरों की खरीद – 266			3040	0.00
	22.08.2014	शेयरों की खरीद – 300			3340	0.00
	29.08.2014	शेयरों की बिक्री – 460			2880	0.00
	05.09.2014	शेयरों की बिक्री – 143			2737	0.00
	12.09.2014	शेयरों की खरीद – 39			2776	0.00
	19.09.2014	शेयरों की बिक्री – 190			2586	0.00
	30.09.2014	शेयरों की खरीद – 422			3008	0.00
	03.10.2014	शेयरों की बिक्री – 93			2915	0.00
	10.10.2014	शेयरों की बिक्री – 620			2295	0.00
	17.10.2014	शेयरों की बिक्री – 500			1795	0.00
	24.10.2014	शेयरों की खरीद – 58			1853	0.00
	31.10.2014	शेयरों की खरीद – 220			2073	0.00
	07.11.2014	शेयरों की बिक्री – 278			1795	0.00
	14.11.2014	शेयरों की खरीद – 133			1928	0.00
	21.11.2014	शेयरों की खरीद – 208			2136	0.00
	28.11.2014	शेयरों की बिक्री – 322			1814	0.00
	05.12.2014	शेयरों की बिक्री – 241			1573	0.00
	12.12.2014	शेयरों की बिक्री – 65			1508	0.00
	19.12.2014	शेयरों की बिक्री – 61			1447	0.00
	31.12.2014	शेयरों की खरीद – 113			1560	0.00
	09.01.2015	शेयरों की बिक्री – 43			1517	0.00
	16.01.2015	शेयरों की बिक्री – 24			1493	0.00
	23.01.2015	शेयरों की बिक्री – 75			1418	0.00
	06.02.2015	शेयरों की खरीद – 229			1647	0.00
	13.02.2015	शेयरों की बिक्री – 12			1635	0.00
	20.02.2015	शेयरों की बिक्री – 24			1611	0.00
	27.02.2015	शेयरों की बिक्री – 524			1087	0.00
	06.03.2015	शेयरों की बिक्री – 119			968	0.00
	13.03.2015	शेयरों की खरीद – 70			1038	0.00
	20.03.2015	शेयरों की खरीद – 1003			2041	0.00
	27.03.2015	शेयरों की बिक्री – 1010			1031	0.00
	31.03.2015	शेयरों की बिक्री – 25			1006	0.00
	जोड़		10631148	12.40	10320451	12.03

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंध कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र. सं.	निदेशक और प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का नाम	01.04.2015 के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	श्री उमंग नरूला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	श्री त्रिनाथ बेहेरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	कोमो (सेवानिवृत्त) आर. के. ओखन्दियार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	श्री गिरीश शंकर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	डॉ. (सुश्री) टी. कुमार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	श्री ए. वी. रतनम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	डॉ. ऊषा किरण राय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	श्री वी. के. जैन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. ऋणभार

कंपनी का ऋणभार, जिसमें बकाया/प्रोद्भूत ब्याज शामिल है, किन्तु भुगतान हेतु देय नहीं है

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणभार
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणभार				
(i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) देय, किन्तु अप्रदत्त ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) प्रोद्भूत ब्याज, किन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोड़ (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त वर्ष के दौरान ऋणभार में परिवर्तन				
*वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
*कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त वर्ष के अंत में ऋणभार				
(i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) देय, किन्तु अप्रदत्त ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) प्रोद्भूत ब्याज, किन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोड (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक :

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	डॉ. समीर शर्मा प्रबंध निदेशक	श्री आर. के. ओखन्दियार निदेशक (सीएंडएम)	श्री त्रिनाथ बेहेरा निदेशक (वित्त)	कुल
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	11,13,241	28,11,780	21,67,643	60,92,664
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	64,984	3,93,927	4,08,519	8,67,430
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट ईक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन – लाभ का प्रतिशत – अन्य, बताएं.....	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया बताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़ (क)	11,78,225	32,05,707	25,76,162	69,60,094
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा				3.895 करोड़

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री ए. वी रतनम	डॉ. ऊषा किरण राय	कुल
1.	स्वतंत्र निदेशक			
	• बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	77,540	62,056	1,39,596
	• कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य
	• अन्य, कृपया बताएं	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़ (1)	77,540	62,056	1,39,596
2.	अन्य गैर–कार्यपालक निदेशक			
	• बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य
	• कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य
	• अन्य, कृपया बताएं	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़ (2)	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़ (ख) = (1+2)	77,540	62,056	1,39,596
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	77,540	62,056	1,39,596
	अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा			0.3895 करोड़

ग. निदेशकों और प्रमुख प्रबंध कार्मिकों (प्रबंध निदेशक, प्रबंधक और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) को पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंध कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन		11,41,581		11,41,581
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		11,697		11,697
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ		शून्य		शून्य
2.	स्टॉक विकल्प		शून्य		शून्य
3.	स्वेट ईक्विटी		शून्य		शून्य
4.	कमीशन – लाभ का प्रतिशत – अन्य, बताएं.....		शून्य		शून्य
5.	अन्य, कृपया बताएं		शून्य		शून्य
	जोड़		11,53,278		11,53,278

VIII. अपराधों का अर्थदंड/दंड/संयोजन :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए अर्थदंड/दंड/संयोजित शुल्क के ब्यौरे	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	अपील, यदि कोई की हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
अर्थदंड	शून्य				
दंड	शून्य				
संयोजित	शून्य				
ख. निदेशक	शून्य				
अर्थदंड	शून्य				
दंड	शून्य				
संयोजित	शून्य				
ग. चूककर्त्ता अन्य अधिकारी :	शून्य				
अर्थदंड	शून्य				
दंड	शून्य				
संयोजित	शून्य				

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों की सेवा में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. निगम के एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड** के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च, 2015 की स्थिति के तुलन–पत्र, लाभ व हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण, और उसी वर्ष की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार तथा अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल हैं, की लेखापरीक्षा कर ली है *(जिनमें कंपनी के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी की शाखाओं में उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित विवरणियां शामिल हैं)।*

2. निगम के एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधकवर्ग की जिम्मेवारी

कंपनी का निदेशक बोर्ड इन वित्तीय विवरणों, जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों, जिनमें कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक शामिल हैं, के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही व उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेवार है। इस जिम्मेवारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय लेने और आकलन करने, जो उचित और विवेकपूर्ण हों; के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकॉर्ड बनाना शामिल है और सही एवं पूर्ण वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण से संगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण एवं वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण शामिल है, जो महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण और सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करे।

3. लेखापरीक्षक की जिम्मेवारी

हमारी जिम्मेवारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने की है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा के मानकों और मामलों का ध्यान रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरणों की सामग्री मिथ्याकथन से मुक्त होने का उचित आश्वासन प्राप्त हो सके।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों तथा प्रकटन के लेखापरीक्षक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यविधियों का निष्पादन शामिल है। चुनी हुई कार्यविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों का निर्धारण शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण। इन जोखिमों का आकलन करते समय लेखापरीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उचित प्रकार प्रस्तुत करने के संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है, ताकि ऐसी लेखापरीक्षा कार्यविधियां डिजाइन की जा सकें, जो परिस्थितियों के अनुरूप समुचित हों, इसलिए नहीं कि नियंत्रक कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण प्रणाली होने और उसके कारगर होने पर राय व्यक्त की जाए। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों और कंपनी के निदेशकों द्वारा तैयार किए गए मुख्य अनुमानों की समुचितता का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए उचित तथा पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

4. संगत राय का आधार

(क) सहायक कम्पनियों को दी गई सेवाओं और पेशगियों (उन पर ब्याज सहित) के संबंध में निगम को कुछ सहायक कम्पनियों (जिन पर भारी संचित हानि है) द्वारा 31.03.2015 को ₹ 1,332.57 लाख (31.03.2014 तक ₹ 1,315.92 लाख) देय हैं। इसके अलावा 31.03.2015 तक उक्त सहायक कम्पनियों में निगम के ₹ 1,060.58 लाख के खाता मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 1,060.58 लाख) के निवेश हैं। प्रबंधकवर्ग ने हमें बताया है कि ये निवेश दीर्घकालिक प्रकृति के हैं और उनके मूल्य में कमी/ह्रास स्थायी नहीं है तथा इन कम्पनियों की परिसम्पत्तियों का मूलभूत मूल्य निवेशों की लागत और देयों की वसूली के लिए पर्याप्त है, हालांकि इस समय इनमें से दो कम्पनियां प्रचालन में नहीं हैं और इनमें से अधिकांश कम्पनियों की वर्तमान शुद्ध मालियत नकारात्मक है। [देखें टिप्पणी सं. 17(1) एवं 14ए(1)]।

(ख) आईटीडीसी के एकक, अशोक होटल ने व्युत्क्रम प्रभार तथा बिल बनाने में विलंब के संबंध में सेनवैट क्रेडिट के लाभ और उपयोग के प्रावधानों के अनुसार मासिक आधार पर सेवाकर देयता और उसके परिणामस्वरूप उद्भूत ब्याज का लेखाकरण नहीं किया है। किसी गणना के अभाव में वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सकता है और राय नहीं दी जा सकती है।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) (घ) के अनुसार हम रिपोर्टिंग करते हैं कि संगत वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किए गए सेवाकर विवरण और वैट विवरण लेखाओं के अनुरूप नहीं हैं और समाशोधन के अधीन हैं।

(घ) आईटीडीसी के एकक, अशोक होटल का कतिपय क्रेडिट शेष है जो ''व्यय हेतु प्रावधान'' के लिए ₹ 674.94 लाख की राशि और ऋण बकाया ''विविध संविदाकर्ता'' के लिए ₹ 239.63 लाख की राशि दर्शाई गई है, दोनों समाशोधन/मिलान और पुष्टि के अध्यधीन हैं। लंबित समाशोधन/मिलान और पुष्टिकरण की दृष्टि से हम बकाया शेष की सत्यता सुनिश्चित करने और टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

5. संगत राय

हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त संगत राय का आधार पैरा में वर्णित मामलों को छोड़कर एकल वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के

अनुसार यथापेक्षित तरीके से 31 मार्च, 2015 को कंपनी के वित्तीय मामलों, उसी तिथि को समाप्त वर्ष की उसके लाभ व हानि लेखे तथा उसके नकदी प्रवाह की सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करता है।

6. मामले की महत्ता

1. *सामान्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 32(3) के अनुसार आईटीडीसी के एककों ने आरंभिक शेष, विक्रय और अंतिम शेष को लेकर स्टॉक और भंडारण, क्रॉकरी, कटलरी, कांच की वस्तुओं तथा लिनन के उपभोग का आकलन किया है। हानियों/कमियों/अपव्यय के मूल्य का आकलन पृथक रूप से नहीं किया गया है। इस मामले पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।*

2. *आईटीडीसी के एकक, अशोक होटल ने 31 मार्च, 2015 को ₹ 1,570.22 लाख राशि के "संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान" को मान्यता दी है। एकक ने वसूल न होने योग्य ऋण, जो कई वर्षों से लंबित हैं, को बट्टे खाते में नहीं डाला है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2015 को तुलन–पत्र में तदनुरूप "व्यापार प्राप्य" और "संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान" के बकाया में बढ़ोतरी हुई। इस मामले में हम राय नहीं दे सकते हैं।*

3. *सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6 (3क) के अनुसार आईटीडीसी के एकक, अशोक होटल को वित्त वर्ष के दौरान एककों को दी गई छूट प्राप्त उत्पादन सेवाएं देने के लिए समानुपातिक सेनवैट क्रेडिट के समतुल्य राशि यदि कोई हो, का अल्पावधिक भुगतान करना अपेक्षित था। एकक ने इस नियम के शुरुआत से आज तक देय राशि का अंतिम निर्धारण नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप एकक को वास्तविक भुगतान की तिथि तक प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। किसी गणना के अभाव में वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता और राय नहीं दी जा सकती है।*

7. अन्य मामला

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल की गई 34 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है। कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2015 को कंपनी की कुल परिसंपत्तियां ₹ 21,16,86,479.77 और कुल राजस्व ₹ 3,18,37,14,847.78 दिखाया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना की शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, तथा जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों और प्रकटनों के बारे में हमारी राय है, यह पूर्णतः इन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले में हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

8. अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार आवश्यक समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

ऊपर संगत राय का आधार में वर्णित मामले को छोड़कर हमारी राय में, कंपनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखाओं को रखा है, जैसाकि इन लेखाओं की हमारी जांच से पता चलता है।

(ख) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखाओं की लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमें भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने में हमने विविधत रूप से उनका प्रयोग किया है।

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ व हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों *और शाखाओं जिनमें हम नहीं गए हैं, से प्राप्त विवरणों के अनुरूप हैं।*

(घ) ऊपर संगत राय का आधार में वर्णित मामले को छोड़कर ऊपर उल्लिखित एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) ऊपर संगत राय का आधार में वर्णित मामले का हमारी राय में कंपनी की कार्यशैली पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

(च) भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.10.2003 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 29(ई) के अनुसार सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) का प्रावधान निगम पर लागू नहीं है।

(छ) लेखाओं का रखरखाव तथा उससे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में संगत टिप्पणी उपर्युक्त संगत राय का आधार पैराग्राफ में दी गई है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नप्रकार हैं :

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 31 देखें।

(ii) कंपनी की अमौलिक संविदाओं सहित कोई दीर्घावधिक संविदा नहीं है, जिसके लिए पूर्वानुमानित वास्तविक हानियां हों।

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

कृते वी. के. वर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स (एफआरएन 000386 एन)

ह./–
(विवेक कुमार)
साझीदार
सदस्यता सं. 503826

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.05.2015

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के संबंध में इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध

1. स्थायी परिसंपत्तियां

(क) निगम ने स्थायी परिसम्पत्तियों का परिमाणात्मक ब्यौरा और स्थान सहित पूर्ण विवरण दिखाने के लिए सामान्यतया उपयुक्त रिकॉर्ड रखे हैं, *किन्तु कुछ शाखाओं/एककों में परिमाणात्मक ब्यौरे व स्थिति आदि संबंधी रिकॉर्ड अधूरे हैं।*

(ख) यह बताया गया है कि प्रबंधकवर्ग ने स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन सामान्यतया वर्ष के अन्त/युक्तिसंगत समय–अवधि में किया है। *अधिकांश शाखाओं/एककों और मुख्यालय में खाता शेषों का समाधान नहीं किया गया है, जिसके कारण खातों में आवश्यक समायोजन करने के लिए विसंगतियों, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया गया है।*

2. मालसूची

(क) प्रबंधकवर्ग ने मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन सामान्यतया एक वर्ष में एक बार किया है, *किन्तु कुछ शाखाओं/एककों में सत्यापन प्रत्येक छमाही के अंत में किया गया है। कुछ शाखा लेखापरीक्षकों ने बताया है कि यद्यपि मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है, तथापि मालसूची के आकार और प्रकृति को देखते हुए सत्यापन की यह आवृत्ति उचित/पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।*

(ख) प्रबंधकवर्ग ने मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए जो कार्यविधि अपनाई है, वह निगम के आकार और उसके कारोबार के स्वरूप को देखते हुए सामान्यतया उचित और पर्याप्त है।

(ग) निगम ने मालसूची के सामान्यतया उपयुक्त रिकॉर्ड रखे हैं, *कुछ को छोड़कर, जिनमें शाखा लेखापरीक्षकों ने बताया है कि मालसूची का उपयुक्त रिकॉर्ड नहीं रखा गया है।* वास्तविक स्टॉक और लेखाओं में पाए गए रिकॉर्ड में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।

3. लिया गया ऋण

(क) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से निगम ने कोई रक्षित या अरक्षित कर्ज नहीं दिया/लिया है।

4. आंतरिक नियंत्रण

हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची, स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद तथा सामान की बिक्री व सेवा देने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निगम के आकार और इसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप पर्याप्त है, *किन्तु कुछ शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षकों ने बताया है कि मालसूची की खरीद एवं रिकॉर्डिंग, स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद, सामान व सेवाओं की बिक्री, कच्चे माल की खरीद व खपत, प्रदत्त सेवाओं, भण्डार, स्टॉक की लागत, सामग्री जारी करने के संबंध में उनका प्रचलित आंतरिक नियंत्रण ढाँचा और इसका प्रचालन कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाते हैं, जो शाखाओं के आकार और उनके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप पर्याप्त नहीं है, जिनको सुधारने/सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।*

5. सार्वजनिक जमाराशियां

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 तथा अन्य संगत उपबंधों के अधीन निगम ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है।

6. लागत रिकार्ड

जैसाकि हमें बताया गया है कि केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत लागत रिकार्ड के अनुरक्षण को विहित नहीं किया है।

7. सांविधिक देयताएं

(क) हमारी राय में निगम अविवादग्रस्त सांविधिक देय राशियों को उचित प्राधिकरणों के पास जमा करने में सामान्यतः नियमित रहा है, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, धनकर, सेवाकर, सीमा–शुल्क, उत्पाद–शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर एवं इस पर लागू अन्य मुख्य सांविधिक देयताएं शामिल हैं और यदि नहीं तो संबंधित वित्त वर्ष के अंतिम दिन तक देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक अवधि की बकाया सांविधिक देय राशि के संबंध में देय अविवादग्रस्त राशि निम्नप्रकार है :

संविधि/एकक का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	अवधि, जिससे राशि सम्बद्ध है
ईएसआई, विज्ञान भवन	ईएसआई	4.79	छः माह से अधिक
ईएसआई, हैदराबाद हाउस	ईएसआई	1.72	छः माह से अधिक
ईएसआई, अशोक होटल नई दिल्ली	ईएसआई	0.445	छः माह से अधिक
ईपीएफ, अशोक होटल नई दिल्ली	ईपीएफ	1.87	छः माह से अधिक

(ख) विवाद के कारण जमा न कराई गई आयकर अथवा बिक्रीकर अथवा संपत्तिकर अथवा सेवाकर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा मूल्य वर्धित कर अथवा उपकर की देयता के मामले निम्नप्रकार हैं :

संविधि/एकक का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	अवधि, जिससे राशि सम्बद्ध है	फोरम, जहां विवाद लंबित है
ईएसआई, होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना	ईएसआई	0.670	पूर्व वर्षों के	श्रम न्यायालय
सेवाकर, अशोक होटल, नई दिल्ली	सेवाकर	330.91	पूर्व वर्षों के	सीईएसटीएटी दिल्ली
ईएसआई, अशोक होटल, नई दिल्ली	ईएसआई	641.90	पूर्व वर्षों के	दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975	स्थानीय बिक्रीकर	150.25	1990 से 2007	विभिन्न प्राधिकरण
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	केन्द्रीय बिक्रीकर	3.02	1987 से 2002	विभिन्न प्राधिकरण
आन्ध्र प्रदेश वैट अधिनियम, 2005	स्थानीय बिक्रीकर	327.15	2005 से 2007	हैदराबाद उच्च न्यायालय
दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996	विलासिता कर	42.58	2001–02 तथा 2002–03	सहायक आयुक्त विलासिता कर
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	337.49	1992–93	आयकर अपील अधिकरण
		17.59	1995–96	दिल्ली उच्च न्यायालय
		386.91	2006–07	आईटीएटी
		458.25	2007–08	सीआईटी(ए)
		49.93	2009–10	सीआईटी(ए)
वित्त अधिनियम, 2014 अशोक समारोह	सेवाकर	39.65	2006 से 2009	अपर आयुक्त सेवाकर
उत्पाद–शुल्क, कलिंग	उत्पाद–शुल्क	8.58	2002–03	उच्च न्यायालय, ओडिशा
ईएसआई, कलिंग	ईएसआई	1.45	पूर्व वर्षों के	जिला न्यायालय, खुर्दा
सेवाकर, कलिंग	सेवाकर	52.91	पूर्व वर्षों के	अपर महानिदेशक डीजीसीईआई, कोलकाता
ईएसआई, होटल सम्राट	ईएसआई	71.68	01.10.1997 से 31.03.2000	दिल्ली उच्च न्यायालय
ईपीएफ, होटल सम्राट	ईपीएफ	17.92	1982 से 1985	उच्चतम न्यायालय, भारत
ईएसआई, होटल जनपथ	ईएसआई	60.08	1998–2003	दिल्ली उच्च न्यायालय
सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा–शुल्क	18,478.67	2004–05	सीईएसटीएटी
सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा–शुल्क	42.17	2003	विवाद समिति
महाराष्ट्र बिक्रीकर अधिनियम	बिक्रीकर/वैट	2,465.62	1995–2008	आयुक्त अपील

(ग) कंपनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में कोई राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

8. परिमाणात्मक टिप्पणियों के प्रभावों पर विचार करने के बाद भी हमारी राय में निगम की कोई संचित हानि नहीं है। निगम को हमारी लेखापरीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है और इससे तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में नकद हानि हुई है। *तथापि, मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताए गए मामलों के समाधान और परिमाणन/गैर–परिमाणात्मक टिप्पणियों और अन्य के प्रभावों को, जो कई मामलों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी राशि निर्धारण–योग्य नहीं है।*

9. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमें प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और रिकॉर्डों के आधार पर निगम ने शेयरों, डिबेंचरों व अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखकर जमानत के आधार पर कोई ऋण व पेशगियां नहीं दी हैं।

10. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने सहायक कंपनी होटल ब्रह्मपुत्र अशोक द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं

से लिए गए ऋणों को गारंटी दी है, जिसकी शर्तें और निबंधन कंपनी के लिए प्रतिकूल हो सकते हैं।

11. प्रबंधकवर्ग द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर निगम द्वारा वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं लिया गया है।

12. भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा पद्धतियों के अनुसार निगम की लेखा–पुस्तकों और रिकॉर्डों की हमारी जाँच के दौरान और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के दौरान निगम पर अथवा उसके द्वारा किया गया धोखाधड़ी का कोई मामला देखा अथवा बताया नहीं गया है और प्रबंधकवर्ग द्वारा भी ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

कृते वी. के. वर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स (एफआरएन 000386 एन)

ह./–
सीए विवेक कुमार
(साझीदार)
सदस्यता सं. 503826

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.05.2015

वर्ष 2014–15 के लेखे (एकल)

31 मार्च, 2015 को तुलन–पत्र

(लाख ₹ में)

विवरण		टिप्पणी			31.3.2015 को	31.3.2014 को
I	ईक्विटी एवं देयताएँ					
(1)	शेयरधारकों की निधियाँ					
	शेयर पूँजी	2		8,576.94		8,576.94
	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	3		23,928.49		23,039.61
	शेयर वारंटों के प्रति प्राप्त राशि			-		-
	आस्थगित सरकारी अनुदान			4.38		4.73
(2)	गैर–चालू देयताएँ					
	दीर्घकालिक उधार	4	-			-
	अन्य दीर्घकालिक देयताएँ	6	763.41			584.28
	दीर्घकालिक प्रावधान	7	4,050.72			4,277.41
				4,814.13		
(3)	चालू देयताएँ					
	अल्पकालिक उधार	8	-			-
	व्यापार देय	9	5,434.59			4,580.37
	अन्य चालू देयताएँ	10	14,525.53			16,031.64
	अल्पकालिक प्रावधान	7	3,716.57			1,444.85
				23,676.69		
	जोड़				61,000.63	58,539.83
II	परिसंपत्तियाँ					
(1)	गैर–चालू परिसंपत्तियाँ					
	स्थायी परिसंपत्तियाँ					
	सक्रिय प्रयोग में					
	मूर्त परिसंपत्तियाँ	11	4,251.28			5,183.36
	मूर्त परिसंपत्तियाँ,					
	जो सक्रिय प्रयोग में नहीं हैं	11क	11.25			11.88
	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	12	8.00			26.36
	चालू पूँजीगत कार्य	12क	368.27			276.00
	गैर–चालू निवेश	13	1,111.48			1,111.48
	आस्थगित–कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	5	3,052.98			2,611.02
	दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	14	365.37			358.40
	अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	15	69.18			95.82
				9,237.81		
(2)	चालू परिसंपत्तियाँ					
	मालसूची	16	1,226.75			1,301.51
	व्यापार प्राप्तियाँ	17	11,997.00			8,179.05
	नकद एवं नकद समतुल्य	18	26,947.33			29,180.38
	अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	14क	9,859.07			8,831.72
	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	19	1,732.67			1,372.85
				51,762.82		
	जोड़				61,000.63	58,539.83
लेखाओं पर टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां		1				

टिप्पणी सं. 1 से 32 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

(वी के जैन)
कम्पनी सचिव

(पी के अग्रवाल)
उपाध्यक्ष (वित्त व लेखा)

(त्रिनाथ बेहेरा)
निदेशक (वित्त)

(उमंग नरूला)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी. के. वर्मा एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स (एफआरएन 000386एन)

(विवेक कुमार)
साझीदार
(सदस्यता सं. 503826)

तारीख : 29 मई, 2015
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण

(लाख ₹ में)

विवरण		टिप्पणी		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
	राजस्व				
I	प्रचालन से प्राप्त राजस्व	20			
	उत्पादों की बिक्री		10,558.47		10,094.38
	सेवाओं की बिक्री		36,522.46		33,612.26
	अन्य प्रचालन राजस्व		146.87	47,227.80	119.76
II	अन्य आय	21		3,191.18	3,131.91
III	कुल राजस्व (I+II)			50,418.98	46,958.31
	व्यय				
	उपभुक्त सामग्री एवं प्रदत्त सेवाओं की लागत	22		6,135.45	4,582.14
	व्यापार–भंडार की खरीद	23		1,680.88	1,853.73
	तैयार माल एवं व्यापार भंडार की मालसूची में परिवर्तन	24		27.44	(118.69)
	कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हितलाभ	25		13,908.05	14,185.48
	वित्तीय लागत	26		20.21	-
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	11व12	1,026.62		595.77
	घटाएं : परियोजनाओं पर व्यय		(0.19)	1,026.43	(0.19)
	प्रचालन व्यय एवं अन्य व्यय	27		23,906.66	24,593.47
IV	कुल व्यय			46,705.12	45,691.71
V	विशिष्ट, असाधारण मदों एवं पूर्व–अवधि समायोजन से पहले लाभ/(हानि) (III-IV)			3,713.86	1,266.60
VI	विशिष्ट मदें	28		407.84	313.85
VII	असाधारण मदों एवं पूर्व–अवधि समायोजन से पहले लाभ/(हानि) (V-VI)			4,121.70	1,580.45
	पूर्व–अवधि समायोजन	29			
	पूर्व–अवधि आय		(11.27)		(63.54)
	पूर्व–अवधि व्यय/समायोजन		215.43	(226.70)	323.79
VIII	असाधारण मदों से पहले लाभ/(हानि)			3,895.00	1,193.12
IX	असाधारण मदें			-	-
X	कर से पहले लाभ/(हानि) (पीबीटी) (VIII-IX)			3,895.00	1,193.12
XI	जारी प्रचालनों का कर–व्यय				
	चालू कर (आयकर)		(950.00)		(350.00)
	पुनरांकित कर (पिछले वर्ष)		50.71		-
	चालू कर (संपत्तिकर)		(0.79)		(0.68)
	मैट क्रेडिट हकदारी		-		-
	आस्थगित–कर	5	441.96	(458.12)	99.77
XII	जारी प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (X-XI)			3,436.88	942.21
XIII	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)			-	-
XIV	बंद प्रचालनों का कर–व्यय			-	-
XV	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर–उपरांत) (XIII-XIV)			-	-
XVI	अवधि के लिए लाभ/(हानि) {(कर–उपरांत लाभ) (पीएटी)} (XII+XV)			3,436.88	942.21
XVII	प्रति ईक्विटी शेयर आय (₹ में)	30		4.01	1.10
	(1) बेसिक एवं				
	(2) डाइल्यूटिड				

(वी के जैन)
कम्पनी सचिव

(पी के अग्रवाल)
उपाध्यक्ष (वित्त व लेखा)

(त्रिनाथ बेहेरा)
निदेशक (वित्त)

(उमंग नरूला)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी. के. वर्मा एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स (एफआरएन 000386एन)

(विवेक कुमार)
साझीदार
(सदस्यता सं. 503826)

तारीख : 29 मई, 2015
स्थान : नई दिल्ली

टिप्पणी – 1

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण परिपाटी

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानदंडों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबधों का अनुपालन करते हैं।

2. अनुमानों का उपयोग

सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधकवर्ग के लिए यह अपेक्षित है कि कुछ ऐसी मदों के संबंध में अनुमान और पूर्वानुमान तैयार करे, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसम्पत्तियों और देयताओं की उल्लिखित राशियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आय और खर्च की उल्लिखित राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम/निष्कर्ष अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी संशोधन उस अवधि में प्रत्याशित रूप से स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में ऐसे परिणामों को मूर्त रूप दिया जाता है।

3. विवादित आयकर और बिक्रीकर मांगें

पूरे किए जा चुके निर्धारणों के संबंध में विवादित आयकर और बिक्रीकर मांगों, जिनके विरुद्ध अपील दायर की गई है, को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया जाता है और निपटान के वर्ष में लेखाओं में प्रभारित किया जाता है।

4. स्थायी परिसम्पत्तियां और मूल्यह्रास

क) स्थायी परिसम्पत्तियां

i) स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर और जहाँ लागू हो, "सहायता अनुदान" को घटाने के बाद शेष लागत पर किया जाता है।

ii) सक्रिय उपयोग में नहीं लाई जा रही और निपटान के लिए रखी गई स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य–निर्धारण खाता–मूल्य और/अथवा निवल वसूली–योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है तथा उन्हें वित्तीय विवरणों में अलग से दर्शाया जाता है। निर्धारित हानि, यदि कोई है, को लाभ व हानि विवरण में दिखाया जाता है।

iii) जिन मामलों में ठेकेदार/आपूर्तिकर्त्ता के अंतिम बिलों की प्राप्ति/संवीक्षा, अतिरिक्त मदों तथा कीमत वृद्धि आदि के लिए देय दरों के संबंध में समझौता लम्बित है, उन मामलों का पूँजीकरण अनंतिम रूप से परियोजना इंजीनियर द्वारा यथा प्रमाणित पूरे किए गए वास्तविक कार्यों के आधार पर किया जाता है। यदि कोई अंतर है, तो उसका लेखाकरण उस वर्ष में करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिस वर्ष में अन्तिम बिलों का निपटान होता है।

iv) अमूर्त परिसम्पत्तियों (सॉफ्टवेयर) का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है।

ख) मूल्यह्रास

i) मूर्त स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की व्यवस्था यथानुपातिक आधार पर उपयोगी अवधि का पालन करते हुए सरल रेखा पद्धति से निम्न दरों पर की जाती है :–

क्र. सं.		कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार उपयोगी अवधि (वर्षों में)		सरल रेखा पद्धति प्रतिशतता दरें	
		होटल	गैर–होटल	होटल	गैर–होटल
1.	आरसीसी ढांचा संरचना सहित भवन	60	60	1.58	1.58
2.	आरसीसी ढांचा संरचना रहित भवन	30	30	3.17	3.17
3.	बाड़, कूआं, नलकूप	5	5	19.00	19.00
4.	बागबानी और भू–दृश्य निर्माण	3	3	31.67	31.67
5.	संपर्क सड़क – आरसीसी पक्की सड़क	10	10	9.50	9.50
6.	संपर्क सड़क – आरसीसी के अलावा पक्की सड़क	5	5	19.00	19.00
7.	संपर्क सड़क – कच्ची सड़क	3	3	31.67	31.67
8.	संयंत्र और मशीनरी	7.5	15	12.67	6.33
9.	लिफ्टें	7.5	15	12.67	6.33
10.	रसोई उपकरण	7.5	15	12.67	6.33
11.	ध्वनि प्रणाली और वाद्य यंत्र	7.5	15	12.67	6.33
12.	सेनीटरी संस्थापनाएं	7.5	15	12.67	6.33
13.	एयरकंडीनशर (संयंत्र और विंडो दोनों) कूलर एवं रेफ्रिजरेटर	7.5	15	12.67	6.33
14.	विद्युत संस्थापनाएं	10.0	10	9.50	9.50
15.	कार्यालय और विविध उपकरण	5	5	19.00	19.00
16.	कम्प्यूटर (एंडयूजर डिवाइस डेस्कटॉप, लैपटॉप)	3	3	31.67	31.67
17.	कम्प्यूटर सर्वर और नेटवर्क	6	6	15.83	15.83
18.	फर्नीचर, फिक्सचर्स व फर्निशिंग	8	10	11.88	9.50
19.	वाहन (स्टॉफ कार और स्कूटर)	10	10	9.50	9.50
20.	किराये पर चलने वाले परिवहन वाहन	-	6	-	15.83
21.	किराए पर परिवहन वाहनों के अलावा अन्य वाहन	8	8	11.88	11.88
22.	पट्टाधारित भूमि का पट्टे की अवधि में परिशोधन				

ii) अमूर्त परिसम्पत्तियों (सॉफ्टवेयर) पर लागत का परिशोधन उसके वैधानिक उपयोग की समय सीमा अथवा 3 वर्ष, जो भी पहले हो, में किया जाता है।

5. निवेश

दीर्घकालिक निवेशों को लागत पर दिखाया जाता है। अस्थायी प्रकृति के निवेशों को छोड़कर, प्रत्येक निवेश के मूल्य में कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए व्यवस्था की जाती है।

6. मालसूचियों का मूल्य–निर्धारण

पास में और प्रयोग में लाए जा रहे स्टॉक तथा भंडार, जिनमें क्रॉकरी, कटलरी, काँच के बर्तन तथा लिनन आदि का स्टॉक शामिल है, का मूल्य–निर्धारण लागत एफआईएफओ आधार पर अथवा वसूली–योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

7. ग्राहकों के लिए परियोजनाओं का निष्पादन

i) निष्पादित परियोजना, जिसमें कॉस्ट प्लस/डिपॉजिट/टर्नकी/परियोजना प्रबंध कार्य शामिल हैं, के संबंध में किए गए कार्य का मूल्य लेखाओं में ग्राहकों द्वारा संभावित अस्वीकृति, यदि कोई हो, के लिए कटौती के बाद प्रबंधकवर्ग द्वारा उत्कृष्ट अनुमानों पर दिखाया जाता है।

ii) अप्रत्यक्ष लागत को 'अवधि लागत' माना जाता है और जिस वर्ष यह होती

है, उसी वर्ष में लाभ व हानि लेखे में प्रभारित की जाती है।

8. व्यवस्थाएं, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ

i) जिन व्यवस्थाओं में माप में अनुमान की पर्याप्त मात्रा शामिल होती है, उन्हें तभी स्वीकार किया जाता है, जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान देयता हो और यह संभावना हो कि संसाधनों का निर्गम होगा।

ii) जहाँ पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप संभव देयता हो, किन्तु संसाधनों के निर्गम की संभावना न हो, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, किन्तु टिप्पणियों में उपयुक्त प्रकटन किया जाता है।

iii) आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ वित्तीय विवरणों में न स्वीकार की जाती हैं और न ही दिखाई जाती हैं।

9. कर्मचारी हितलाभ

क) भविष्य निधि

भविष्य निधि में कम्पनी के अंशदान को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

ख) उपदान

i) उपदान के लिए व्यवस्था बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

ii) उपदान योजना के लिए अंशदान भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), जिसके साथ कम्पनी ने करार किया है, द्वारा मांगे गए प्रीमियम अंशदान पर आधारित होता है। कम्पनी द्वारा, जब कभी अपने कर्मचारियों को उपदान का भुगतान किया जाता है, जो जीवन बीमा निगम अपनी योजना की शर्तों के अनुसार भुगतान किए गए उपदान के पूरे मूल्य के दावे का निपटान करता है।

ग) छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण की व्यवस्था बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

10. आस्थगित कराधान

i) वर्ष के दौरान आस्थगित–कर की व्यवस्था की जाती है और इसके लिए लेखाकरण मानक (एएस–22) के अनुसार वित्त रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए तुलन–पत्र की तारीख को परिसम्पत्तियों व देयताओं के कर–आधारों तथा उनकी राशियों के बीच सभी अस्थायी अंतरों पर देयता विधि का प्रयोग किया जाता है।

ii) आस्थगित–कर परिसम्पत्ति, विवेकपूर्ण विचार करते हुए केवल उस सीमा तक स्वीकृत की जाती है, जिस सीमा तक इस बात की उचित निश्चिंतता हो कि पर्याप्त कर–योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित–कर परिसम्पत्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। उन स्थितियों में, जहाँ कम्पनी

का कोई अन–अवशोषित मूल्यह्रास अथवा आगे ले जाई गई कर–हानि है, आस्थगित–कर परिसम्पत्तियों को तभी स्वीकार किया जाता है, जब विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा वस्तुतः यह निश्चिंतता हो कि आगामी कर–योग्य लाभ के विरुद्ध उनकी वसूली की जा सकेगी।

iii) आस्थगित कर–परिसम्पत्ति व देयता उन दरों पर मापी जाती है, जिनके उस अवधि पर लागू होने की अपेक्षा होती है, जब परिसम्पत्ति प्राप्त होती है अथवा देयता का निपटान कर–दरों (और कर नियमों) के आधार पर किया जाता है, जिन्हें तुलन–पत्र की तारीख को विधिक अथवा पर्याप्त रूप से विधिक बना दिया गया है।

11. सरकारी अनुदान

i) परिसम्पत्तियों के उन्नयन के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान को उस वर्ष से आय माना जाता है, जिस वर्ष में संबंधित परिसम्पत्ति का उन्नयन किया जाता है और अनुदान संबद्ध लागत की सीमा तक राजस्व खर्च अर्थात् प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास के रूप में बट्टे खाते डाला जाता है।

ii) सरकारी अनुदान की जितनी शेष राशि को वर्ष के अंत में समायोजित नहीं किया जाता है, उसे वित्तीय विवरणों में 'आरक्षित निधि व अधिशेष' के बाद 'आस्थगित सरकारी अनुदान' के रूप में दिखाया जाता है।

12. राजस्व स्वीकृति

i) परियोजनाओं से आय को पूरे किए गए कार्य की प्रतिशतता प्रणाली के आधार पर स्वीकार किया जाता है, जिसमें कॉस्ट प्लस/डिपॉजिट/टर्नकी/परियोजना प्रबंधन कार्य शामिल हैं। इस विधि के अनुसार, निष्पादित की जा रही परियोजना की कुल अनुमानित लागत के विरुद्ध खर्च की गई वास्तविक लागत के अनुपात में राजस्व को स्वीकार किया जाता है। इस विधि के अन्तर्गत राजस्व निर्धारण में अनुमान तैयार करना शामिल है, जिनमें से कुछ तकनीकी प्रकृति के हैं और, जहाँ संगत हो, पूरा होने की प्रतिशतता, पूरा होने की लागत (अस्वीकृति की लागत सहित), अनुमानित राजस्व आदि से संबद्ध हैं।

ii) परियोजनाओं/लाइसेंस फीस/प्रबंधन फीस के संबंध में दी गई सेवाओं से प्राप्त आय की गणना (सेवाकर को छोड़कर) करार की शर्तों के अनुसार की जाती है। तथापि, जहाँ पर्याप्त अवधि के लिए ऐसे सेवा प्रभार/फीस की नकद वसूली नहीं होती है, वहाँ उसका प्रोद्भवन पावती पर गणना के लिए स्थगित किया जाता है।

iii) बिक्री से राजस्व (आय और छूट का निवल) पर्याप्त जोखिमों और ग्राहकों को इनामों के अंतरण पर स्वीकार किया जाता है। बिक्रीकर और मूल्यवर्धित कर को शामिल नहीं किया जाता है।

iv) प्रबंधन फीस आय/सहायक कम्पनियों से कर्जे और पेशगियों पर ब्याज, जिसकी गणना ऊपर (ii) में उल्लिखित उन कम्पनियों में धन की समस्या के कारण प्राप्ति आधार पर अथवा कर–कटौती प्रमाण–पत्र की प्राप्ति पर की जाती है, जिनसे अन्यथा ब्याज से आय और निवेशों से आय की गणना क्रमशः संविदागत दरों पर और/अथवा प्राप्ति के अधिकार के प्रमाणन के समय उपचित आधार पर की जाती है।

v) लाइसेंसधारकों से वसूली योग्य अतिदेय राशियों पर ब्याज/क्षति का परिकलन वसूली आधार पर किया जाता है।

13. विदेशी मुद्रा लेन–देन

क) विदेशी मुद्रा में लेन–देन

i) आरम्भिक मान्यता

विदेशी मुद्रा कारबार को कारबार की तारीख को विदेशी मुद्रा राशि में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय–दर से गणना करके रिपोर्टिंग मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है।

ii) परिवर्तन

विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों की रिपोर्टिंग अंतिम दरों का प्रयोग करके की जाती है। गैर–आर्थिक मदों, जिन्हें विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत के अनुसार लाया जाता है, को कारबार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iii) मुद्रा विनिमय अंतर

आर्थिक मदों के निपटान अथवा कम्पनी की आर्थिक मदों की रिकॉर्डिंग/रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान मूल रूप से रिकॉर्ड की गई दरों से भिन्न दरों पर होने के परिणामस्वरूप आए विनिमय अंतर को, उस वर्ष में आय या खर्च के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत से बाहर अर्जित स्थायी परिसम्पत्तियों से संबंधित देयताओं पर मुद्रा–विनिमय अंतर को ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत में जोड़ दिया जाता है।

ख) मुद्रा विनिमय व्यवसाय

i) अवधि के दौरान हुए कारबार को वसूली गई वास्तविक दर के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है।

ii) वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा शेष को वर्ष के अंत की दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

iii) लेखाओं में दिखाई गई मुद्रा विनिमय व्यवसाय से प्राप्त आय मुद्रा की बिक्री की लागत का निवल है।

14. उधार लागत

i) उधार लागत, यदि कोई है, जो अर्हक

परिसम्पत्तियों के अर्जन/निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है, को संबंधित परिसम्पत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूँजीकृत किया जाता है।

ii) अन्य उधार लागत को उसी वर्ष के खर्च के रूप में दिखाया जाता है, जिस वर्ष में वह हुई है।

15. पूर्व–अवधि/असाधारण मदें

i) सभी पूर्व–अवधि मदों, जो महत्वपूर्ण हैं और पूर्व–अवधि के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में हुई 'भूल–चूक' के परिणामस्वरूप चालू अवधि में सामने आई हैं, को लाभ व हानि लेखे के वर्तमान विवरण में अलग से दिखाया गया है। तथापि, पूर्व अवधि में 'अधिक अथवा कम अनुमान' के कारण वास्तविक आय/व्यय में होने वाले अंतर को पूर्व–अवधि आय/व्यय के रूप में नहीं माना जाता है।

ii) सभी असाधारण मदों अर्थात् लाभ अथवा हानियाँ, जो ऐसी घटनाओं अथवा कारबार से होती हैं, जो कम्पनी की सामान्य गतिविधियों से भिन्न हैं और जो महत्वपूर्ण हैं, को अलग से लेखा–विवरण में दिखाया जाता है।

16. दावे

बीमा दावों सहित पूरक दावों को स्वीकृति/प्राप्ति के आधार पर लेखाओं में दिखाया जाता है।

शेयर पूंजी

टिप्पणी – 2

प्राधिकृत, जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी और प्रति शेयर सम मूल्य

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को	31.3.2014 को
प्राधिकृत शेयर पूँजी		
₹ 10–10 के 15,00,00,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10–10 के 15,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	15,000.00	15,000.00
	15,000.00	15,000.00
जारी एवं अभिदत्त शेयर पूँजी		
₹ 10–10 के 8,57,69,400 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10–10 के 8,57,69,400 ईक्विटी शेयर)	8,576.94	8,576.94
	8,576.94	8,576.94
प्रदत्त शेयर पूँजी		
₹ 10–10 के 8,57,69,400 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10–10 के 8,57,69,400 ईक्विटी शेयर)	8,576.94	8,576.94
जोड़	8,576.94	8,576.94

₹ 100–100 के 15,238 ईक्विटी शेयर (इन्हें ₹ दस–दस के 1,52,380 ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया गया है) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के अन्तर्गत समामेलन आदेश (1966) के अनुसरण में पूर्णतः प्रदत्त शेयरों के रूप में आबंटित किए गए थे।

₹ 100–100 के 75,000 ईक्विटी शेयर (इन्हें ₹ दस–दस के 7,50,000 ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया गया है) कुछ परिसम्पत्तियों का स्वामित्व अंतरित करने के लिए पूर्णतः प्रदत्त शेयरों के रूप में आबंटित किए गए थे।

जारी....

वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या का समाशोधन

(संख्या में)

विवरण	31.3.2015 को	31.3.2014 को
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयरों की संख्या	8,57,69,400	8,57,69,400
जोड़ें :		
वर्ष के दौरान पूर्णः प्रदत्त बोनस शेयरों के रूप में आबंटित शेयरों की संख्या	-	-
वर्ष के दौरान एक संविदा के अनुसरण में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना आबंटित पूर्णतः प्रदत्त शेयरों की संख्या	-	-
ईएसओपी/ईएसपी के अनुसरण में कर्मचारियों को आबंटित शेयरों की संख्या	-	-
पब्लिक इश्यू के अनुसरण में नकद पर आबंटित शेयरों की संख्या	-	-
	8,57,69,400	8,57,69,400
घटाएं :		
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	8,57,69,400	8,57,69,400

शेयरों की श्रेणी से संबद्ध अधिकार, प्राथमिकताएं एवं प्रतिबंध (लाभों के वितरण एवं पूँजी के पुनर्भुगतान पर प्रतिबंध सहित)

विवरण	31.3.2015 को	31.3.2014 को
	शेयरों की श्रेणी	शेयरों की श्रेणी
कंपनी के पास ₹ 10 प्रति शेयर के सम मूल्य की एक ईक्विटी शेयर श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है। निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के उपरांत तय किया जाएगा। परिसमापन की स्थिति में ईक्विटी शेयरधारक अधिमानी राशियों के वितरण के उपरांत शेष परिसंपत्ति को अपनी शेयरधारिता के अनुपात में प्राप्त करने के अधिकारी हैं।	ईक्विटी शेयर	ईक्विटी शेयर

5 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी शेयर रखने वाले कंपनी के शेयरधारक

विवरण	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों की प्रतिशतता	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों की प्रतिशतता
i) भारत के राष्ट्रपति	7,46,41,681	87.030	7,46,41,681	87.030
ii) इंडियन होटल्स कं. लिमिटेड	67,50,275	7.870	67,50,275	7.870

आरक्षित निधि एवं अधिशेष

टिप्पणी – 3

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2015 को	31.3.2014 को
पूँजीगत आरक्षित निधि			
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार		23.54	23.54
प्रीमियम आरक्षित प्रतिभूतियां			
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	5,475.00		5,475.00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-
		5,475.00	
सामान्य आरक्षित निधि			
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	17,495.42		17,095.42
घटाएं : स्थायी परिसंपत्तियों हेतु समायोजन*	(483.40)		-
जोड़ें/(घटाएं) : चालू वर्ष के समायोजन	1,400.00		400.00
अंतिम शेष		18,412.02	17,495.42
लाभ व हानि विवरण में अधिशेष			
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	45.65		5.17
लाभ व हानि लेखे से अंतरण	3,436.88		942.21
वर्ष के लिए अधिशेष	3,482.53		947.38
विनियोजन/समायोजन			
प्रस्तावित लाभांश	1,715.39		428.85
लाभांश–कर	349.21		72.88
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	1,400.00		400.00
		17.93	
कुल जोड़		23,928.49	23,039.61

*टिप्पणी – 11 में पाद टिप्पणी (ज) देखें

दीर्घकालिक ऋण

टिप्पणी – 4

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2015 को	31.3.2014 को
(क)	बॉण्ड/डिबेंचर		
	रक्षित	-	-
	अरक्षित	-	-
(ख)	बैंकों से सावधि ऋण	-	-
(ग)	अन्य से सावधि ऋण	-	-
(घ)	संबंधित पार्टियों से ऋण एवं अग्रिम		
	रक्षित	-	-
	अरक्षित	-	-
(ङ)	सरकारी जमाराशियां (अरक्षित)	-	-
(च)	वित्तीय पट्टा देयताओं की दीर्घकालिक परिपक्वता	-	-
	जोड़	-	-

आस्थगित–कर परिसंपत्तियां (निवल)

टिप्पणी – 5

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को	31.3.2014 को
आस्थगित–कर देयताएं	-	-
आस्थगित–कर परिसंपत्तियाँ	3,052.98	2,611.02
आस्थगित–कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**3,052.98**	**2,611.02**

टिप्पणियां :–

आयकर के लिए लेखाकरण – लेखाकरण मानक – 22 – आस्थगित–कर :
31.03.2015 को आस्थगित–कर परिसंपत्तियाँ (निवल) के मुख्य घटक निम्नप्रकार हैं :

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015		31.3.2014	
आस्थगित–कर देयताएं				
मूल्यह्रास		136.04		471.63
आस्थगित–कर परिसंपत्तियां				
अग्रेनीत व्यवसाय हानि	-		-	
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	1,318.05		1,240.00	
उपदान के लिए प्रावधान	179.84		271.22	
संदिग्ध ऋणों और पेशगियों के लिए व्यवस्था तथा ह्रासित मालसूची	1,611.07		1,329.65	
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अस्वीकृतियाँ	80.06		241.78	
		3,189.02		3,082.65
आस्थगित–कर परिसंपत्तियां (निवल)		3,052.98		2,611.02

जैसाकि लेखाकरण मानक–22 में अपेक्षित है, प्रबंधकवर्ग ने कर–परामर्शदाता की सलाह के आधार पर आस्थगित–कर परिसंपत्तियों/देयताओं की समीक्षा की थी और चालू वर्ष में पर्याप्त करयोग्य लाभ होने व यह आशा होने कि आस्थगित–कर परिसंपत्ति की वसूली के लिए भविष्य में करयोग्य लाभ उपलब्ध होंगे, के अनुसार ही 31.03.2015 तक उपर्युक्त आस्थगित–कर परिसंपत्ति (निवल) को वित्तीय विवरणों में दिखाया है।

अन्य दीर्घकालिक देयताएं

टिप्पणी – 6

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को	31.3.2014 को
सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण राशि	763.41	584.28
जोड़	763.41	584.28

प्रावधान

टिप्पणी – 7

(लाख ₹ में)

विवरण	31.03.2015 को			31.03.2014 को		
	दीर्घकालिक	अल्पकालिक	जोड़	दीर्घकालिक	अल्पकालिक	जोड़
कर्मचारी हितलाभ						
उपदान	6,450.39	1,629.15	8,079.54	6,484.59	1,457.26	7,941.85
घटाएं : उपदान नीति के अनुसार निवेश–निधि का आकार	(5,930.75)	(1,629.15)	(7,559.90)	(5,686.64)	(1,457.26)	(7,143.90)
छुट्टी नकदीकरण	3,531.08	701.18	4,232.26	3,479.46	592.44	4,071.90
	4,050.72	701.18	4,751.90	4,277.41	592.44	4,869.85
आयकर						
आयकर के लिए प्रावधान	-	950.00	950.00	-	350.00	350.00
	-	950.00	950.00	-	350.00	350.00
धनकर						
धनकर के लिए प्रावधान	-	0.79	0.79	-	0.68	0.68
	-	0.79	0.79	-	0.68	0.68
प्रस्तावित लाभांश						
प्रस्तावित लाभांश	-	1,715.39	1,715.39	-	428.85	428.85
लाभांश–कर	-	349.21	349.21	-	72.88	72.88
	-	2,064.60	2,064.60	-	501.73	501.73
जोड़	4,050.72	3,716.57	7,767.29	4,277.41	1,444.85	5,722.26

कंपनी का एक पृथक उपदान निधि न्यास है, जिसमें बीमा कंपनियों की विभिन्न स्कीमों में निवेश किया जाता है। कर्मचारियों को देय उपदान के सभी दावों का निपटान उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

अल्पकालिक ऋण

टिप्पणी – 8

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2015 को	31.3.2014 को
(क)	माँग पर प्रतिदेय ऋण		
	रक्षित	-	-
	अरक्षित	-	-
(ख)	संबंधित पार्टियों से ऋण एवं अग्रिम		
	रक्षित	-	-
	अरक्षित	-	-
(ग)	सरकारी जमाराशियां (अरक्षित)	-	-
	जोड़	-	-

व्यापार देय

टिप्पणी – 9

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को	31.3.2014 को
व्यापार देय	5,434.59	4,580.37
जोड़	5,434.59	4,580.37

अन्य चालू देयताएं

टिप्पणी – 10

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को	31.3.2014 को
विविध लेनदार (व्यापार देय के अलावा)	3,808.07	3,803.48
प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण राशि	2,701.18	2,817.73
ग्राहकों से अग्रिम	5,631.86	6,292.31
बेदावा लाभांश*	0.35	-
अन्य देयताएं	2,384.07	3,118.12
जोड़	14,525.53	16,031.64

*इन आंकड़ों में 29.05.2015 को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को देय और बकाया ₹ 0.10 लाख की राशि शामिल है।

टिप्पणियां :–

1. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ किराया करार की अवधि 25.07.2005 को समाप्त हो गई है और इसका नवीकरण लंबित है। निगम ने नया पट्टा विलेख के नियम एवं शर्तों और निष्पादन को अंतिम रूप दिया जाना लंबित रहने तक एलआईसी की मांग और निर्णय के अनुसार 01.06.2007 से सेवाकर सहित एलआईसी के साथ एमओयू के अनुसार 26.07.2010 से (25.07.2005 से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात्) ₹ 135 प्रति वर्ग फीट की दर से किराया अदा किया है। किराए के परिसरों को खाली किया गया और एलआईसी को 30.11.2014 को सौंपा गया है। उपर्युक्त आधार पर परिसर खाली करने की तिथि तक देय किराए का भुगतान किया गया है। तथापि निगम को किराए के विलंबित भुगतान के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के ₹ 154.86 लाख की मांग के अलावा एलआईसी से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि निगम ने भारतीय जीवन बीमा निगम की ब्याज की मांग स्वीकार नहीं की है।
2. विविध लेनदारी में ग्राहकों से प्राप्त ऐसी लगभग ₹ 69.75 लाख (पिछले वर्ष ₹ 46.49 लाख) की असंबद्ध पावतियाँ शामिल हैं, जो अपने ग्राहक खातों के पर्याप्त विवरण के अभाव में संबद्ध नहीं की जा सकी हैं।

सक्रिय प्रयोग में मूर्त परिसंपत्तियां

टिप्पणी – 11

(लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	सकल निरुद्ध पूंजी: 31.3.2014 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जोड़ें/(घटाएँ): वर्ष के दौरान बिक्री, अंतरण, बट्टे खाते डाले गए एवं समायोजन	31.3.2015 तक	मूल्यह्रास: 31.3.2014 तक	वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	जोड़ें/(घटाएँ): वर्ष के दौरान बिक्री, अंतरण, बट्टे खाते डाली गई राशि एवं समायोजन	31.3.2015 तक	क्षति: 31.3.2014 को	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	31.3.2015 तक	निवल रखाव राशि: 31.3.2015 को	31.3.2014 को
1.	भूमि														
	पूर्ण स्वामित्व (फ्रीहोल्ड)	20.60	-	-	20.60	2.25	-	-	***2.25	-	-	-	-	18.35	18.35
	पट्टे पर	326.60	-	-	326.60	111.65	3.43	-	*115.08	-	-	-	-	211.52	214.95
2.	भवन	2,612.13	52.94	(0.18)	**2,664.89	1,497.48	40.13	9.50	1,547.11	-	-	-	-	1,117.78	1,114.65
3.	संयंत्र एवं उपकरण	7,025.30	419.72	32.10	7,477.12	4,418.64	655.65	240.83	5,315.12	-	-	-	-	2,162.00	2,606.66
4.	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	2,824.30	50.39	0.62	2,875.31	2,150.83	165.68	20.50	2,337.01	-	-	-	-	538.30	673.47
5.	वाहन	147.74	0.11	(8.97)	138.88	112.50	10.32	(3.57)	119.25	-	-	-	-	19.63	35.24
6.	कार्यालय उपकरण	1,490.91	30.21	(61.89)	1,459.23	970.87	131.91	172.75	1,275.53	-	-	-	-	183.70	520.04
	जोड़	14,447.58	553.37	(38.32)	14,962.63	9,264.22	1,007.12	440.01	10,711.35	-	-	-	-	4,251.28	5,183.36
	पिछले वर्ष का जोड़	14,257.73	252.21	(62.36)	14,447.58	8,520.17	572.79	171.26	9,264.22	-	-	-	-	5,183.36	-

– पट्टे पर भूमि के अतिरिक्त अन्य मूर्त परिसंपत्तियों का स्वामित्व निगम के पास है।

* यह पट्टा भूमि के परिशोधन को दर्शाता है।

* इसमें स्टाफ क्वार्टर्स का मूल्य ₹ 194.03 लाख (पिछले वर्ष ₹ 194.03 लाख) शामिल है। तथापि, कुछ एककों के क्वार्टर्स का मूल्य–निर्धारण नहीं हो पाने के कारण उनका मूल्य इसमें शामिल नहीं है।

*** मुख्यालय स्थित पट्टे पर रिहायशी फ्लैटों का उनके पूर्ण स्वामित्व में बदले जाने से पूर्व, परिशोधन शामिल है।

टिप्पणियां :

(क) भूमि की खरीद/पट्टे की शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण एवं स्वामित्व विलेख का पंजीकरण/पट्टा विलेख का कार्यान्वयन न होने के फलस्वरूप पटना स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक, नई दिल्ली स्थित अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान (एआईएचएंडटीएम) तथा टैनिस कोर्ट से संबंधित लागत/पट्टा किराया, भूमि किराया और पंजीकरण शुल्क इत्यादि की देयताएं तय नहीं की गई हैं।

(ख) नई दिल्ली स्थित होटल सम्राट की भूमि एवं स्कोप के कार्यालय परिसर से संबंधित पट्टा विलेख/स्वामित्व विलेख को अब तक निगम के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है।

(ग) अशोक होटल, नई दिल्ली की भूमि का पट्टा विलेख भूतपूर्व अशोका होटल्स लिमिटेड के नाम पंजीकृत है, जिसका निगम के साथ 28 मार्च, 1970 में विलय कर दिया गया था।

(घ) निगम के पक्ष में स्वामित्व विलेख का पंजीकरण निम्नलिखित मामलों में प्रभावी नहीं हुआ है :–

i) आगरा स्थित ताज रेस्टोरैंट की भूमि एवं भवन

ii) गुलमर्ग में भूमि

(ङ) होटल जम्मू अशोक का पट्टा विलेख दिनांक 11.01.2010 को समाप्त हो चुका है। इसका नवीकरण लंबित होने के कारण पट्टा किराया देयता आदि के लिए व्यवस्था नहीं की गई है।

(च) लागत को अंतिम रूप देने और उसका समायोजन लंबित होने के कारण पर्यटन मंत्रालय से अधिगृहीत पथिक निवास, रेस्टोरैंट और होटल आदि की भूमि, भवन, फर्नीचर एवं फिक्सचर्स तथा उपकरणों का पूंजीकरण भुगतान के आधार पर किया गया है।

(छ) ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के अंतिम बिल की प्राप्ति/संवीक्षा, अतिरिक्त मदों की दरों और वृद्धि इत्यादि का समाधान लंबित होने के कारण, पूँजीकरण एवं/अथवा ₹ 2,215.20 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1,745.63 लाख) व्यय का प्रभार विभिन्न परियोजनाओं में किए गए कार्यों के लिए परियोजना इंजीनियरों द्वारा जारी प्रमाण–पत्रों के आधार पर किया गया है। लागत में समायोजन, यदि कोई हो, बिलों के अंतिम निपटान पर किए जाने का प्रस्ताव है।

(ज) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में, कंपनी ने अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट अनुमानित उपयोगी अवधियों का अनुप्रयोग किया है। तदनुसार, अपरिशोधित मूल्य का संशोधित शेष उपयोगी अवधियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन किया जा रहा है। स्थायी संपत्तियों, जिनकी अवधि 01 अप्रैल, 2014 को समाप्त हो चुकी है, का ₹ 483.40 लाख का पुनरांकित मूल्य सामान्य आरक्षित निधि के प्रारंभिक शेष में कर के निवल पर समायोजित किया गया है।

(झ) इसके अतिरिक्त, 01.04.2014 तक उपयोगी अवधियों की शेष मूर्त स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में, सरल रेखा पद्धति का प्रयोग करके कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के प्रावधानों के अनुरूप मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष का मूल्यह्रास ₹ 532.28 लाख अधिक है।

सक्रिय प्रयोग में नहीं आने वाली मूर्त परिसंपत्तियां

टिप्पणी – 11क

(लाख ₹ में)

विवरण	सकल निरुद्ध पूँजी				मूल्यह्रास					निवल निरुद्ध पूँजी	
	31.3.2014 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान बिक्री, अंतरण, बट्टे खाते डाली गई एवं समायोजन	31.3.2015 को लागत	31.3.2014 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान बिक्री, अंतरण, बट्टे खाते डाली गई और समायोजन	31.3.2015 तक संचित मूल्यह्रास	31.3.2015 को ह्रासित मूल्य	31.3.2015 को निवल वसूलीयोग्य मूल्य	शेष के लिए व्यवस्था
क. निवल वसूलीयोग्य मूल्य ह्रासित मूल्य से अधिक है											
संयंत्र एवं उपकरण	95.77	21.74	-	117.51	89.18	20.69	-	109.87	7.64	7.64	-
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	7.11	-	-	7.11	6.74	-	-	6.74	0.37	0.37	-
वाहन	13.64	-	(9.71)	3.93	11.87	-	(8.13)	3.74	0.19	0.19	-
कार्यालय उपकरण	3.38	-	(0.74)	2.64	2.58	-	(0.70)	1.88	0.76	0.76	-
जोड़–क	119.90	21.74	(10.45)	131.19	110.37	20.69	(8.83)	122.23	8.96	8.96	-
ख. निवल वसूलीयोग्य मूल्य ह्रासित मूल्य से कम है											
संयंत्र एवं उपकरण	26.35	-	(0.19)	26.16	17.09	-	(0.13)	16.96	9.20	1.66	7.54
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	16.26	19.38	-	35.64	15.47	18.41	-	33.88	1.76	0.25	1.51
वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	10.76	-	-	10.76	9.33	-	-	9.33	1.43	0.38	1.05
जोड़–ख	53.37	19.38	(0.19)	72.56	41.89	18.41	(0.13)	60.17	12.39	2.29	10.10
जोड़–(क+ख)	173.27	41.12	(10.64)	203.75	152.26	39.10	(8.96)	182.40	21.35	11.25	10.10
पिछले वर्ष का जोड़	158.91	20.16	(5.80)	173.27	139.81	17.61	(5.16)	152.26	21.01	11.88	9.13

-पट्टा भूमि के अतिरिक्त सक्रिय प्रयोग में नहीं आ रहीं मूर्त परिसंपत्तियों का स्वामित्व निगम के पास है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

टिप्पणी – 12

(लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	सकल निरुद्ध पूंजी				संचित मूल्यह्रास			संचित क्षति				निवल रखाव राशि	
		31.3.2014 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती	31.3.2015 को	31.3.2014 को	वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	जोड़ें/(घटाएँ) वर्ष के दौरान समायोजन	31.3.2015 को	31.3.2014 को	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	31.3.2015 को	31.3.2015 को	31.3.2014 को
1.	गुडविल														
2.	ब्रांण्ड/ट्रेड मार्क														
3.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर														
	– अर्जित	96.58	1.14	-	97.72	70.22	19.50	-	89.72	-	-	-	-	8.00	26.36
	– आंतरिक रूप से तैयार														
4.	मास्टहेड्स														
5.	खनन अधिकार														
6.	कॉपीराइट														
	– अर्जित														
	– आंतरिक रूप से तैयार														
7.	पेटेंट														
	– अर्जित														
	– आंतरिक रूप से तैयार														
	जोड़	96.58	1.14	-	97.72	70.22	19.50	-	89.72	-	-	-	-	8.00	26.36
	पिछले वर्ष का जोड़	94.67	1.91	-	96.58	47.24	22.98	-	70.22	-	-	-	-	26.36	-

चालू पूँजीगत कार्य

टिप्पणी – 12क

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2015 को	31.3.2014 को
I)	चल रहे कार्य (लागत पर), जिनमें निर्माण–स्थल पर रखी सामग्री और प्रयोग में न लाई जा रही स्थायी परिसंपत्ति, किए गए कार्य एवं ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सप्लाई की गई सामग्री का मूल्य शामिल है।	473.89	348.53
II)	विनिधान होते तक परियोजनाओं के संबंध में किया गया खर्च	110.87	119.06
III)	पास में और मार्गस्थ पूँजीगत माल	7.34	30.14
		592.10	497.73
	घटाएं – क्षति के लिए प्रावधान	(223.83)	(221.73)
	जोड़	368.27	276.00

टिप्पणियां :–

1. विनिधान होने तक परियोजनाओं को आबंटित व्यय निम्नप्रकार है :–

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रारंभिक शेष	119.06	114.60
जोड़ें :–		
अन्य परियोजना उपरिव्यय	18.42	23.33
पट्टे का मूल्यह्रास/परिशोधन	0.19	0.19
घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	(26.80)	(19.06)
अंतिम शेष	110.87	119.06

2. चालू पूँजीगत कार्य में परियोजनाओं पर व्यय शामिल है, जिसे विभिन्न परियोजनाओं के समाप्त होने पर प्रभाजित किया जाना है।

गैर–चालू निवेश

टिप्पणी – 13

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2015 को	31.3.2014 को
गैर–व्यापार निवेश			
क.	सहायक कम्पनियों में व्यापार (अनुद्धृत)*		
(i)	ईक्विटी इन्स्ट्रूमेंटों में निवेश		
	उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.		
	₹ दस–दस के 11,90,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 11,90,000)	119.00	119.00
	रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड		
	₹ एक–एक हजार के 24,988 पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 24,988)	249.88	249.88
	मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड		
	₹ एक–एक हजार के 8,160 पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 8,160)	81.60	81.60
	असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड		
	₹ एक–एक हजार के 5,100 पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 5,100)	51.00	51.00
	पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड		
	₹ एक–एक हजार के 8,160 पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 8,160)	81.60	81.60
	डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड		
	₹ एक–एक सौ के 50,896 पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 50,896)	50.90	50.90
	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड		
	₹ दस–दस के 12,75,000 पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 12,75,000)	127.50	127.50
		761.48	761.48
	घटाएं : रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लि. में निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान**	-	-
		761.48	761.48
(ii)	अधिमानी शेयरों में निवेश*		
	उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.		
	₹ दस–दस के 14 प्रतिशत गैर–संचयी 35,00,000 अधिमानी शेयर 30.3.2017 को विमोच्य (पिछले वर्ष 35,00,000)	350.00	350.00
ख.	संयुक्त उद्यम कम्पनी में शेयर (व्यापार अनुद्धृत)		
	भारत पर्यटन विकास निगम एल्डिआसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**		
	₹ दस–दस के 5,000 (पिछले वर्ष 5,000) पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर	0.50	0.50
	घटाएं : निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	0.50 -	0.50
		-	-
ग.	अन्य (व्यापार अनुद्धृत)		
1.	दिल्ली मैदा उपभोक्ता सहकारी समिति लि., दिल्ली		
	₹ 25–25 का एक ईक्विटी साधारण शेयर***	-	-
	जोड़	1,111.48	1,111.48

* शेयर सह–प्रवर्तकों की सहमति के बिना दस वर्ष के भीतर हस्तांतरणीय नहीं हैं। दस वर्ष के उपरांत भी शेयर निजी पार्टियों को हस्तांतरणीय नहीं हैं।

** भारत में शुल्क मुक्त व्यापार चलाने के प्रयोजन से निगम ने 18.09.2007 को स्पेन के मैसर्स एल्डिआसा के साथ दिनांक 10.07.2007 को हुए करार द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की। संयुक्त उद्यम करार की शर्तों के अनुसार, निगम एवं एल्डिआसा को संयुक्त उद्यम की पूँजी के लिए बराबर अंशदान करना था और तदनुसार प्रायोजक अभिदाता होने के कारण निगम ने संयुक्त उद्यम में ₹ 50,000 (10–10 रुपए के 5,000 ईक्विटी शेयर) का निवेश किया, हालाँकि संयुक्त उद्यम कंपनी से शेयर प्रमाण–पत्र प्राप्त करना शेष है। संयुक्त उद्यम कंपनी के वित मसौदे के आधार पर इस साझेदारी से वर्ष के दौरान ₹ 2.62 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1.85 लाख) का लाभ रिकॉर्ड किया गया है।

*** पूर्णांक बनाने के लिए ₹ 25/– के निवेश को शून्य माना गया है।

टिप्पणी :–

महत्वपूर्ण संचित हानियों के बावजूद उपर्युक्त में से कुछ सहायक कंपनियों में हुए ₹ 1,060.58 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1,060.58 लाख) के निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया गया है। पुनर्भुगतान उनको प्रभारित राशि के अनुरूप नहीं होने के कारण 2008–09 से इन कंपनियों से हुई आय (यथा प्रबंधन शुल्क और दिए गए ऋणों पर ब्याज) का लेखाकरण निगम वास्तविक वसूली/उनसे लिए गए शुल्क की दृष्टि से स्रोत पर कटौती किए गए कर–जमा की सीमा तक कर रहा है। तथापि, उपर्युक्त प्राप्य लेखाओं को कंपनियों के साथ दीर्घकालिक संबंध को तथा उन कंपनियों द्वारा धारित परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य को देखते हुए वसूली के लिए प्राप्य समझा गया है।

दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

टिप्पणी – 14

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को	31.3.2014 को
क) प्रतिभूति जमा		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	1.89	1.89
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	202.51	195.54
संदिग्ध	42.63	26.06
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम के लिए छूट	(42.63)	(26.06)
जोड़ (क)	204.40	197.43
(ख) अन्य		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	-	-
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	160.97	160.97
संदिग्ध	-	-
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम के लिए छूट	-	-
जोड़ (ख)	160.97	160.97
जोड़ {(क)+(ख)}	365.37	358.40

अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम

टिप्पणी – 14क

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को	31.3.2014 को
(क) संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	-	-
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	995.65	979.00
संदिग्ध	-	-
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम के लिए छूट	-	-
जोड़ (क)	995.65	979.00
(ख) कंपनी के निदेशक अथवा अधिकारीगण अथवा उनमें से किसी एक या कुछ या अन्य के साथ संयुक्त रूप से या किसी फर्म या निजी कंपनियों, जिनमें कोई निदेशक क्रमशः साझीदार अथवा निदेशक अथवा सदस्य है, द्वारा देय ऋण एवं अग्रिम		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	-	-
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	4.63	3.72
संदिग्ध	-	-
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम के लिए छूट	-	-
जोड़ (ख)	4.63	3.72
(ग) अन्य		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	5.54	0.51
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	1,706.02	1,759.67
संदिग्ध	-	-
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम के लिए छूट	-	-
जोड़ (ग)	1,711.56	1,760.18
(घ) आयकर अग्रिम एवं स्रोत पर कटौती किया गया कर	7,115.55	6,021.10
जोड़ (घ)	7,115.55	6,021.10
(ङ) बिक्रीकर का अग्रिम भुगतान	31.68	67.72
जोड़ (ङ)	31.68	67.72
जोड़ {(क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)}	9,859.07	8,831.72

टिप्पणी :–

1. ऋण एवं अग्रिम में निम्नलिखित सहायक कंपनियों संबंधी ₹ 995.65 लाख (निवल) (पिछले वर्ष ₹ 979.00 लाख (निवल)) शामिल हैं।

(लाख ₹ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	71.01	74.96
ii) डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	(1.22)	(1.22)
iii) मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	179.55	229.90
iv) पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	23.61	22.77
v) राँची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लि.	98.56	40.12
vi) उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.*	591.98	584.32
vii) पंजाब अशोक होटल कंपनी लि.	32.16	28.15
जोड़	995.65	979.00
घटाएँ : किए गए प्रावधान	-	-
निवल	995.65	979.00

(*) 31.03.2004 से प्रचालन में नहीं है

2. ऋण एवं अग्रिम में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
निगम के निदेशकों एवं अधिकारियों पर बकाया अग्रिम	4.63	3.72
वर्ष के दौरान निगम के निदेशकों एवं अधिकारियों से अधिकतम प्राप्य राशि	7.20	11.42

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

टिप्पणी – 15

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को	31.3.2014 को
(क) चालू से अन्यथा दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य (आस्थगित उधार शर्तों पर व्यापार प्राप्य सहित)		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	7.81	9.51
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	54.02	86.31
संदिग्ध	3,458.91	3,279.24
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	(3,458.91)	(3,279.24)
जोड़ (क)	61.83	95.82
(ख) अन्य		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	1.11	-
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	6.24	-
संदिग्ध	449.78	445.18
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम के लिए छूट	(449.78)	(445.18)
जोड़ (ख)	7.35	-
जोड़ {(क)+(ख)}	69.18	95.82

मालसूची

टिप्पणी – 16

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को	31.3.2014 को
(प्रबंधकवर्ग द्वारा लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य में से निम्नतर पर तैयार, मूल्यांकित और प्रमाणित की गई मालसूचियों के अनुसार)		
भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	222.59	266.18
औजार	0.52	0.49
क्रॉकरी, कटलरी, कांच के बर्तन और लिनन आदि (पास में और प्रयोग में)	273.95	242.76
अन्य स्टॉक एवं भंडार (अन्य)	769.66	713.24
मार्गस्थ माल	-	120.50
घटाएं : ह्रासित मालसूची के लिए प्रावधान	(39.97)	(41.66)
जोड़	1,226.75	1,301.51

व्यापार प्राप्य

टिप्पणी – 17

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को	31.3.2014 को
1. चालू व्यापार प्राप्य		
(क) भुगतान के लिए देय तारीख से 6 महीने से अधिक समय की बकाया व्यापार प्राप्य :		
(i) रक्षित, प्राप्य समझे गए	76.10	45.74
(ii) अरक्षित, प्राप्य समझे गए	3,592.52	2,466.03
(iii) संदिग्ध	504.58	49.02
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	(504.58)	(49.02)
जोड़ (क)	3,668.62	2,511.77
(ख) व्यापार प्राप्य (अन्य)		
(i) रक्षित, प्राप्य समझे गए	173.68	75.12
(ii) अरक्षित, प्राप्य समझे गए	8,154.70	5,592.16
(iii) संदिग्ध	10.33	176.36
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	(10.33)	(176.36)
जोड़ (ख)	8,328.38	5,667.28
जोड़ {क+ख}	11,997.00	8,179.05

टिप्पणियां :–

1. व्यापार प्राप्यों में निम्नलिखित सहायक कंपनियों संबंधी ₹ 335.70 लाख (निवल) (पिछले वर्ष ₹ 335.70 लाख – निवल) शामिल हैं :

(लाख ₹ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	106.42	106.42
डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	-	-
मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	77.84	77.84
पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	50.30	50.30
राँची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लि.	76.58	76.58
उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.*	24.56	24.56
पंजाब अशोक होटल कंपनी लि.	-	-
जोड़	335.70	335.70
घटाएं : किया गया प्रावधान	-	-
निवल	335.70	335.70

(*)31.03.2004 से प्रचालन में नहीं है

2. व्यापार प्राप्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
निगम के निदेशकों एवं अधिकारियों से प्राप्य ऋण	-	0.17
वर्ष के दौरान निगम के निदेशकों एवं अधिकारियों से अधिकतम प्राप्य राशि	-	0.23

नकद एवं नकद समतुल्य

टिप्पणी – 18

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को	31.3.2014 को
(क) पास में नकद		
पास में नकद	16.43	32.87
(ख) बैंकों में शेष		
चालू खाते में*	3,600.15	2,250.78
बचत खाते में	0.73	0.70
संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	-	-
(ग) पास में चैक, ड्राफ्ट		
पास में चैक	74.69	309.33
पास में ड्राफ्ट	-	-
(घ) अन्य बैंक शेष		
बैंकों में 12 महीनों से कम अवधि के लिए सावधि जमा**	23,249.75	26,581.69
बैंकों में 12 महीनों से अधिक अवधि के लिए सावधि जमा	5.58	5.01
जोड़	26,947.33	29,180.38

** बेदावा लाभांश के ₹ 0.33 लाख शामिल हैं।*

*** जमानत जमा के रूप में ₹ 50.78 लाख के एफडीआर (पिछले वर्ष ₹ 35.95 लाख) शामिल हैं।*

अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

टिप्पणी – 19

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को	31.3.2014 को
उपचित ब्याज लेकिन सावधि जमा पर देय नहीं	1,309.04	1,103.74
अन्य	423.63	269.11
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम के लिए छूट	-	-
जोड़	1,732.67	1,372.85

टिप्पणी :–

अन्य में आरपीएफसी, जयपुर में जमा ₹ 1.58 लाख का एफडीआर शामिल है।

प्रचालन से आय

टिप्पणी – 20

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री (क)		
खाद्य	6,489.29	6,331.19
बियर, वाइन एवं स्पिरिट	2,486.62	2,148.12
सिगार एवं सिगरेट	33.01	9.94
सॉफ्ट ड्रिंक्स	248.56	276.40
पेट्रोल, तेल एवं ल्यूब्रिकेंट	1,166.48	1,287.61
पर्यटक साहित्य एवं अन्य प्रकाशन	132.83	31.40
विविध बिक्री	1.68	9.72
जोड़ (क)	**10,558.47**	**10,094.38**
सेवाओं की बिक्री (ख)		
कमरे का किराया	12,812.15	10,761.91
लाइसेंस शुल्क	4,967.45	5,272.62
बैंक्विट हॉल/लान का किराया	991.54	904.21
यातायात से आय एवं पैकेज टुअर्स	2,289.90	1,202.51
यात्रा सेवाएँ	9,618.42	11,067.05
प्रबंधन/परामर्श/समारोह प्रबंध/प्रशिक्षण शुल्क	3,080.10	2,154.48
परियोजनाओं के निष्पादन से राजस्व	1,728.97	1,219.75
ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन तथा सांस्कृतिक प्रदर्शन	85.96	81.52
प्राप्त कमीशन	26.83	30.19
विद्युत प्रभार	484.09	458.12
दूरभाष सेवाएँ	6.34	5.95
विज्ञापन आय	33.88	94.38
सेवा प्रभार	396.83	359.57
जोड़ (ख)	**36,522.46**	**33,612.26**
अन्य प्रचालन राजस्व (ग)		
विविध आय	146.87	119.76
जोड़ (ग)	**146.87**	**119.76**
जोड़ (क)+(ख)+(ग)	**47,227.80**	**43,826.40**

टिप्पणी :–

नए लाइसेंस करारों का निष्पादन लंबित होने के कारण लाइसेंस शुल्क से आय (वर्तमान लाइसेंसधारकों से) का लेखाकरण अनंतिम आधार पर और/अथवा पूर्व लाइसेंस करारों के आधार पर किया गया है।

अन्य आय

टिप्पणी – 21

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
अन्य आय		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ब्याज (सकल)	2,537.42	2,376.82
कर्मचारियों को ऋण	0.61	0.63
आयकर वापसी पर	-	-
अन्य	-	139.82
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	3.98	4.36
विदेशी मुद्रा अंतर पर लाभ	3.80	13.69
पर्यटन मंत्रालय से अनुदान	0.35	0.34
अन्य	645.02	596.25
जोड़	3,191.18	3,131.91

टिप्पणी :–

पर्यटन मंत्रालय से परिसंपत्तियों के नवीकरण/उन्नयन के लिए प्राप्त आस्थगित सरकारी अनुदान की ₹ 4.73 लाख (पिछले वर्ष ₹ 5.07 लाख) की शेष राशि में से वर्ष के दौरान खर्च हुई ₹ 0.35 लाख (पिछले वर्ष ₹ 0.34 लाख) की राशि को संबंधित व्यय शीर्ष में प्रभारित किया गया है। अनुदान संबद्ध लागत के बराबर की राशि को आय के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष के अंत में शेष ₹ 4.38 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4.73 लाख) की राशि को आरक्षित निधि व अधिशेष के अंतर्गत आस्थगित सरकारी अनुदान के रूप में दर्शाया गया है।

उपभुक्त सामग्री व प्रदत्त सेवाओं की लागत

टिप्पणी – 22

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
(क)	कच्चे माल का उपभोग, बेची गई अन्य सामग्री व प्रदत्त सेवाओं की लागत		
i)	रसद, पेय एवं धूम्रपान		
	प्रारंभिक स्टॉक	82.78	95.96
	जोड़ें :– खरीद एवं समायोजन	2,228.73	2,083.44
	घटाएं :– अंतरण एवं समायोजन	(254.19)	(269.48)
	अंतिम स्टॉक	58.60	82.78
	जोड़ (i)	**1,998.72**	**1,827.14**
ii)	वाइन एवं शराब		
	प्रारंभिक स्टॉक	337.99	148.91
	जोड़ें :– खरीद एवं समायोजन	730.03	630.55
	घटाएं :– अंतरण एवं समायोजन	(272.50)	(113.66)
	अंतिम स्टॉक	301.07	337.99
	जोड़ (ii)	**494.45**	**327.81**
(iii)	अन्य सामग्री		
	प्रारंभिक स्टॉक	-	-
	जोड़ें :– खरीद एवं समायोजन	103.20	24.55
	घटाएं :– अंतरण एवं समायोजन	-	-
	अंतिम स्टॉक	-	-
	जोड़ (iii)	**103.20**	**24.55**
	जोड़ (i+ii+iii) (क)	**2,596.37**	**2,179.50**
(ख)	प्रदत्त/खरीदी गई सेवाओं की लागत :–		
	– परियोजना का निष्पादन	1,610.48	1,139.30
	– अन्य सेवाएँ	1,943.92	1,278.57
	जोड़ (ख)	**3,554.40**	**2,417.87**
	जोड़ (क+ख)	**6,150.77**	**4,597.37**
	घटाएं : विदेश मंत्रालय को प्रभारित	(15.32)	(15.23)
	कुल जोड़	**6,135.45**	**4,582.14**

टिप्पणी :–

कच्चे माल के उपभोग, बेची गई अन्य सामग्री तथा प्रदत्त सेवाओं की लागत में प्रचालन स्टाफ द्वारा खानपान स्थापनाओं में उपभुक्त खाद्य सामग्री शामिल है (राशि निश्चित नहीं)।

व्यापार माल की खरीद

टिप्पणी – 23

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
i)	रसद, पेय एवं सिगरेट	17.56	8.66
ii)	वाइन एवं शराब	556.16	583.62
iii)	अन्य सामग्री	1,107.16	1,261.45
	जोड़	**1,680.88**	**1,853.73**

व्यापार माल की मालसूची में परिवर्तन

टिप्पणी – 24

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
(क)	प्रारंभिक स्टॉक		
i)	रसद, पेय एवं सिगरेट	7.21	2.33
ii)	वाइन एवं शराब	370.64	260.20
iii)	अन्य सामग्री	35.11	31.74
	जोड़	**412.96**	**294.27**
(ख)	अंतिम स्टॉक		
i)	रसद, पेय एवं सिगरेट	8.57	7.21
ii)	वाइन एवं शराब	373.37	370.64
iii)	अन्य सामग्री	3.58	35.11
	जोड़	385.52	412.96
(ग)	मालसूची में परिवर्तन	27.44	(118.69)
		27.44	(118.69)

कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ

टिप्पणी – 25

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	11,737.76	11,764.70
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में नियोक्ता द्वारा अंशदान	973.68	990.60
कर्मचारी कल्याण व्यय (कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान सहित)	964.65	849.59
वर्दी	22.46	52.27
कर्मचारी उपदान योजना में प्रावधान/अंशदान (निवल)	505.24	769.84
	14,203.79	14,427.00
घटाएं :–		
पर्यटन मंत्रालय की परियोजनाओं को प्रभारित	56.84	56.01
विदेश मंत्रालय को प्रभारित	238.90	185.51
जोड़	13,908.05	14,185.48

टिप्पणियां :–

1. लेखाकरण मानक–15 (संशोधित) संबंधी प्रकटन – कर्मचारी हितलाभ :–

क) भविष्य निधि – मूल वेतन का 12 प्रतिशत (मंहगाई वेतन सहित) एवं मंहगाई भत्ता, मान्य भविष्य निधि में अंशदान।

ख) छुट्टी नकदीकरण – पात्र कर्मचारियों को जमा अर्जित अवकाश के लिए सेवा से अलग होने पर देय।

ग) उपदान – पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने 5 अथवा उससे अधिक वर्षों की निरंतर सेवा की हो, को सेवानिवृत्त होने पर पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन की दर पर देय। अधिकतम सीमा ₹ 10.00 लाख।

कर्मचारी हितलाभ पर लेखाकरण मानक–15 (संशोधित) के अनुसार निम्न प्रकटन यथापेक्षित स्थिति दर्शाता है :–

(लाख ₹ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अर्द्धवेतन अवकाश
परिभाषित दायित्वों का उचित मूल्य			
01.04.2014 को अनुमानित दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,941.85	4,030.25	41.65
चालू सेवा लागत	310.27	183.34	5.86
ब्याज लागत	635.35	322.42	3.33
बीमांकिक (लाभ)(–)/हानि (+)	338.41	(356.33)	1.74
पिछली सेवा लागत	-	-	-
प्रदत हितलाभ	(1,146.34)	-	-
31.03.2015 को अनुमानित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	8,079.54	4,179.68	52.58

(लाख ₹ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अर्द्धवेतन अवकाश
परिसम्पत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाशोधन			
01.04.2014 को योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	7,143.90	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-	-
योजना परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित लाभ	588.15	-	-
कम्पनी का वास्तविक अंशदान	783.55	-	-
बीमांकिक लाभ(–)/हानि (+)	190.64	-	-
प्रदत हितलाभ/समायोजन	(1,146.34)	-	-
31.03.2015 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	7,559.90	-	-
परिभाषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	8,079.54	-	-
तुलन–पत्र में स्वीकृत निवल देयताएं (टिप्पणी–7)	519.64	4,179.68	52.58
31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा विवरण में स्वीकृत खर्च			
चालू सेवा लागत	310.27	183.34	5.86
ब्याज लागत	635.35	322.42	3.33
बीमांकिक लाभ(–)/हानि (+)	147.77	(356.33)	1.74
पिछली सेवा लागत	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित लाभ	(588.15)	-	-
लाभ व हानि लेखे में प्रभारित कर्मचारी पारिश्रमिक व हितलाभ			
क) उपदान	505.24	-	-
ख) अन्य	-	149.43	10.93
उपदान निधि निवेश विवरण (निधि देने की सीमा तक निधि प्रबंधकवार)			
भारतीय जीवन बीमा निगम	453.69	-	-
भारतीय जीवन बीमा निगम	2,348.20	-	-
मेटलाइफ ट्रेडिशनल फंड	586.12	-	-
मेटलाइफ यूनिट लिंक्ड	301.87	-	-
कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड	342.00	-	-
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस	330.57	-	-
बिड़ला सन–लाइफ इंश्योरेंस फंड	1,789.55	-	-
फ्यूचर जेनेरली इंडिया फंड	1,407.90	-	-
जोड़	7,559.90	-	-

(लाख ₹ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अर्द्धवेतन अवकाश
बीमांकिक अनुमान			
बट्टा दर	8.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष	8.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष	8.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006–08) अंतिम	आईएएलएम (2006–08) अंतिम	एलआईसी 94–96 अंतिम
आहरण दर (18–30 वर्ष)	0.00% प्रतिवर्ष	0.00% प्रतिवर्ष	0.00% प्रतिवर्ष
आहरण दर (31–44 वर्ष)	1.00% प्रतिवर्ष	1.00% प्रतिवर्ष	1.00% प्रतिवर्ष
आहरण दर (44–58 वर्ष)	3.00% प्रतिवर्ष	3.00% प्रतिवर्ष	3.00% प्रतिवर्ष
लाभ की अनुमानित दर	9.00% प्रतिवर्ष	9.00% प्रतिवर्ष	8.00% प्रतिवर्ष
भावी वेतनवृद्धि	5.00% प्रतिवर्ष	5.00% प्रतिवर्ष	5.00% प्रतिवर्ष
सेवानिवृति आयु	58 वर्ष	58 वर्ष	58 वर्ष

वित्तीय लागत

टिप्पणी – 26

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
अग्रिमों पर प्रदत्त ब्याज	19.88	-
अन्य उधार लागत	0.33	-
जोड़	20.21	-

प्रचालन एवं अन्य व्यय

टिप्पणी – 27

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
यात्रा एवं सवारी			
(क) निदेशक	31.62		28.28
(ख) अधिकारी एवं कर्मचारी	125.27		145.65
(ग) स्टाफ कार व्यय	61.93		82.67
		218.82	
किराया, पौरकर, कर एवं बीमा			
(क) किराया	398.32		699.14
(ख) पौरकर एवं कर	315.34		302.84
(ग) बीमा	101.24		104.08
		814.90	
मरम्मत एवं अनुरक्षण			
(क) संयंत्र एवं मशीनरी	440.92		611.51
(ख) भवन	945.22		427.13
(ग) वाहन	10.23		5.82
(घ) अन्य	1,192.39		1,333.09
		2,588.76	
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)			
(क) लेखापरीक्षा शुल्क	18.91		19.47
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क	5.67		5.84
(ग) प्रमाणन	-		0.51
(घ) कराधान मामले	-		-
(ङ) कंपनी विधि मामले	-		-
(च) जेबी खर्च	0.29		0.45
		24.87	
निदेशकों का बैठक–शुल्क		1.43	0.05
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार		173.85	147.08
मुद्रण, स्टेशनरी एवं पत्रिकाएं		167.80	131.88
संचार व्यय		111.15	109.95
बिजली एवं ईंधन		3,033.16	2,897.18
विज्ञापन, प्रचार एवं बिक्री संवर्धन		395.86	406.21
मनोरंजन		13.10	13.62
बैंड एवं संगीत		34.90	59.94
सांस्कृतिक प्रदर्शनों पर व्यय		-	8.28
ट्रैवल एजेंटों एवं क्रेडिट कार्ड कंपनियों को कमीशन		63.45	75.17
लाइसेंसधारकों का लाभ में हिस्सा		1.67	3.09
विविध व्यय		111.53	71.05
रखरखाव, सेवा लागत और अन्य प्रचालन खर्च		14,822.45	14,931.53
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री/परिसम्पत्तियों को बट्टे–खाते डालने पर हानि		1.06	0.36

गठबंधन उद्यमों पर हानि	-	-
क्रॉकरी, कटलरी एवं बर्तनों आदि में ह्रास/उपभोग एवं टूट–फूट	56.54	34.91
बिक्री प्रतिफल की प्रतिपूर्ति	723.95	659.62
अग्रिम पर प्रदत्त ब्याज	-	-
अशोध्य ऋण	19.13	2.11
विदेशी मुद्रा विचलनों से हानि	5.91	1.47
बट्टे–खाते डाले गए अग्रिम	-	0.10
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	596.48	449.81
क्षति के लिए प्रावधान	2.10	3.89
स्थायी परिसंपत्तियों में ह्रास के लिए प्रावधान	-	-
ह्रासित मालसूची/बट्टे–खाते डाली गई मालसूची के लिए प्रावधान	-	9.05
निगम सामाजिक दायित्व	14.08	8.99
मुकदमेबाजी में हानि*	57.79	930.26
	24,054.74	24,722.08
घटाएं :–		
पर्यटन मंत्रालय की परियोजनाओं को प्रभारित	17.53	14.70
विदेश मंत्रालय को प्रभारित	130.55	113.91
भारत पर्यटन विकास निगम एकक को प्रभारित विभागीय व्यय	-	-
	148.08	128.61
	23,906.66	24,593.47

टिप्पणियां :–

1. बिजली उत्पादन पर व्यय :–

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	6.00	5.46
ईंधन	46.51	25.30
मूल्यह्रास	46.23	16.06
मरम्मत	35.95	68.93
अन्य	-	-
जोड़	134.69	115.75

(उपर्युक्त में कुछ एककों द्वारा किए गए व्यय, जिन्हें निश्चित नहीं किया जा सकता, शामिल नहीं हैं)

2. विभागीय रूप से की गई मरम्मत के लिए तैनात स्टाफ के वेतन, मजदूरी आदि को मरम्मत एवं अनुरक्षण लेखा में अलग से प्रभारित नहीं किया गया है।
3. वर्ष के दौरान विभिन्न होटलों के नवीकरण पर किए गए ₹ 1,153.92 लाख (पिछले वर्ष ₹ 147.06 लाख) के व्यय को परियोजना इंजीनियर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र और जिन पर लेखापरीक्षकों ने विश्वास किया है, के आधार पर ₹ 477.29 लाख (पिछले वर्ष ₹ 75.35 लाख) की पूंजी एवं ₹ 676.64 लाख (पिछले वर्ष ₹ 71.71 लाख) के राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अपवादात्मक मदें

टिप्पणी – 28

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
प्रावधान, जिनके पुनरांकन की आवश्यकता नहीं है	407.84	313.85
जोड़	407.84	313.85

टिप्पणी :–

प्रावधान/देयताएं, जिनके वर्ष के दौरान पुनरांकन की आवश्यकता नहीं है तथा लाभ व हानि लेखे में निम्नप्रकार दिखाई गई हैं :

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	86.13	218.92
2. मूल्यह्रास	83.98	18.97
3. बेची गई सामग्री एवं प्रदत्त सेवाओं की लागत	19.36	16.97
4. वेतन, मजदूरी एवं हितलाभ	4.02	11.63
5. वित्त लागत	14.74	-
6. मरम्मत एवं अनुरक्षण	3.75	6.59
7. बैंकों में शेष	-	-
8. रख–रखाव एवं सेवा लागत	59.35	2.88
9. अन्य प्रचालन एवं प्रशासनिक व्यय	0.01	1.37
10. निवेश में ह्रास के लिए प्रावधान	-	36.52
11. ह्रासित मालसूची के लिए प्रावधान	2.40	-
12. अन्य	134.10	-
जोड़	407.84	313.85

पूर्व–अवधि समायोजन

टिप्पणी – 29

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
पूर्व–अवधि आय	(11.27)	(63.54)
पूर्व–अवधि व्यय	215.43	323.79
निवल पूर्व–अवधि आय / (व्यय)	(226.70)	(387.33)

टिप्पणियां :–

1. लाभ व हानि लेखे में प्रभारित पिछले वर्षों से संबंधित आय / व्यय और समायोजन निम्नप्रकार हैं :–

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
आय :		
1. बियर, वाइन एवं स्पिरिट की बिक्री	-	-
2. प्रदत्त सेवाओं से आय :		
कमरा किराया / लाइसेंस फीस	4.01	-
परामर्श	-	(47.96)
सेवा संभलाई प्रभार	-	(10.80)
3. अन्य :		
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-	0.19
किराए के वाहनों से आय	(9.89)	0.58
बिक्री की लागत	-	(1.61)
ब्याज	-	-
विविध आय	(5.39)	(10.37)
विद्युत एवं जल प्रभार	-	6.43
जोड़	(11.27)	(63.54)
व्यय :		
1. कच्चे माल की खपत, बेची गई अन्य सामग्री व सेवाओं की लागत	1.88	(11.68)
2. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हितलाभ	1.03	19.63
3. यात्रा एवं सवारी	(0.02)	0.05
4. किराया, पौरकर, कर एवं बीमा	148.25	15.60
5. मरम्मत एवं अनुरक्षण	(48.05)	11.06
6. लेखापरीक्षा शुल्क	(0.01)	-

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष 31.3.2015	पिछले वर्ष 31.3.2014
7. विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	5.56	4.56
8. कर्मचारी कल्याण	(8.31)	-
9. संचार व्यय	2.01	0.32
10. विद्युत एवं ईंधन	17.00	0.07
11. विज्ञापन, प्रचार एवं बिक्री संवर्धन	-	(6.10)
12. विविध व्यय	(0.12)	21.59
13. रखरखाव एवं सेवा लागत एवं अन्य प्रचालन व्यय	15.17	20.43
14. मूल्यह्रास	76.32	247.87
15. विद्युत प्रभार	-	-
16. किराए पर वाहनों को भुगतान	-	-
17. शुल्क और अंशदान	-	0.39
18. डाटा प्रोसेसिंग	0.07	-
19. अन्य	4.65	-
जोड़	215.43	323.79

प्रति शेयर आय

टिप्पणी – 30

विवरण	31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
लेखाकरण मानक–20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना निम्नप्रकार है :		
बेसिक व डाइल्यूटिड		
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध निवल (हानि) / लाभ (लाख ₹ में)	3,436.88	942.21
₹ 10–10 के ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	8,57,69,400	8,57,69,400
बेसिक आय प्रति शेयर (₹)	4.01	1.10

टिप्पणी – 31

आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं

(लाख ₹ में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क.	आकस्मिक देयताएं		
(क)	निगम के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में नहीं स्वीकारा गया है।		
(i)	निगम के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है {जिसमें सीमा–शुल्क प्राधिकरण से ₹ 18,520.84 लाख (पिछले वर्ष ₹ 18,523.84 लाख) की मांग शामिल है और न्यायालय में विचाराधीन है}।	83,613.08	77,537.03
(ii)	विभिन्न प्राधिकरणों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के नाम निष्पादित गारंटी–पत्र {इसमें सहायक कम्पनियों द्वारा प्राप्त ₹ 351.74 लाख (पिछले वर्ष ₹ 331.44 लाख) के ऋण के विरुद्ध दी गई गारंटियां शामिल हैं}।	578.74	484.84
(iii)	आयकर के मामले, जिनके विरुद्ध अपीलें की गई हैं {इसमें आयकर विभाग द्वारा की गई अपीलें शामिल हैं ₹ 475.84 लाख (पिछले वर्ष ₹ 17.59 लाख)}।	1,250.17	1,200.24
(iv)	बिक्रीकर के मामले, जिनके विरुद्ध अपीलें की गई हैं {बंद शुल्क मुक्त दुकान, मुम्बई के संबंध में ₹ 2,465.62 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,465.62 लाख रुपए) शामिल हैं, जिनके विरुद्ध अपीलें महाराष्ट्र बिक्रीकर अधिकरण/उच्च न्यायालय में लंबित हैं}।	2,951.88	2,949.80
(v)	(क) 31.3.2007 तक होटलों में खानपान कार्यकलापों सहित बैंक्विटिंग से संबंधित सेवाकर (उस पर ब्याज सहित) के लिए देयता।	राशि निश्चित नहीं	राशि निश्चित नहीं
	(ख) एककों में किए जा रहे भवन मरम्मत कार्य से संबंधित कार्य संविदा–कर (उस पर ब्याज सहित) के लिए देयता।		
ख.	प्रतिबद्धताएँ		
	पूँजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि (निवल अग्रिम एवं वृद्धि दरों को छोड़कर, यदि कोई हो) (कार्य पूर्ण होने पर उसका कुछ अंश राजस्व व्यय के रूप में आ सकता है)	140.03	501.98

टिप्पणी सं. (1) : क्रम सं. क(क)(i), क(क)(iii) व क(क)(iv) पर आकस्मिक देयताएं न्यायालय के निर्णय/न्यायालय से बाहर समझौते/अपील के निपटान आदि पर निर्भर हैं।

टिप्पणी सं. (2) : निगम के विरुद्ध आकस्मिक देयता/दावे के रूप में दिखाई गई राशि केवल मूल मूल्य को दर्शाती है। विधिक और अन्य लागतों, जिनका इस अवस्था में निर्धारण नहीं किया जा सकता, पर विचार नहीं किया गया है।

टिप्पणी सं. (3) : उपर्युक्त क्रम सं. क(क)(i) पर दी गई आकस्मिक देयता में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से फर्नीचर की आपूर्ति और फ्लैट तैयार करने से संबंधित कार्यों के संबंध में माध्यस्थम के अंतर्गत आने वाले मामलों के विषय में ₹ 4,801.97 लाख शामिल हैं। तथापि, डीडीए के साथ किए गए समझौता–ज्ञापन से पता चलता है कि निर्धारित राशियों, यदि कोई हों, के भुगतान के मामले में माध्यस्थम द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार न्यायालय का निर्धारण डीडीए द्वारा किया जाएगा।

ग. निगम ने 1965 में एनिमी प्रोपर्टी के अभिरक्षक से एक सम्पत्ति किराए पर ली थी। बाद में अभिरक्षक ने उक्त परिसम्पत्ति उसके वर्तमान स्वामी को रिलीज कर दी थी। सम्पत्ति के स्वामी ने उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने स्वामी के पक्ष में निर्णय दिया और निगम को सम्पत्ति खाली करने का निदेश दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने एकमुश्त/तदर्थ आधार पर ब्याज सहित केवल जनवरी, 1980 माह के लिए @ ₹ 30,000 किराया भी निर्धारित किया और 1.2.1980 से सम्पत्ति का कब्जा सौंपने तक की अवधि के लिए किराए की राशि निर्धारित करने हेतु एक स्थानीय आयुक्त भी नियुक्त किया। इस निर्णय से व्यथित होकर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया। तदनुसार, परिसर को खाली किया गया और 28.2.2007 को मालिक को उसका कब्जा सौंप दिया गया। स्थानीय आयुक्त ने मध्यवर्ती लाभों के कारण श्री अनिल कुमार खन्ना और अन्य का लगभग ₹ 300 करोड़ का दावा खारिज कर दिया है और उसने रिपोर्ट में यथा उलिखित 15% प्रत्येक वर्ष की वृद्धि और 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 9.37 प्रति वर्ग फीट प्रति माह के आधार किराए को लेते हुए मध्यवर्ती लाभ का परिकलन किया है। स्थानीय आयुक्त के आदेशानुसार फरवरी 2007 को कुल देय राशि ₹ 12,15,55,555 बैठती है। इसके अलावा, भुगतान की तारीख तक, रिपोर्ट के अनुसार, 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है। स्थानीय आयुक्त के इस निर्णय द्वारा व्यथित होकर आईटीडीसी ने उच्च न्यायालय में अपनी आपत्ति दायर की है। स्वामियों/वादियों ने भी रिपोर्ट पर आपत्तियां दायर की हैं, जिनमें सम्पत्ति के कब्जे की तारीख अर्थात् 28.02.2007 तक 01.02.1980 से ₹ 2,96,23,97,284 का दावा किया है। सुनवाई पूरी होने के पश्चात् मामला आदेश के लिए आरक्षित है। मामले को अंतिम रूप देने के लिए लंबित होने के कारण खातों में कोई प्रावधान नहीं किया है और स्वामी की मांग को उपर्युक्त आकस्मिक देयता क(क)(i) के अधीन शामिल किया गया है।

घ. मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य प्राइवेट एयरपोर्ट प्रचालकों ने 10.9.2004 से विभिन्न स्थानों पर शुल्क मुक्त दुकानों और अशोक एयरपोर्ट रेस्टोरैंट के लिए अपनी लाइसेंस फीस के बिल/रॉयल्टी पर सेवाकर भी शामिल किया है। तथापि, भारत सरकार के तारीख 17.9.2004 को जारी परिपत्र में यह व्यवस्था है कि एयरपोर्ट/सिविल एनक्लेव परिसर के किसी भी भाग को किराए पर देने, पट्टे पर देने का कार्यकलाप सेवा देने में नहीं आता है और इस प्रकार इस संबंध में देय लाइसेंस फीस/रॉयल्टी पर सेवाकर नहीं लगता है। कर–परामर्शदाताओं ने भी ऐसी लाइसेंस फीस/रॉयल्टी पर सेवाकर न लगने के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। यह मामला केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क आसूचना महानिदेशक के पास भी विचाराधीन है। स्पष्टीकरण लम्बित होने के कारण सभी दस शुल्क मुक्त दुकानों के लिए 10.9.2004 से 31.3.2008 तक की अवधि के लिए अनुमानित देयता, जोकि ₹ 1,779.49 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1,779.49 लाख) होती है, के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

ङ. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) ने चार होटल/खानपान एककों के संबंध में ईएसआई देय राशि के लिए कुल ₹ 780.92 लाख (पिछले वर्ष ₹ 758.60 लाख) की मांग (जिसमें ब्याज, जहाँ लागू हो, शामिल है) की है, जिसके विरुद्ध उक्त प्राधिकरणों के पास निगम ने ₹ 334.85 लाख (पिछले वर्ष ₹ 334.85 लाख) (ऋणों और अग्रिमों में शामिल) (बैंक एकाउन्ट फ्रीज होने के बाद प्राधिकरणों द्वारा वापस लिए गए ₹ 310.09 लाख तथा जमा राशि ₹ 24.76 लाख) जमा किए हुए हैं। इसके विरुद्ध निगम की कर्मचारी राज्य बीमा देयताओं के प्रति ₹ 215.43 लाख (पिछले वर्ष ₹ 215.43 लाख) की देनदारी बनती है। ₹ 565.49 लाख (पिछले वर्ष ₹ 543.17 लाख) के शेष के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि मामला न्यायाधीन है और इस बारे में अंतिम निर्णय होने तक इसे उपर्युक्त क्रम सं. 1क(क)(i) में आकस्मिक देयताओं के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

च. सम्पत्तिकर के निर्धारण से संबंधित मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन था। कार्यवाही के दौरान एनडीएमसी ने होटल सम्पत्तियों के सम्पत्तिकर के निर्धारण के लिए आधार प्रस्तुत किया, जिस पर आईटीडीसी भी सहमत हो गया। तदनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने एनडीएमसी को होटलों से देय सम्पत्तिकर को पुनःनिर्धारित करने और इस मामले में होटलों द्वारा पूर्ण सहयोग का निदेश देते हुए उक्त याचिका का दिनांक 19.10.2010 के अपने आदेश द्वारा निपटान कर दिया। तदनुसार एनडीएमसी ने दिनांक 31.03.2013 के अपने निर्धारण आदेश द्वारा 31.3.2009 तक का नया निर्धारण किया और सम्पत्तिकर के निर्धारण का आधार दिया, जिस पर आईटीडीसी द्वारा सहमति दी गई।

निर्धारण आदेश के अनुपालन में वर्ष 2008–09 तक के लिए होटल के लिए देय सम्पत्तिकर के प्रति ₹ 2,159.59 लाख की अनंतिम देनदारी का परिकलन किया गया है और लेखाओं में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, होटलों ने वर्ष 2009–10 से 2014–15 तक के वर्षों के लिए सम्पत्तिकर के निर्धारण के लिए वही फार्मूला अपनाया है, जबकि एनडीएमसी पुराने आधार, अर्थात् न्यायालय आदेश से पहले के आधार पर बिल तैयार कर रहा है। चूंकि न्यायालय आदेश के अनुसरण में सम्पत्तिकर के निर्धारण को एनडीएमसी और आईटीडीसी ने पहले ही सहमति दे दी थी, इसलिए आईटीडीसी ने मांग को स्वीकार नहीं किया है और एनडीएमसी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। इसके अलावा, एनडीएमसी ने वर्ष 2009–10 से 2014–15 के वर्षों के लिए निर्धारण नहीं किया है। इसलिए मामले में अंतिम समाधान के लंबित होने के कारण एनडीएमसी द्वारा मांगे गए सम्पत्तिकर (₹ 2,449.75 लाख) और आईटीडीसी द्वारा स्वीकृत सम्पत्तिकर (₹ 965.87) के बीच ₹ 1,483.88 लाख के अंतर को उपर्युक्त क(क)(i) के अधीन "आकस्मिक देयता" के रूप में दर्शाया गया है।

सामान्य टिप्पणियां

टिप्पणी – 32

1. व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, ऋणों एवं अग्रिमों तथा जमा के अधिकांश मामलों में शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों में ग्राहक खातों में शेष का सामान्य बही नियंत्रण खाता शेष के साथ समाधान का कार्य चल रहा है। इसलिए इस स्तर पर पुष्टिकरण, समाधान और समायोजन के कारण खातों पर प्रभाव इंगित नहीं किए जा सकते हैं।

2. जहां तक निगम का संबंध है, सहायक कम्पनियों की निवल संचित हानि ₹ 2,690.24 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,507.86 लाख), जिसे कम्पनी के लेखाओं में शामिल नहीं किया गया है, निम्नप्रकार है :

(लाख ₹ में)

सहायक कम्पनी का नाम	निम्न अवधि तक के लिए	लाभ/हानि का शेयर प्रतिशत	हानि/(लाभ) की संचित राशि
असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड#	2014-15	51.00	381.32
डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड#	2014-15	51.02	(65.71)
मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड#	2014-15	51.00	47.88
पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड#	2014-15	51.00	48.18
पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड#	2014-15	51.00	8.62
रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड#	2014-15	51.00	304.05
उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड#@	2014-15	91.54	1,965.90
कुल निवल हानियां			2,690.24
पिछले वर्ष निवल हानियां			2,507.86

शेयरधारिता की प्रतिशतता में कोई परिवर्तन नहीं है।
@ 2003–04 से प्रचालन में नहीं।
 # वार्षिक आम बैठक होनी है।

3. पिछली पद्धति को अपनाते हुए स्टॉक, भंडार, क्रॉकरी, कटलरी आदि की खपत प्रारंभिक शेष व खरीद को जोड़कर और लेखाकरण नीति के अनुसार उसमें से मूल्यांकित प्रत्यक्ष मालसूचियों पर आधारित अंतिम शेष को घटाकर निकाली गई है।

4. निगम पर्यटन मंत्रालय के स्वामित्व वाले होटल भरतपुर अशोक और कोसी रेस्टोरैंट का प्रबंध संभालता रहा है और इन एककों के संबंध में लाभ/हानि का लेखाकरण निगम द्वारा संबंधित लाभ व लेखा विवरण की संबंधित टिप्पणी में किया जाता है।

5. कंपनी ने 19 फरवरी, 2002 को मै. मारुति उद्योग लि. के साथ नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–1, नई दिल्ली में स्थित प्लॉट सं. सी–119 पर निर्मित कार्यशाला व डिपो के संबंध में परिसम्पत्ति के किराए से संबंधित सब–लीज को 1 फरवरी, 2002 से 31 जनवरी, 2011 तक की अवधि के लिए नवीकरण और किराए में वृद्धि की शर्त पर इसे आगे नौ वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए एक करार किया था। करार की शर्तों के अनुसार मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा 9 वर्षों का किराया अग्रिम दिया गया था। लीज की अवधि के दौरान मै. मारुति उद्योग लिमिटेड ने उक्त स्थान पर अतिरिक्त निर्माण कराया, जिसकी प्रक्रिया में किराए पर दी गई कार्यशाला व डिपो के पूरे ढांचे को गिरा दिया गया तथा विलुप्त दिखाया गया, जोकि सब–लीज के करार में शामिल नहीं था। इस कारण 14 जून, 2010 को मारुति उद्योग लि. को 01.07.2010 से स्थल खाली करने का कानूनी नोटिस भेजा गया। अग्रिम किराए की शेष राशि ₹ 25,01,849/– मै. मारुति उद्योग लि. को वापस कर दी गई। तारीख 1.07.2010 को भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा माननीय संपदा अधिकारी के सम्मुख सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत स्थान को खाली कराने व क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसी बीच मारुति उद्योग लि. ने भारत पर्यटन विकास निगम के बेदखली तथा क्षतिपूर्ति के आवेदन के विरुद्ध एक अपील माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख दायर की, जिसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध, मारुति उद्योग लिमिटेड ने खंड पीठ के समक्ष अपील दायर

की, जिसे भी उसी समय खारिज कर दिया गया। विवाचक की नियुक्ति हेतु मै. मारुति उद्योग लि. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य विवाचन याचिका दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश के संबंध में अपने दिनांक 29.09.2011 के आदेश द्वारा विवाचक की नियुक्ति निश्चित निदेशों के साथ की। आईटीडीसी ने विवाचक कार्यवाही स्थगन की याचना करते हुए रिट याचिका दायर की। मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। मारुति उद्योग लिमिटेड ने भी दिनांक 29.09.2011 के आदेश के विरुद्ध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एमयूएल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को निपटा दिया गया है। कब्जे की वसूली और राशि की वसूली के लिए मामला अब 25.08.2015 के लिए निश्चित किया गया है। मामले में कानूनी कार्यवाही लंबित होने के कारण मै. मारुति उद्योग लि. ने परिसर अभी खाली नहीं किया है।

6. लेखाकरण मानक–7 के अनुसार प्रकटन – निर्माण संविदा :–

(लाख ₹ में)

क) रिपोर्टिंग तिथि तक स्वीकृत राजस्व की कुल राशि	15,058.70
ख) रिपोर्टिंग तिथि तक खर्च हुई कुल लागत	13,675.10
ग) चालू वित वर्ष के दौरान स्वीकृत राजस्व	1,744.76
घ) वित वर्ष के दौरान खर्च हुई लागत	1,611.86
ङ) रिपोर्टिंग तिथि तक प्राप्त निधियों की कुल राशि	16,015.53
च) रिपोर्टिंग तिथि तक ग्राहकों को देय अग्रिम	3,704.36
छ) रिपोर्टिंग तिथि तक ग्राहकों से प्राप्य अग्रिम	164.10

7. क्षेत्रवार रिपोर्टिंग पर लेखाकरण मानक–17 के अनुसार प्रकटन इस टिप्पणी के **अनुबंध–क** में दिया गया है।

8. लेखाकरण मानक–18 के अनुसार प्रभावी सीमा तक संबंधित पार्टियों से लेन–देन का प्रकटन निम्नप्रकार है :–

मुख्य प्रबंधकवर्ग कार्मिक :–

1. श्री उमंग नरूला
   अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
   24.04.2015 से
2. श्री गिरीश शंकर
   अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
   09.12.2014 से 23.04.2015 तक
3. डॉ. समीर शर्मा
   प्रबंध निदेशक
   12.05.2014 से 09.12.2014 तक
4. श्री गिरीश शंकर
   प्रबंध निदेशक
   23.04.2013 से 11.05.2014 तक
5. श्री त्रिनाथ बेहेरा, निदेशक (वित्त)
   26.04.2013 से
6. श्री रतन कुमार ओखन्दियार
   निदेशक (वाणिज्यिक एवं विपणन)
   10.07.2012 से 31.03.2015 तक

मुख्य प्रबंधकवर्ग कार्मिकों तथा उनके संबंधियों को किए गए भुगतान :–

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
पारिश्रमिक	61,60,628.00	43,14,368.00

9. पट्टा संबंधी लेखाकरण मानक–19 के अनुसरण में प्रकटन :–

निगम की पट्टा व्यवस्था सामान्यतया परिसरों (आवासीय, कार्यालय स्थान और गोदामों आदि) के लिए पट्टों के प्रचालन के संबंध में है। ये पट्टा व्यवस्थाएं गैर–निरसन योग्य नहीं हैं और सामान्यतया पारस्परिक सहमत शर्तों पर आपसी सहमति से नवीकरण–योग्य हैं। कुल प्रदत्त/देय पट्टा–किराए को कर्मचारी पारिश्रमिक व हितलाभ (टिप्पणी–25) तथा प्रचालन व अन्य खर्च (टिप्पणी–27) के अन्तर्गत किराए के रूप में प्रभारित किया जाता है। कुछ होटल एककों में रेस्टोरैंटों और अन्य व्यावसायिक परिसरों के प्रचालन के लिए अन्य पार्टियों के साथ की गई व्यवस्थाएं लाइसेंस आधार पर हैं और वे भी गैर–निरसन योग्य नहीं हैं और सामान्यतया पारस्परिक सहमत शर्तों पर आपसी सहमति से नवीकरण–योग्य हैं।

10. परिसम्पत्तियों की क्षति :

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक–28 – "परिसम्पत्तियों की क्षति" के अनुसार प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को परिसम्पत्ति की क्षति और हानि, यदि कोई हो, को स्थायी परिसंपत्तियों /चल रहे पूंजीगत कार्य की क्षति में दिखाया जाता है। प्रबंधकवर्ग की राय में 31 मार्च, 2015 को गुलमर्ग स्थित अधूरी होटल परियोजना सहित सक्रिय उपयोग में नहीं आ रही परिसम्पत्तियों, चालू पूंजीगत कार्यों में स्वीकृत क्षति के अलावा इस प्रकार की कोई ऐसी क्षति नहीं है, जिसे दिखाया जाता/जिसके लिए व्यवस्था की जाती।

11. व्यवस्था, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ – लेखाकरण मानक–29 के अनुसरण में प्रकटन :

(लाख ₹ में)

व्यवस्था का नाम	1.4.2014 को शेष	2014–15 के संबंध में वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	2013–14 के संबंध में वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	वर्ष के दौरान भुगतान/समायोजन	प्रत्यावर्तित/पुनरांकित व्यवस्था	31.3.2015 को अंत शेष
आयकर	350.00	950.00	0.00	299.29	50.71	950.00
धनकर	0.68	0.79	0.00	0.68	0.00	0.79

12. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VI के भाग–II की आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त सूचना :

क) सी.आई.एफ. आधार पर आयात का मूल्य :–

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) बियर, वाइन और स्पिरिट्स	557.82	552.44
ii) सिगार और सिगरेट	17.23	7.22
iii) अन्य वस्तुएं	66.99	-
जोड़	642.04	559.66

ख) विदेशी मुद्रा में व्यय :–

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) यात्रा	6.65	5.54
ii) फीस और अभिदान	3.75	6.89
	10.40	12.43

ग) विदेशी मुद्रा में आय (प्रत्यक्ष)(प्राप्ति पर) :–

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) भोजन, आवास और अन्य सुविधाएं	440.51	677.87
ii) शुल्क मुक्त दुकानों पर वस्तुओं की बिक्री	856.03	897.00
iii) विदेशी मुद्रा विनिमय में लाभ (निवल)	2.31	12.22
जोड़	1,298.85	1,587.09

(घ) (i) उपलब्ध सूचना के अनुसार लघु क्षेत्र उद्योग की किसी भी पार्टी को कोई ऐसी राशि, जो एक लाख रुपए से अधिक और 30 दिन की अवधि से अधिक बकाया हो, ₹ शून्य है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

(ii) भारत सरकार ने "दि माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, 2006" लागू किया। उक्त अधिनियम के अनुसार, निगम को पार्टियों की पहचान करनी है और एक विनिर्दिष्ट अवधि के बाद, यदि नहीं किया है, उन्हें ब्याज का भुगतान करना है। निगम आपूर्तिकर्त्ताओं की पहचान के लिए कार्रवाई कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए ब्याज के लिए देयता निर्धारित नहीं की जा सकी।

(iii) कम्पनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 में रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनर्वास/पुनरुज्जीवन के लिए उपकर लगाने की व्यवस्था है, जो केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर सरकारी राजपत्र में यथा–विनिर्दिष्ट कुल कारोबार अथवा सकल प्राप्तियों के 0.005 प्रतिशत से कम, परन्तु 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। चूंकि इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए उपकर के लिए व्यवस्था नहीं की गई।

13. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक था, पुनः वर्गीकृत/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी सं. 32 का अनुबंध 'क' (क्रम सं. 7)

कार्यक्षेत्र रिपोर्टिंग – लेखाकरण मानक–17

(लाख ₹ में)

	होटल/रेस्टोरैंट प्रचालन		शुल्क मुक्त दुकान प्रचालन		ट्रैवल्स व टुअर्स प्रचालन		आर्म्स एवं विविध प्रचालन		निर्माण, परामर्शी तथा एसईएल परियोजनाएं		अन्य		कम्पनी के लिए जोड़	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
प्रारम्भिक प्रकटन (प्रचालन–वार)														
1 कार्यक्षेत्र राजस्व														
क) कुल राजस्व	28,416.41	26,314.34	1,095.61	940.48	13,220.17	13,714.21	3,547.80	2,416.57	2,043.07	1,576.50	2,772.18	2,675.88	51,095.24	47,637.98
ख) घटाएं : अंतर कार्यक्षेत्र राजस्व	25.68	25.88			77.46	110.75	573.12	446.57	-	96.50	-	-	676.26	679.70
ग) बाह्य राजस्व	28,390.73	26,288.47	1,095.61	940.48	13,142.71	13,603.46	2,974.68	1,970.00	2,043.07	1,480.00	2,772.18	2,675.88	50,418.98	46,958.29
2 कार्यक्षेत्र परिणाम														
ब्याज, कर व उपरिव्यय से पूर्व लाभ/(हानि)	3,593.21	2,879.78	170.97	(47.40)	141.16	(119.23)	575.37	293.22	(545.15)	(800.07)	2,792.06	2,676.20	6,727.62	4,882.50
घटाएं : आबंटन–योग्य निगम उपरिव्यय		-		-		-		-		-	2,812.41	3,689.38	2,812.41	3,689.38
घटाएं : ब्याज	0.33	-	-	-	-	-					19.88	-	20.21	-
घटाएं : आयकर के लिए प्रावधान											950.00	350.00	950.00	350.00
घटाएं : धनकर के लिए प्रावधान											0.79	0.68	0.79	0.68
घटाएं : आस्थगित–कर के लिए प्रावधान											(441.96)	(99.77)	(441.96)	(99.77)
जोड़ें : पिछले वर्ष के पुनरांकित आयकर के लिए प्रावधान											(50.71)	-	(50.71)	-
विनियोग हेतु उपलब्ध लाभ/(हानि)	3,592.88	2,879.78	170.97	(47.40)	141.16	(119.23)	575.37	293.22	(545.15)	(800.07)	(498.35)	(1,264.09)	3,436.88	942.21
3 कार्यक्षेत्र परिसम्पत्तियाँ (चालू परिसम्पत्तियाँ तथा स्थायी परिसम्पत्तियाँ व डब्ल्यूआईपी और निवेश)	17,008.90	13,907.78	770.41	758.70	2,994.31	2,392.60	1,392.09	974.64	1,399.72	817.54	34,382.22	37,077.53	57,947.65	55,928.80
4 कार्यक्षेत्र देयताएं	16,434.80	16,872.45	610.83	760.68	2,149.24	1,815.72	2,185.50	1,563.45	9,011.30	9,253.06	(1,900.85)	(3,346.83)	28,490.82	26,918.53
5 अवधि के लिए कार्यक्षेत्र परिसम्पत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास और परिशोधन	979.70	550.96	3.24	2.03	11.51	13.87	8.12	3.66	0.60	1.09	23.26	24.16	1,026.43	595.77
6 कार्यक्षेत्र परिसम्पत्तियों (मूर्त तथा अमूर्त स्थायी परिसम्पत्तियाँ) को प्राप्त करने के लिए अवधि के दौरान लागत	531.40	218.69	0.17	1.13	9.07	2.42	1.55	2.12	1.15	0.12	11.17	27.75	554.51	252.21
7 व्यवसाय कार्यक्षेत्र द्वारा मूल्यह्रास तथा परिशोधन को छोड़कर किया गया गैर–नकद व्यय	1,018.49	1,088.87	22.30	(2.04)	195.70	102.43	25.04	55.18	97.11	7.81	27.11	202.74	1,385.75	1,454.98

टिप्पणी : अनुपूरक (भौगोलिक) प्रकटन नहीं दिया गया है, क्योंकि कम्पनी के विदेशों में कोई प्रचालन/कार्यकलाप नहीं हैं।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2015 को समाप्त वर्ष		31.3.2014 को समाप्त वर्ष
क प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कर–पूर्व लाभ		3,895.00		1,193.12
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास	1,026.43		595.58	
स्थायी परिसम्पत्तियों/ निवेश के मूल्य में ह्रास	2.10		-	
आस्थगित सरकारी अनुदान	(0.35)		(0.34)	
वित्तीय प्रभार	20.21		-	
ह्रासित मालसूची के लिए प्रावधान	-		9.05	
संदिग्ध ऋणों व पेशगियों के लिए प्रावधान	596.48		449.81	
ब्याज आय	(2,538.03)		(2,517.27)	
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अग्रिम	19.13		2.11	
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(2.92)	(876.95)	(4.00)	(1,465.06)
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		3,018.05		(271.94)
चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी				
मालसूची	74.76		(277.95)	
व्यापार प्राप्य	(4,433.56)		1,618.99	
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	(359.82)		(118.49)	
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	26.64		(54.36)	

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2015 को समाप्त वर्ष		31.3.2014 को समाप्त वर्ष
दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	(6.97)		(25.89)	
अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	(1,027.35)	(5,726.30)	95.95	1,238.25
चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)				
व्यापार देय	854.22		(617.26)	
अन्य चालू देयताएँ	(1,506.11)		2,291.30	
अन्य दीर्घकालिक देयताएँ	179.13		(296.53)	
दीर्घकालिक प्रावधान	(226.69)		(282.61)	
अल्पकालिक प्रावधान	108.72	(590.73)	102.35	1,197.25
प्रचालन गतिविधियों से नकदी अन्तर्वाह/(बाहिर्वाह)		(3,298.98)		2,163.56
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	-		-	
प्रदत्त आयकर	350.00		-	
पूर्व वर्षों के लिए पुनरांकित आयकर	(50.71)	299.29	-	-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी अन्तर्वाह/(बाहिर्वाह)(क)		(3,598.27)		2,163.56
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद		(575.19)		(252.95)
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री और समायोजन		16.92		16.07
ब्याज/लाभांश से आय		2,538.03		2,517.27
चालू कार्यों में कमी/(वृद्धि)		(92.27)		(142.02)
निवेश में (वृद्धि)/कमी		-		(300.88)
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अन्तर्वाह/(बाहिर्वाह)(ख)		1,887.49		1,837.49

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2015 को समाप्त वर्ष	31.3.2014 को समाप्त वर्ष
ग वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूँजी में वृद्धि	-	-
उधार में वृद्धि / (कमी)	-	-
वित्तीय प्रभार	(20.21)	-
प्रदत्त धनकर	(0.68)	(0.71)
प्रदत्त लाभांश	(428.85)	-
प्रदत्त लाभांश–कर	(72.88)	-
आस्थगित सरकारी अनुदान	0.35	-
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी अंतप्रर्वाह / (बाहिर्प्रवाह) (ग)	(522.27)	(0.71)
वर्ष के दौरान नकदी और नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन	(2,233.05)	4,000.34
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकद समतुल्य*	29,180.38	25,180.04
वर्ष के अंत में नकदी और नकद समतुल्य*	26,947.33	29,180.38

** ब्यौरों के लिए टिप्पणी – 18 देखें।*

(वी के जैन)
कम्पनी सचिव

(पी के अग्रवाल)
उपाध्यक्ष (वित्त व लेखा)

(त्रिनाथ बेहेरा)
निदेशक (वित्त)

(उमंग नरूला)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी. के. वर्मा एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स (एफआरएन 000386एन)

(विवेक कुमार)
साझीदार
(सदस्यता सं. 503826)

तारीख : 29 मई, 2015
स्थान : नई दिल्ली

वर्ष 2014–15 के समेकित लेखे